163. The Registrar,
Co-op: Societies, H.P., Simla.

Registered No. E.P.-97 रजिस्टर्ड नं॰ इ॰ पी॰-९७

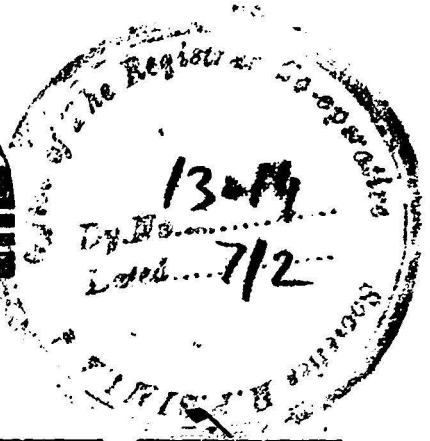

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1954

विधान सभा विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-4, 25 नवम्बर, 1954

नं॰ एल॰ ए-**109-145/54**.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 98 के अधीन हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन विधेयक, 1954, जैसा कि यह 29 नवम्बर, 1954 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हुआ, सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 13, 1954

हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन विधेयक, 1954

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित किया गया)

वैयक्तिक वनों के संरक्षण (Conservation of Private Forests) का

विधेयक

यह भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम, 1954 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. अधिनियम कुछ भूमियों (certain lands) पर प्रवृत्त (apply) न होगा.—यह अधिनियम निम्न प्रकार की भूमि में से किसी पर भी प्रवृत्त न होगा :—

(क) जो शासन में निहित हो, या

(ख) जो इन्डियन फौरेस्ट ऐक्ट, 1927 (न० 16 औफ 1927) के अधीन आरक्षित या सुरक्षित वन हो।

3. परिभाषाएं.—जब तक कि विषय या संदर्भ (subject or context) में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(1) "कलेक्टर" के अन्तर्गत है, कोई भी ऐसा अधिकारी, जिसे राज्यशासन ने इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के कार्य सम्पादित करने के लिए शक्ति प्रदान की हो ;

(2) "नियन्त्रित वन (Controlled Forest)" का तात्पर्य ऐसे वन से है, जिस के सम्बन्ध में धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो ;

(3) "सम्पदा" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है—

(क) जिसके लिये भिन्न अधिकार अभिलेख बनाया गया हो, या

(ख) जिसका भूराजस्व अलहदा निर्धारित हुआ हो या निर्धारित हुआ होता यदि भूराजस्व उन्मोचित, अभिसंधित या निष्क्रीत न हुआ होता, या

(ग) जिसे राज्य शासन सामान्य नियम या विशेष आदेश द्वारा सम्पदा घोषित करे,

और इसके अन्तर्गत है सम्पदा में या सम्पदा का भाग ;

(4) "फीस" के अन्तर्गत वन बन्दोबस्त या माल बन्दोबस्त या प्रथा या रिवाज के अधीन राज्यशासन को देय ऐसी फीस भी है जिसे चुकाने के प्रतिबन्धाधीन विलीनीकरण (merger) होने से पूर्व अनुकलित राज्यों (integrating States) द्वारा वृक्ष गिराने और बेचने की अनुमति दी जाती थी ;

(5) "वन" के अन्तर्गत है—कोई भी ऐसी भूमि, जिसे राज्यशासन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वन घोषित करे ;

(6) "वन-अपराध (forest offence)" का तात्पर्य ऐसे अपराध से है, जो इस अधिनियम के अधीन या इसके अन्तर्गत बनाऐ गए किसी भी नियम के अधीन दंडनीय हो ;

(7) "वन-अधिकारी (Forest Officer)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे राज्यशासन इस अधिनियम के समस्त या किसी भी प्रयोजन को पूरा करने के लिए नियुक्त करे या ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम या इस के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन वन-अधिकारी (Forest Officer) से किया जाना अपेक्षित हो ;

(8) "बन-बन्दोबस्त अधिकारी (Forest Settlement Officer)" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जो राज्यशासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन वन-बन्दोबस्त अधिकारी (Forest Settlement Officer) के कर्त्तव्य सम्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया हो;

(9) "भूमिपति (landlord)" का तात्पर्य ऐसी सम्पदाओं या धारणावधि (tenure), जिसमें कोई वन या परती भूमि (wasteland) स्थित हो, के ऐसे स्वामी से है, जो उक्त वन या परती भूमि (wasteland) में किसी भी अधिकार-प्रयोग का हकदार हो ;

(10) "अधिसूचना" का तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है ;

(11) "अधिसूचित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विशिष्ट हो ;

(12) "अधिसूचित वन" का तात्पर्य ऐसे वन से है, जो धारा 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विशिष्ट हो ;

(13) "स्वामी" के अन्तर्गत है, पट्टाधारी या जागीरदार, पट्टेदार (lessee), कब्जा रखने वाला बन्धक ग्राही, मैनेजर(manager),ट्रस्टी (trustee), सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त आदाता (receiver appointed by a competent court) या ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में पालक समिति (Court of Wards)जिस का अधीक्षण

या प्रभार, उक्त पालक समिति के अधीन हो ;

(14) "वैयक्तिक वन (private forest)" का तात्पर्य ऐसे वन से है, जो शासन की सम्पत्ति न हो या जिस पर राज्य को स्वामित्व के अधिकार (proprietary rights) न हों या जिस की समस्त या आंशिक वन उपज (forest produce) का राज्य हक़दार न हो ;

(15) "विनिहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिहित से है ;

(16) "अधिकार-धारी (right holder)" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे प्रथा (custom) द्वारा अपने घरेलू और कृषि के प्रयोजनों के लिए वन में या वन से इमारती लकड़ी (timber), इंधन या अन्य वन उपज काटने या इकठा करने या हटाने का और वन में अपने पशु चराने का अधिकार प्राप्त हो ;

(17) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम से है ;

(18) "राज्यशासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से है ;

(19) "इमारती लकड़ी (timber)" के अन्तर्गत हैं, ऐसे वृक्ष जो गिर चुके हों या गिरा दिए गए हों और समस्त लकड़ी, जो चाहे किसी भी प्रयोजनार्थ काटी गई हो या तराशी गई हो या खोखली की गई हो या न की गई हो ;

(20) "वृक्ष" के अन्तर्गत है, इमारती लकड़ी (timber), इंधन के वृक्ष (fuel trees), खजूर (palms), बांस, ठुंठ (stumps), घनी झाड़ी (brushwood) और बेंत ;

(21) "परती भूमि (wasteland)" का तात्पर्य किसी भी ऐसी भूमि से है, जो राज्य-शासन अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ परती भूमि (wasteland) घोषित करे ;

(22) "कर्मकारी योजना (working plan)" का तात्पर्य वन के प्रबन्ध और प्रतिपादन (management and treatment) की किसी भी लिखित योजना से है ;

(23) "वर्ष" का तात्पर्य अप्रैल के पहले दिन से आरम्भ होने वाले और आगामी वर्ष के मार्च के इक्कतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष से है ;

(24) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन का प्रयोग इस अधिनियम में हुआ है किन्तु परिभाषा नहीं दी गई है, और इन्डियन फौरेस्ट ऐक्ट, 1927 (Indian Forest Act, 1927) में परिभाषा दी गई है, उनका वही अर्थ होगा जो उनके पर्यायवाची अंग्रेजी शब्दों को क्रमशः उस अधिनियम में दिया गया है ।

अध्याय 2

अधिसूचित क्षेत्र या वन के प्रबन्ध या उस में अधिकार प्रयोग के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्ध

4 कुछ कामों की मनाही करने की शक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन, जो सम्बन्धित वन-अधिकारी (Forest Officer) द्वारा अरोपित किये जाएं, विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट वैयक्तिक वन में किसी भी वृक्ष को काटने, गिराने, वृक्ष के चारों ओर खाई खोदने (girdling), कलम करने (lopping), जलाने, उसकी छाल या पत्ते उखाड़ने या अन्य प्रकार से वृक्ष को हानि पहुंचाने (damaging), वृक्ष या इमारती लकड़ी (timber) के चिन्हों में जालसाजी करने या उन्हें बिगाड़ने की मनाही कर सकेगा।

5. वैयक्तिक वनों का सीमांकन.—(1) ऐसे प्रत्येक वैयक्तिक वन का भूस्वामी, जिस के सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के मध्य राजस्व अभिलेखों के अनुसार वन का सीमांकन करेगा और अपने व्यय से सीमा की रेखा पर वन अधिकारी द्वारा प्रलक्षित जगहों में अनुमोदित संख्या और अनुमोदित प्रकार के सीमा स्तम्भ लगाएगा।

(2) जहां वैयक्तिक वन के स्वामी ने उपधारा (1) में विशिष्ट अवधि में और उसमें विशिष्ट रीति से सीमा स्तम्भ नहीं लगाया है उस दशा में वन-अधिकारी उक्त स्तम्भ लगा देगा और उसका व्यय धारा 75 में विशिष्ट रीति से स्वामी से वसूल करेगा।

6. वैयक्तिक वनों या उनके भाग में इस अधिनियम के अनुसार प्रयोग किए जा सकने वाले अधिकार.—धारा 4 के अधीन अधिसूचित वन या क्षेत्र में भूमिपति के, और तत्काल प्रचलित किसी भी विधि के अन्तर्गत तैयार किए गए किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी अन्य व्यक्ति के वन या क्षेत्र में वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज काटने, इकट्ठा करने या हटाने या पशु चराने के अधिकार इस अधिनियम में या इस के अन्तर्गत बनाए गए उपबन्धों के उल्लंघन में प्रयोग नहीं किए जाएंगे।

7. इमारती लकड़ी (timber) इत्यादि काटने, इकट्ठा करने या हटाने तथा कृषि प्रयोजनार्थ वनों के कृष्यकरण के अधिकारों पर आयन्त्रण.—भूमि और आर्द्रता (soil and moisture) के संरक्षण तथा सार्वजनिक हित की आवश्यकता के विचार से—

(क) ऐसा व्यक्ति, जो किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित वन से वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन काटने, इकट्ठा करने या हटाने का अधिकारी है, केवल उसी दशा में, जब इस सम्बन्ध में वन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र (permit) दिया गया हो और ऐसी शर्तों के अनुसार, जो वन अधिकारी आरोपित करे, वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या ईंधन काटेगा, इकट्ठा करेगा या हटाएगा अन्यथा नहीं और सम्बन्धित व्यक्ति गिराए गये प्रत्येक वृक्ष के लिये ऐसी संख्या में (जो तीन से अधिक न हो) ऐसी प्रकार के वृक्ष लगायेगा और ऐसी अवधि तक उनकी देख रेख करेगा जो वन अधिकारी द्वारा निर्देशित हो:

परन्तु यह खंड ऐसे वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या इंधन पर प्रवृत्त न होगा, जिस की स्वामी को घरेलू प्रयोजनों, कृषि के करण बनाने या शवदाह के लिये आवश्यकता हो।

(ख) ऐसा व्यक्ति, जो कृषि प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्र या बन में किसी भूमि के कृष्यकरण का अधिकारी है और अधिसूचित क्षेत्र या वन का स्वामी है, उस में किसी भी भूमि का कृष्यकरण वन अधिकारी की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति लेकर ही और ऐसी शर्तों के अनुसार करेगा, जो वन अधिकारी आरोपित करे अन्था नहीं और सम्बन्धित व्यक्ति वृक्ष लगाने के विषय में खंड (क) के अधीन भी रहेगा

8. वृक्षों की ऊंचाई जिस पर और बांस के डंठल (bamboo culms) की आयु जब वे काटे जा सकते हैं.—कोई भी व्यक्ति, जिस के पास गिराने का अनुज्ञापत्र (felling permit) हो, वैयक्तिक वन में किसी भी वृक्ष को धरातल से छः इंच से अधिक ऊंचाई पर या एक वर्ष से कम आयु के किसी भी बांस के डंठल (bamboo culm) को नहीं काटेगा।

9. कुछ व्यक्ति (certain persons) इमारती लकड़ी (timber) नहीं बेचेंगे या हस्तांतरित नहीं करेंगे.—कोई भी व्यक्ति, जो भूमिपति, भूमिपति के प्राधिकाराधीन कार्य सम्पादन करने वाला व्यक्ति, या इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कार्य करने वाला अधिकारी (officer) न हो, किसी भी अधिसूचित क्षेत्र या वन में इमारती लकड़ी (timber) काटने के अधिकार प्रयोग से प्राप्त इमारती लकड़ी (timber) नहीं बेचेगा या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा और उस के द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक काटी गई इमारती लकड़ी (timber) राज्य शासन द्वारा जब्ती के योग्य होगी।

10. भूमिपति के या भूमिपति द्वारा मांग प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति (persons claiming through the landlord) के इमारती लकड़ी (timber) या वन उपज काटने या हटाने के अधिकार पर आयन्त्रण.—भूमिपति या पट्टेदार (lessee) या भूमिपति द्वारा मांग प्रस्तुत करने वाला (claiming through the landlord) अन्य व्यक्ति किसी भी अधिसूचित क्षेत्र या वन से कोई भी वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज नहीं काटेगा या नहीं हटायगा या किसी भी व्यक्ति को वैसा करने की अनुमति नहीं देगा, जिससे किसी भी व्यक्ति का ऐसा अधिकार, प्रभावित हो जाए जिसे वह उक्त व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिबन्धाधीन किसी भी प्रथा या रिवाज (customs or usage) के अन्तर्गत उपयोग कर सकता हो।

11. वृक्ष गिराने के लिए लाईसेंस देना और वृक्षों की बिक्री के लिये फीस.—(1) भूमिपति या स्वामी के प्रार्थनापत्र देने पर वन-अधिकारी भूमि और आर्द्रता के संरक्षण आवश्यता और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के साथ, जो वह उचित समझे, वृक्ष गिराने के लिये अनुज्ञापत्र दे सकेगा और उसके पश्चात् किसी भी भूमिपति या स्वामी के लिये लाइसैंस की शर्तों के अनुसार वृक्ष गिराना वैध होगा।

(2) वृक्ष बेचने वाला भूमिपति या स्वामी बेचने की कीमत का पच्चीस प्रतिशत राज्यशासन को फीस के रूप में चुका देगा और जब तक फीस नहीं चुकाई जाती तबतक इमारती लकड़ी (timber) वन में से हटाई नहीं जाएगी ।

12. कर्मकारी योजना (working plan) की तैयारी.—(1) वन-अधिकारी (Forest Officer) अधिसूचित वन के किसी भी स्वामी को वन के प्रबन्ध के लिए विनिहित रीति से एक विशिष्ट अवधि के भीतर कर्मकारी योजना (working plan) तैयार करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) अधिसूचित वन का स्वामी कर्मकारी योजना (working plan) या तो स्वयं तैयार कर सकेगा या अपनी ओर से कर्मकारी योजना (working plan) तैयार करने के लिए वन-अधिकारी से प्रार्थना कर सकेगा ।

(3) वन-अधिकारी ऐसी प्रत्येक योजना पर, जो उसके पास भेजी गई हो, विचार करने के बाद एक लिखित आदेश द्वारा उक्त कर्मकारी योजना (working plan) को स्वीकार कर सकेगा या जैसा वह आवश्यक समझे उस प्रकार उसमें संपरिवर्तन कर सकेगा या उसको किसी दूसरी योजना द्वारा स्थानापन्न कर सकेगा ।

(4) यदि उक्त अधिसूचित वन का कोई स्वामी उपधारा (1) में विशिष्ट अवधि के भीतर कर्मकारी योजना (working plan) प्रस्तुत नहीं करता है या उपधारा (2) में विशिष्ट अवधि के भीतर अपनी ओर से एक कर्मकारी योजना (working plan) बनाने की प्रार्थना वन-अधिकारी से नहीं करता है तो वन-अधिकारी उक्त वन के सम्बन्ध में एक कर्मकारी योजना (working plan) तैयार कर सकेगा ।

(5) उपधारा (2) और (4) के अधीन कर्मकारी योजना (working plan) की तैयारी का व्यय, उन वनों की दशा में जिन से लाभ प्राप्त हो, स्वामी द्वारा, और उन वनों की दशा में जो घाटे पर चल रहे हों, शासन द्वारा वहन किया जाएगा । जहां व्यय स्वामी द्वारा देय हो, उस दशा में, जब भूमिपति वन-अधिकारी द्वारा विशिष्ट अवधि में उसे नहीं चुका पाता है, उक्त व्यय उस से भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूल किया जा सकेगा ।

13. वन का प्रबन्ध.—ऐसे वन का प्रबन्ध, जिस के लिए कोई अनुमोदित कर्म कारी योजना (working plan) हो, उक्त कर्मकारी योजना (working plan) में दिये गए विनिधान (prescription) के अनुसार ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारी-वर्ग (trained staff) की सहायता से, जो कर्मकारी योजना (working plan) में विनिहित किया जाए, और वन अधिकारी के अधीक्षणाधीन (under the superintendence of) स्वामी द्वारा स्वयं किया जायगा । वन-अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिन कर्मकारी योजना (working plan) में दिए गए विनिधान (prescription) से विचलन (deviate) करने की अनुमति न होगी ।

14. वैयक्तिक वन से इमारती लकड़ी (timber) हटाना और बिरोज़ा (resin) निकालना और हटाना.—(1) पूर्ववर्ती धाराओं में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर कोई भी वृक्ष, जिस पर

निशान न लगाया गया हो और कोई भी इमारती लकड़ी (timber), जिस पर वन अधिकारी ने हथौड़े का निशान (hammer mark) न लगाया हो, वैयक्तिक वन से काटी या हटाई न जाएगी और कोई भी वृक्ष या उसका भाग या इमारती लकड़ी (timber) वैयक्तिक वन से किसी भी नदी, सरिता या जल में तब तक नहीं बहाई जाएगी जब तक कि उस पर सम्पत्ति चिन्ह (property mark or marks) न लगा हो या न लगे हों और उसके लिए इस सम्बन्ध में दिया गया अनुज्ञापत्र प्राप्त न कर लिया गया हो और पहले उसकी फीस न चुका दी गई हो :

परन्तु सर्वदा यह प्रतिबन्ध रहेगा कि भूमि से कोई भी वृक्ष या उस का भाग या इमारती लकड़ी (timber) या इंधन भूस्थल से तब तक नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि उस के लिये वन-अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक चालान ऐसे आयन्त्रणों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वन अधिकारी उस के ले जाये जाने के समय जांचपड़ताल (check) और उस समय के सम्बन्ध में, जिस के मध्य उक्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या इंधन की गति (movement) स्थगित रहेगी, आरोपित करना आवश्यक समझे, प्राप्त न कर लिया गया हो।

(2) वैयक्तिक वनों से बिरोजा (resin) केवल अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निकाला जायगा या हटाया जायगा या ले जाया जायगा, अन्यथा नहीं।

15. राज्य शासन को देय फीसों की वसूली.—(1) जहां किसी वैयक्तिक वन से वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या इंधन की बिक्री के लिए धारा 11 के अधीन लाइसेंस दिया जाता है, उस अवस्था में लाइसेंसदार को तब तक उक्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या इधंन हटाने की अनुमति नहीं दी जायगी, जब तक उस ने राज्य शासन को देय समस्त विनिहित फीसें पूर्ण रूप से पहले न चुका दी हों।

(2) उपधारा (1) में वर्णित उक्त वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या इंधन हटाने के लिये ऐसे प्रतिबन्धों (conditions) का पालन अनिवार्य होगा, जिन्हें आरोपित करना वन-अधिकारी आवश्यक समझे।

16. पुनः संविदा (further contracts) करने की मनाही.—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्वामी द्वारा किसी भी व्यक्ति से किया गया संविदा, जिस से उक्त व्यक्ति को वैयक्तिक वन से वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या इंधन काटने, इकट्ठा करने या हटाने का अधिकार दिया हो, शून्य होगा, जब तक स्वामी ने उस से पूर्व धारा 11 के अधीन इस सम्बन्ध में लाइसेंस न ले लिया हो।

17. पशु चराने के अधिकार पर आयंत्रण.—कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रथागत अधिकार (customary right) या अन्य अधिकार के प्रयोग में किसी भी अधिसूचित क्षेत्र या वन में ऐसा कोई भी पशु न चराएगा या नहीं चरवाएगा जिस का वह स्वामी न हो।

18. इस अध्याय के अधीन अपराध और उन अपराधों की अन्वीक्षा (trial) और उन के लिये शास्तियां.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अध्याय के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है या वन-अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना स्वीकृत कर्मकारी योजना (working plan) के विनिधान

(prescription) से विचलन (deviate) करता है, एक हजार रुपये से अनधिक अर्थदण्ड या तीन महीने से अनधिक साधारण कारावास दण्ड या दोनों का भागी होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराध द्वितीय या तीसरी श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेक्षणीय (triable) होंगे और इस धारा के अधीन कार्यवाहियां तभी चलाई जा सकेंगी जब ऐसे अधिसूचित क्षेत्र या वन का, जिस के सम्बन्ध में अपराध होने का आरोप लगाया गया हो, भूमिपति या उक्त अधिसूचित क्षेत्र या वन का कोई भी अधिकार धारी (right-holder) या वन अधिकारी या राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अधिकारी शिकायत (complaint) करे।

(3) जब कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिये अपराधी ठहराया गया हो (is convicted) तो ऐसा कोई भी वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज, जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, ज़ब्त हो सकेगी। यदि उक्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज उस ने नष्ट कर दी हो, या बदल दी हो या अन्यथा व्यवस्थापित कर दी हो तो उस का मूल्य उस से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा, जैसे कि उपधारा (1) के अधीन उस पर आरोपित अर्थदण्ड।

(4) इस धारा के अधीन जब्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज ऐसी रीति से व्यवस्थापित कर दी जाएगी जो कलेक्टर नियमों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, निर्दिष्ट करे।

अध्याय 3

नियन्त्रित वन (Controlled Forest)

19. नियन्त्रित वन की संरचना करने की शक्ति (Power to constitute a Controlled Forest).—(1) यदि राज्यशासन का किसी भी समय यह समाधान हो कि अध्याय 2 के उपबन्ध किसी भी अधिसूचित क्षेत्र या वन का उचित आरक्षण करने में पर्याप्त नहीं हैं या पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं या यह कि सार्वजनिक हित के लिए किसी भी वैयक्तिक क्षेत्र या वन में, चाहे वह अधिसूचित हो या न हो, इस अध्याय के उपबन्ध प्रवृत्त करना आवश्यक है तो वह उक्त वन या क्षेत्र की नियन्त्रित वन के रूप में संरचना यहां से आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार कर सकेगा।

(2) यदि वन-अधिकारी (Forest Officer) की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि ऐसी किसी भी परती भूमि (waste land), जिसका क्षेत्रफल पचास एकड़ से कम न हो और जो सात वर्ष से अधिक अवधि तक अकृष्ट पड़ी रही हो तथा जो वनारोपण (afforestation) के लिए उपयुक्त हो और यह कि उक्त भूमि के स्वामी की उस में कृष्य-फसलें (agricultural crops) उगा कर उसकी कृषि करने की या वन-अधिकारी (Forest Officer) के समाधानानुसार उसे औद्यानिकी (horticulture) के लिए प्रयोग में लाने की या उसमें वनारोपण करने की इच्छा नहीं है या वह वैसा करने में असमर्थ है तो राज्यशासन अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि

उक्त भूमि का कृषि प्रयोजन या औद्यानिकी के लिये प्रयोग करना वनारोपण से अधिक लाभ प्रद नहीं हो सकता, उक्त परती भूमि (waste land) की संरचना यहां से आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार नियन्त्रित वन के रूप में कर सकेगा।

20. राज्यशासन द्वारा अधिसूचना.—(1) जब कभी भी राज्यशासन द्वारा किसी भी क्षेत्र को, चाहे वह वैयक्तिक हो या परती भूमि हो, नियन्त्रित वन के रूप में संरचित करना प्रस्तावित हो तो राज्यशासन एक अधिसूचना जारी करेगा, जिसमें—

(क) यह घोषणा होगी कि उक्त क्षेत्र को नियन्त्रित वन के रूप में संरचित करना प्रस्तावित किया जाता है;

(ख) जहां तक ठीक हो सके, उक्त क्षेत्र की स्थिति और सीमाएं निर्दिष्ट होंगी, और

(ग) यह कथन होगा कि कोई भी भूमिपति, जिसके स्वत्वों पर उक्त क्षेत्र को नियन्त्रित वन के रूप में संरचित करने से प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, ऐसी अवधि में, जो अधिसूचना में वर्णित होगी और जो अधिसूचना के दिनांक से तीन मास से कम न होगी, कलेक्टर को ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जो नियन्त्रित वन संरचित किया जा रहा हो, लिखित आपत्ति दे सकेगा।

(2) उक्त अधिसूचना की एक प्रतिलिपि की तामील भूमिपति पर विनिहित रीति से की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—खंड (ख) के प्रयोजनार्थ क्षेत्र की सीमाओं का वर्णन सड़कों, नदियों, पुलों (ridges) या अन्य अच्छी प्रकार से जाने बूझे या शीघ्र ही पहचाने जाने वाले सीमाबन्धों (boundaries) से करना पर्याप्त होगा।

21. आपत्तियों की सुनवाई.—(1) कलेक्टर विनिहित रीति से ऐसी कोई भी आपत्ति सुनेगा जो उसे धारा 20 के खण्ड (ग) के अधीन भेजी गई हो, और उस पर एक आदेश—

(क) उक्त आपत्तियों को रद्द करते हुए देगा; या

(ख) यह निदेश देते हुए देगा कि उक्त क्षेत्र को नियंत्रित वन संरचित करने का प्रस्ताव या तो उक्त समस्त क्षेत्र के या उस के ऐसे भाग के सम्बन्ध में, जो आदेश में विशिष्ट किया जाए, समाप्त कर दिया जाएगा।

(2) कोई भी ऐसा भूमिपति, जो उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर के या किसी भी वन-अधिकारी के या राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सामान्यतया या विशेषतया अधिकृत अन्य व्यक्ति के दिए गए आदेश से पीड़ित होता है, राज्यशासन को पुनरावृत्ति का एक प्रार्थनापत्र (revision application) दे सकेगा जिसका आदेश अन्तिम होगा।

(3) यदि धारा 20 के खंड (ग) के अधीन कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होती या यदि प्रस्तुत हुई हो और इस धारा के उपबन्धों के अधीन उसका अन्तिम निर्णय हो गया हो तो राज्यशासन, जहां उसका यह विचार हो कि धारा 20 के अधीन जारी की गई अधिसूचना

में समाविष्ट कोई भी क्षेत्र नियंत्रित वन संरचित कर दिया जाना चाहिए तो वह—

(क) यह घोषित करते हुए कि उक्त क्षेत्र को नियन्त्रित वन संरचित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) जहां तक ठीक हो सके उस क्षेत्र की स्थिति और सीमा निर्दिष्ट करते हुए ; और

(ग) उक्त सीमाओं में स्थित किसी भी क्षेत्र में या क्षेत्र पर या किसी भी वन उपज में या वन-उपज पर भूमिपति से अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कथित अधिकारों और उन के अस्तित्व, प्रकार और सीमा (existence, nature and extent) की परिपृच्छा और उन का निश्चय करने के लिए और इस अध्याय के अनुसार उनका प्रतिपादन(to deal with) करने के लिए एक बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा।

(4) उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त वन-बन्दोबस्त अधिकारी विनिहित रीति से भूमिपति को उस खंड में निर्दिष्ट परिपृच्छा (enquiry) में सुनवाई का मौका देगा।

22. वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा उद्घोषणा.—जब धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी हो, वन-बन्दोबस्त अधिकारी उस में स्थित क्षेत्र के पड़ोसी कस्बे और ग्राम (town and village) में एक उद्घोषणा प्रकाशित करेगा, जिसमें—

(क) जहां तक ठीक हो सके प्रस्तावित क्षेत्र की स्थिति (situation) और सीमाएं निर्दिष्ट होंगी;

(ख) उन परिणामों का व्याख्यात्मक विवरण होगा जो यहां से आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त क्षेत्र के नियन्त्रित वन संरचित कर दिये जाने पर भावी (ensue) होंगे ; और

(ग) एक अवधि नियत की जाएगी, जो उक्त उद्घोषणा के दिनांक से तीन मास से कम न होगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से, जो धारा 21 की उपधारा (3) में वर्णित भूमिपति के अधिकारों से अन्य कोई भी अधिकार मांगता हो, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह व्यक्ति उक्त अधिकार का प्रकार और उस सम्बन्ध में मांगे गए प्रतिधन (यदि कोई हो) की राशि और ब्योरे निर्दिष्ट करके उक्त अवधि के मध्य वन बन्दोबस्त अधिकारी को या तो एक लिखित नोटिस दे या उसके सन्मुख उपस्थित हो और उक्त विषयों के सम्बन्ध में विवरण दे।

23. वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा परिपृच्छा (enquiry).— वन बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे समस्त विवरणों को, जो धारा 22 के अधीन दिये गए हों, लिख लेगा और किसी सुविधायुक्त स्थान (convenient place) में उस धारा के अधीन उचित रूप से प्रस्तुत समस्त मांगों के सम्बन्ध में और भूमिपति के अधिकारों से अन्य धारा 21 की उपधारा (3) में वर्णित और धारा 22 के अधीन मांगे न गए अधिकारों के अस्तित्व के सम्बन्ध में परिपृच्छा करेगा, जहां तक कि

वे शासन के अभिलेखों और ऐसे व्यक्तियों के, जिन का उन से परिचित होना सम्भावित हो, साक्ष्य से निश्चित किए जा सकते हों।

24. वन बन्दोबस्त अधिकारी की शक्तियां.—उक्त परिपृच्छा के लिए वन बन्दोबस्त अधिकार निम्नलिखित शक्तियां प्रयोग में ला सकेगा, अर्थात्—

(क) किसी भी भूमि पर स्वयं प्रवेश करने की या किसी भी अधिकारी को उस पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकार देने की और उसका मापन करने, सीमांकन करने और नक्शा बनाने की शक्ति; और

(ख) वादों की अन्वीक्षा (trial) में दीवानी न्यायालय की शक्तियां।

25. चरागाह (pasture) या वन उपज (forest produce) के अधिकारों की मांगों पर आदेश.—चरागाह (pasture) या वन उपज (forest-produce) के अधिकारों की मांग प्रस्तुत होने की दशा में वन बन्दोबस्त अधिकारी धारा 26 और धारा 32 के उपबन्धों के प्रतिबन्धाधीन उनको सम्पूर्णतया या अंशरूप में स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए एक आदेश देगा।

26. वह रीति जिसके अनुसार वन बन्दोबस्त अधिकारी को आदेश देना चाहिए.—(1) धारा 25 के अधीन आदेश देते समय वन बन्दोबस्त अधिकारी—.

(क) अधिकार-धारियों (right holders) की एक सूची तैयार करेगा, जिस में प्रत्येक के पिता का नाम, जाति, निवासस्थान और काम धन्धे का ब्योरा होगा;

(ख) यह निश्चय करेगा कि धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित वन की इमारती लकड़ी (timber) और अन्य वन उपज का कितना भाग अधिकार धारियों (right holders) को आवंटित होगा;

(ग) इमारती लकड़ी (timber) और अन्य वन-उपज की उस अधिकतम मात्रा का निश्चय करेगा जिसे पाने का प्रत्येक अधिकार-धारी (right holder) हक़दार हो;

(घ) उन पशुओं, यदि कोई हो, की संख्या और प्रकार, जिन्हें मांग प्रस्तुत करने वाला समय समय पर उक्त क्षेत्र में चराने का अधिकारी हो और उस ऋतु का, जिस में उक्त चराई अनुमत हो, निश्चय करेगा;

(ङ) अधिकार-धारियों (right holders) की आवश्यकताओं के लिए क्षेत्र की ऐसी प्रदाय क्षमता का, जिससे कि उसके संरक्षण (conservation) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका न हो, ध्यान रखेगा।

(2) यह निश्चय करने में कि इमारती लकड़ी (timber) और अन्य वन उपज का कितना भाग अधिकार-धारियों (right holders) को आवंटित हो वन-बन्दोबस्त अधिकारी निम्नलिखित विषयों का ध्यान रखेगा :—

(क) तत्काल प्रचलित किसी भी विधि के अधीन तैयार किए गए और अन्तिम रूप से

प्रकाशित किसी भी अधिकार अभिलेख में की हुई प्रविष्टियां और उक्त विधि के अधीन उक्त प्रविष्टियों को दिया जाने वाला महत्व;

(ख) वन उपज की वह राशि, जो अधिकार-धारी (right holders) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र से अपने लिए इंधन या अन्य घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिये ले गये हों;

(ग) वे प्रयत्न, यदि कोई हों, जो कथित वन के आरक्षण या कथित परती भूमि (waste land) को उपयोग में लाने के लिए भूमिपतियों या अधिकार-धारियों (right holders) द्वारा समय समय पर किये गए हों;

(घ) अन्य कोई भी वस्तुएं, जो कथित क्षेत्र में भूमिपति और अधिकारधारियों (right holders) के क्रमशः अधिकारों (respective rights) को प्रदर्शित करती हों; और

(ङ) भूमि का परिमाण (extent of land), जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित न किया गया हो और अब भी अधिकार धारियों (right holders) के अधिकार-प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।

27. वन-संरक्षण के लिए आवश्यकता होने पर अधिकार निलम्बन.—किसी भी मांग पर धारा 25 के अधीन आदेश देते समय, यदि वन बन्दोबस्त अधिकारी की यह सम्मति हो कि वन-संरक्षण या सम्बन्धित परती भूमि उपयोगी बनाने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह मांग प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणित पूर्ण अधिकारों के प्रयोग की अनुमति देने के बदले यह आदेश दे सकेगा कि उक्त अधिकारप्रयोग सम्पूर्ण रूप से या अंश रूप से उतनी अवधि तक और उन शर्तों के प्रतिबन्धाधीन निलम्बित रहेंगे, जो आदेश में विशिष्ट की जाएं:

परन्तु वन अधिकारी के लिए पशुओं को चराने के पर्याप्त प्रबन्ध की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

28. अधिकार समाप्ति.—भूमिपति के अधिकारों से अन्य ऐसे अधिकार, जिन के विषय में धारा 22 के अधीन कोई भी मांग प्रस्तुत न की गई हो और जिनके अस्तित्व (existence) के सम्बन्ध में धारा 23 के अधीन परिपृच्छा (enquiry) होने के समय कुछ भी अवबोध न हुआ हो, समाप्त कर दिए जाएंगे, जब तक कि धारा 35 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने के पूर्व उन्हें मांगने वाला व्यक्ति वनबन्दोबस्त अधिकारी का यह समाधान नहीं करा देता कि धारा 22 के अधीन निश्चित अवधि के भीतर उक्त मांग प्रस्तुत न करने के लिए उस के सन्मुख पर्याप्त कारण उपस्थित थे।

29. पुनः संविदाओं की मनाही.—धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट वन या क्षेत्र का भूमिपति किसी भी व्यक्ति से उसको उक्त क्षेत्र से इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज या वृक्ष काटने, इकट्ठा करने या हटाने का

अधिकार प्रदान करते हुए कोई भी संविदा न करेगा और धारा 20 के अधीन कथित अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् उक्त रूप से किया गया कोई भी संविदा शून्य होगा :

परन्तु यह आयन्त्रण, अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए समाप्त हो जाएगा, यदि सम्बन्धित क्षेत्र को नियन्त्रित वन संरचित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया हो या क्षेत्र अन्ततः (eventually) एक नियन्त्रित वन संरचित कर दिया गया हो।

30. वृक्ष काटने की मनाही.—(1) धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी होने के समय या तत्पश्चात् किसी भी समय राज्यशासन एक आदेश दे सकेगा जिस से धारा 35 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक तक और उक्त आदेश में विशिष्ट प्रतिबन्धों और अपवादों (exceptions) के प्रतिबन्धाधीन उस क्षेत्र में, जिस के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना जारी की गई हो, किन्हीं भी वृक्षों या वृक्ष श्रेणियों को काटने, इकट्ठा करने और हटाने की मनाही कर सकेगा और किसी भी संविदा (contract), अनुदान (grant) या अधिकार अभिलेख (record of rights) में किसी बात के विपरीत होते हुए भी उक्त आदेश को पूरा किया जायगा :

परन्तु उक्त आदेश उस क्षेत्र पर प्रवृत्त नहीं किया जायगा, जिसे नियन्त्रित वन संरचित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया हो।

(2) उक्त प्रत्येक आदेश कथित क्षेत्र के पड़ोस में विनिहित रीति से प्रकाशित किया जायगा।

31. वन के ठेकेदारों की मांगों का प्रतिपादन करने की प्रक्रिया.—(1) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी होने से पूर्व भूमिपति के साथ किसी संविदा या भूमिपति द्वारा दिए गए अनुदान के अधीन, धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी भी प्रकार की वन उपज काटने, इकट्ठी करने, वहां से हटाने या वहां पशु चराने के अधिकार रखने की मांग प्रस्तुत करता है और जो उक्त अधिकार के नाश या संपरिवर्तन (loss or modification) के लिए प्रतिधन की मांग करता है, वन बन्दोबस्त अधिकारी वह राशि निश्चित करेगा जो उसकी सम्मति में उक्त मांगकर्ता (claimant) को प्रतिधन के रूप में दी जानी चाहिए, और उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह निदेश देगा कि उक्त रूप से निश्चित राशि, यदि कोई हो, मांगकर्ता को दे दी जाए।

(2) उक्त मांगकर्ता (claimant) को दी जाने वाली प्रतिधनराशि निश्चित करते समय वनबन्दोबस्त अधिकारी केवल निम्नलिखित विषयों का ही ध्यान रखेगा, अर्थात्—

(क) मांगकर्ता (claimant) द्वारा भूमिपति को की गई कोई भी चुकती ;

(ख) आयाकि उक्त चुकती उचित और विश्वस्त (reasonable and bonafide) चुकती भी थी या नहीं ;

(ग) आयाकि मांगकर्ता (claimant) और भूमिपति के बीच हुए किसी संविदा के अधीन या भूमिपति द्वारा किए गए किसी अनुदान के अधीन मांगकर्ता (claimant) द्वारा उस के अधिकारों के प्रयोग से धारा 7 के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन हो सकता था या नहीं ;

(घ) वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज काटने इकट्ठी करने या हटाने के लिए मांगकर्ता (claimant) द्वारा उचित रूप से किया गया कोई भी व्यय;

(ङ) मांगकर्ता (claimant) द्वारा या उसकी अनुमति से काटे गए, इकट्ठे किए गए या हटाए गए वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज का मूल्य ।

(3) प्रतिधन नकदी के रूप में चुकाने का निदेश देने के स्थान पर वन बन्दोबस्त अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि मांगकर्ता (claimant) को कथित क्षेत्र से इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज उतनी संख्या तक काटने, इकट्ठी करने और हटाने की अनुमति होगी, जिसका मूल्य वन-बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निश्चित राशि से न बढ़े ।

(4) मांगकर्ता (claimant) वनअधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों (instructions) में या नियमों में विशिष्ट की जा सकने वाली रीति और समयों और कथित क्षेत्र के भागों से अन्यथा कोई इमारती लकड़ी (timber) या अन्य प्रकार की वन उपज नहीं काटेगा, इकट्ठी न करेगा या नहीं हटाएगा ।

(5) वन अधिकारी यह निश्चय करेगा कि मांगकर्ता (claimant) ने उपधारा (3) में वर्णित कुल मूल्य (aggregate value) के बराबर वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन-उपज कब काट ली है, इकट्ठी कर ली है और हटा ली है। वन अधिकारी का यह निश्चय ऐसे किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए, जो उस की पुनरावृत्ति में कर्मकारी योजना मन्डल (working plan circle) का वनसंरक्षक (conservator of forest) दे सकेगा, अन्तिम होगा ।

32. धारा 25, या धारा 31 के अधीन दिए गए आदेशों पर अपील.—ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिस ने धारा 25 या धारा 31 के अधीन मांग (claim) प्रस्तुत की हुई हो या कोई भी वन अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे राज्यशासन द्वारा इस हेतु सामान्यतः या विशेषतः अधिकृत किया गया हो, धारा 25 या धारा 27 या धारा 31 के अधीन वन-बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के दिनांक से तीन महीने के भीतर उक्त आदेश पर विनिहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा ।

33. धारा 32 के अधीन अपील.—(1) धारा 32 के अधीन प्रत्येक अपील याचिका द्वारा लिखित रूप में की जाएगी और वन बन्दोबस्त अधिकारी को दी जा सकेगी, जो उसे उक्त धारा में निर्दिष्ट विनिहित प्राधिकारी के पास अविलम्ब भेज देगा ।

(2) वन-बन्दोबस्त अधिकारी से प्राप्त अपील की याचिका (petition of appeal) की सुनवाई ऐसी रीति से की जायगी, जैसी भूराजस्व से सम्बन्धित विषयों में अपीलों की सुनवाई के लिए तत्कालार्थ व्यवस्थित हो ।

34. वे व्यक्ति जो उपस्थित होने वकालत करने (plead) और कार्य करने के लिए अधिकृत हैं.—राज्यशासन या ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिस ने इस अधिनियम के अधीन मांग प्रस्तुत की हो या आपत्ति प्रस्तुत की हो, इस अधिनियम के अधीन किसी परिपृच्छा, सुनवाई या अपील के मध्य कलेक्टर या वनबन्दोबस्त अधिकारी या अपीलन्यायालय (appellate court)

के सन्मुख अपने स्थान पर उपस्थित होने, वकालत करने (plead) या कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

35. भूमि को नियन्त्रित वन घोषित करने की अधिसूचना.—(1) जब निम्नलिखित घटनाएं घट चुकी हों, अर्थात् :—

(क) मांग प्रस्तुत करने के लिए धारा 22 के अधीन निश्चित अवधि समाप्त हो गई हो और धारा 22 तथा 31 के अधीन की गई समस्त मांगों का, यदि कोई हों वन-अधिकारी ने निर्णय कर दिया हो; और

(ख) यदि कोई ऐसी मांगें की गई हों और उक्त मांगों पर दिए गए आदेशों पर अपील करने के लिए धारा 32 द्वारा सीमित अवधि समाप्त हो जाय और उक्त अवधि के भीतर की गई समस्त अपीलों का, यदि कोई हों, अपील अधिकारी (appellate officer) ने निर्णय कर दिया हो

राज्यशासन राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगा, जिस में वह निर्मित सीमा चिन्हों के अनुसार या अन्यथा निश्चित रूप से उस क्षेत्र की सीमाएं विशिष्ट करेगा, जिसे नियन्त्रित वन संरक्षित करना है और अधिसूचना में निश्चित दिनांक से उसे नियन्त्रित वन घोषित किया जाएगा और उक्त रूप से निश्चित किए गए दिनांक से वह वन नियंत्रित वन समझा जायगा:

परन्तु यदि किसी ऐसे क्षेत्र की दशा में, जिस के सम्बन्ध में धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, राज्यशासन का यह विचार हो कि इस अध्याय में निर्दिष्ट परिपृच्छाओं (enquiries), प्रकिया तथा अपीलों में इतना दीर्घ समय लगेगा जिस के मध्य वनसंरक्षण (conservation of forest) को किसी प्रकार की हानि पंहुचने की सम्भावना हो तो राज्यशासन उक्त परिपृच्छाओं, प्रकिया और अपीलों की समाप्ति हो जाने तक उक्त क्षेत्र को नियंत्रित वन घोषित कर सकेगा किन्तु वह ऐसा नहीं करेगा, जिस से कि किसी भी विद्यमान अधिकार पर, धारा 29 और धारा 30 में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर, प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(2) राज्यशासन द्वारा उपधारा (1) के परादिक के अधीन, किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में की गई कोई भी घोषणा धारा 21 के अधीन दिए गए उस अन्तिम आदेश के, जिस में यह निदेश दिया गया हो कि उक्त क्षेत्र को नियंत्रित वन संरक्षित करने का प्रस्ताव (proposal) समाप्त कर दिया है, या उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश के दिनांक से प्रभावी नहीं रहेगी।

36. वन के समीप उक्त अधिसूचना का प्रकाशन.—उक्त अधिसूचना द्वारा निश्चित दिनांक से पूर्व वन-अधिकारी उसकी एक प्रतिलिपि वन के समीप के प्रत्येक कस्बे और ग्राम (town and village) में प्रकाशित करवाएगा।

अध्याय 4

नियंत्रित वनों का नियंत्रण और प्रबन्ध और वन अधिकारियों की शक्तियां

37. नियन्त्रित वनों का नियन्त्रण और उनका प्रबन्ध राज्यशासन में निहित होगा.—प्रत्येक नियन्त्रित वन का नियन्त्रण और उसका प्रबन्ध राज्यशासन में निहित होगा।

38. नियन्त्रित वनों के लिए वन अधिकारियों की नियुक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक नियन्त्रित वन या उसके किसी विशिष्ट भाग के प्रयोजनार्थ एक वन अधिकारी नियुक्त करेगा।

39. वन अधिकारियों को कुछ शक्तियां प्रदान करने की शक्ति.—राज्यशासन निम्न लिखित समस्त शक्तियां या उन में से कोई सी भी शक्ति किसी भी वन अधिकारी को दे सकेगा, अर्थात्:—

(क) भूमि पर प्रवेश करने, उसका सर्वे (survey) करने, सीमांकन करने और नक्शा बनाने की शक्ति;

(ख) गवाहों की उपस्थिति और प्रलेख तथा भौतिक वस्तुएं (material objects) प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्ति; और

(ग) वन अधिकारियों के सम्बन्ध में परिपृच्छा करने और ऐसी परिपृच्छा के मध्य साक्ष्य लेने और उसे अभिलिखित करने की शक्ति।

40. नियन्त्रित वनों का सीमांकन (demarcation).—वन अधिकारी, उस नियन्त्रित वन या नियन्त्रित वन के उस भाग का, जिस के लिए उसे नियुक्त किया गया हो, ऐसी रीति से सीमांकन करेगा जो उस प्रकरण में परिस्थिति अनुसार आवश्यक प्रतीत हो।

41. वह परिमाण (extent) जिस तक भूमिपति को नियन्त्रित वन से इमारती लकड़ी (timber) और अन्य उपज हटाने की अनुमति दी जा सकेगी.—किसी नियन्त्रित वन के लिए नियुक्त वन अधिकारी, वन के लिए तैयार की गई किसी भी कर्मकारी योजना (working plan) की आवश्यकताओं (requirements) के प्रतिबन्धाधीन, उक्त वनों के भूमिपति को, उनसे उतने परिमाण तक वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज काटने, इकट्ठा करने या हटाने की अनुमति देगा, जितनी वन अधिकारी की सम्मति में भूमिपति की उचित कृषि सम्बन्धी या घरेलू आवश्यकताओं के लिए अपेक्षणीय हों।

42. नियन्त्रित वन से समस्त आय राज्यशासन प्राप्त करेगा तथा उस का समस्त व्यय उठाएगा.—राज्यशासन नियन्त्रित वन के कार्य और प्रबन्ध से प्राप्त समस्त आय प्राप्त करेगा और उक्त वन के कार्य और प्रबन्ध में किए गए समस्त व्यय चुकाएगा, और ऐसे वन का भूमिपति या अन्य व्यक्ति, किसी भी ऐसे व्यय में, जो राज्यशासन उक्त कार्य या प्रबन्ध के लिए करना आवश्यक समझे, कोई भी आपत्ति करने का हकदार नहीं होगी।

43. आय और व्यय का लेखा रखना। — राज्यशासन या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त कोई भी प्राधिकारी प्रत्येक नियन्त्रित वन के कार्य और प्रबन्ध का विनिहित रीति से आय और व्यय का लेखा रखेगा और वार्षिक लेखे का सार (abstract) उक्त वन के भूमिपति को देगा।

44. भूमिपति को नियन्त्रित वन के लिये भत्तों और उसके शुद्धलाभों (allowances and net profits) की चुकती।—(1) किसी भी नियन्त्रित वन पर अपने नियन्त्रण और प्रबन्ध की अवधि के मध्य विनिहित कालान्तरों पर राज्यशासन निम्नलिखित क्षेत्रों के भूमिपतियों को निम्नलिखित राशियां चुकाएगा :—

1. वन—

(क) एक भत्ता जो वन अधिकारी द्वारा निश्चित वन के कुल क्षेत्रफल पर चार आने प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से या आठ आने प्रति एकड़ प्रति वर्ष से अनधिक उस से ऊंची ऐसी दर से आगणित हुआ हो, जो वन अधिकारी द्वारा, समय समय पर, सामान्य या विशेष आदेश से निश्चित की जाए ; और

(ख) शुद्ध लाभ, यदि कोई हों, जो वन के कार्य और प्रबन्ध से प्राप्त हुए हों, दस प्रतिशत प्रबन्ध व्यय के रूप में घटा कर, स्वामी को चुका दिए जाएंगे।

2. परती भूमि—

(क) किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं चुकाया जाएगा;

(ख) जब किसी उक्त भूमि पर राज्यशासन द्वारा वन लगाने में वहन किया गया समस्त व्यय वसूल हो जाए तो उक्त भूमि का नियन्त्रण वन अधिकारी में निहित रहने की अवधि तक उक्त वन लगाने के फलस्वरूप होने वाले लाभ दस प्रतिशत प्रबन्ध-व्यय के रूप में घटा कर स्वामी को चुका दिए जाएंगे।

(2) शुद्ध लाभों का आगणन करने के प्रयोजनार्थ, वन के कार्य और प्रबन्ध पर किए गए समस्त व्यय, लेखे के दिनांक तक कार्य और प्रबन्ध से प्राप्त समस्त आय में समायोजित कर दिए जाएंगे, और उस में जो कोई भी न्यूनता हो वह प्रतिवर्ष तब तक अगले खाते में ब्याज के बिना दिखाई जाएगी, जब तक कि उक्त राशि पूरी न हो जाए और अतिरेक (surplus) न हो जाए।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ—

(क) समस्त व्यय में, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सम्बन्धित भूमिपति को चुकाया गया भत्ता और धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिधन के रूप में और निश्चित कोई भी राशि या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन वन से ली गई किसी भी वस्तु का मूल्य सम्मिलित होगा; और

(ख) समस्त आय में, वन के सम्बन्ध में या उस वन की वन-उपज के सम्बन्ध में भूमिपति क ड़ कर अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए वन अपराधों में अपहरण

(confiscation) या जब्ती (forfeiture) से प्राप्त राशियां (proceeds) सम्मिलित होंगी, किन्तु उक्त प्राप्तियों (proceeds) में से निम्नलिखित राशियां घटा दी जाऐगी: —

(अ) उक्त प्राप्तियों (proceeds) में से सूचना देने वाले व्यक्तियों और अधिकारियों को दिए गए पारितोषिक, यदि कोई हों; और

(आ) ऐसे आनुषंगिक व्यय (incidental expenses), जैसे वन अधिकारी द्वारा निश्चित किए जाए, जिस में जब्त या अपहृत वन-उपज या वस्तुएं रखने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और बेचने के लिए किए गए व्यय भी सम्मिलित हैं।

45. अधिकारधारियों के अधिकारों का प्रयोग नियमों के अनुसार किया जाएगा.— नियन्त्रित वन में अधिकार-धारियों के अधिकारों का प्रयोग नियमों के अनुसार किया जायगा।

46. प्रबन्ध हेतु वनों का वर्गीकरण (grouping).—वन अधिकारी वनों का कुशलतर प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए यह आदेश दे सकेगा कि उस के नियंत्रणाधीन एक से अधिक ग्रामों में और एक से अधिक भूमिपतियों के अधीन नियन्त्रित वन परस्पर वर्गित कर दिए जाएंगे।

47. वार्षिक वर्ग पद्धति.—(1) जब वन अधिकारी ने धारा 46 के अधीन नियन्त्रित वन के वर्गीकरण का आदेश दे दिया हो तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि नियन्त्रित वन में अधिकारधारियों के अधिकारों का प्रयोग ऐसे वर्ग के ऐसे भाग में किया जाएगा, जैसा कि वह आदेश दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश देते समय वन अधिकारी, जहां तक सम्भव हो सके, नियन्त्रित वन के कुशल प्रशासन और संरक्षण (conservation) पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, अधिकार धारियों की सुविधाओं का ध्यान रखेगा।

48. अधिकार-धारी के अधिकारों का वह सीमा, जो वन अधिकारी द्वारा परिवर्तित की जाएगी.—जब नियंत्रित वन की उपज में किसी अधिकार धारी का भाग किसी वर्ष में अधिकार धारियों की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो तो वन अधिकारी उस वर्ष के लिए उक्त उपज की ऐसी राशि निश्चित करेगा, जो प्रत्येक अधिकार धारी नियमों के अनुसार ले सकेगा।

49. नियंत्रित वन से नियन्त्रण हटाना. —(1)राज्यशासन, अधिसूचना द्वारा किसी भी समय, यह घोषित कर सकेगा कि इस अध्याय के उपबन्ध अधिसूचना में विशिष्ट किए जा सकने वाले दिनांक से नियन्त्रित वन पर प्रवर्तनीय नहीं रहेंगे, और उक्त दिनांक से वह वन नियन्त्रित वन नहीं रहेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक को, धारा 43 के अधीन तैयार किए गए, आय और व्यय के लेखे के संतुलन पत्र (balance sheet of the revenue and expenditure account) से यह प्रदर्शित हो कि उक्त वन के प्रबन्ध और कार्य के सम्बन्ध में राज्यशासन को राशि देय है तो ऐसी राशि स्वामी से इस प्रकार वसूल की जाएगी जैसा कि राज्यशासन द्वारा सामान्यतः या विशेषतः निश्चित किया जाए।

अध्याय 5

शास्तियां और प्रकिया

50. वन-अपराध.—जो भी व्यक्ति वन अधिकारी की लेखबद्ध अनुमति के बिना या इस अधिनियम या इस के अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में—

(क) नियन्त्रित वन में किसी वृक्ष को गिराता है, उस के इर्द गिर्द खाई खोदता है (girdles), उसे क़लम करता है, उस में छेद करता है, उसे जलाता है या उस से खाल या पत्ते निकालता है, या उक्त किसी भी वृक्ष को अन्य प्रकार से हानि पहुंचाता है ; या

(ख) नियन्त्रित वन से निर्माण विधि (manufacturing process) के अधीन रहते हुए खान से कोई पत्थर निकालता है या किसी प्रकार की चूने या कच्चे कोयले की भट्टी लगाता है या कोई वन उपज इकट्ठी करता है या हटाता है ; या

(ग) नियन्त्रित वन में किसी भी भूमि को काश्त के लिये या किसी अन्य प्रयोजन से खोदता है या साफ़ करता है ; या

(घ) नियन्त्रित वन में आग लगाता है या उक्त वन के किसी भाग में आग का फैलाव रोकने के समस्त उचित पूर्वोपाय (reasonable precautions) किए बिना आग जलाता है ; या

(ङ) नियन्त्रित वन में पशुओं द्वारा किसी भी वृक्ष को हानि पहुंचाने देता है ;

वह छः महीने से अनधिक अवधि के कारावास दण्ड, या पांच सौ रुपए से अनधिक अर्थदण्ड, या दोनों प्रकार के दंड का भागी होगा।

51. नियम भंग के लिए शास्तियां.—किसी भी ऐसे नियम का, जिस के लिए इस अधिनियम द्वारा किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की शास्ति की व्यवस्था नहीं की गई है, उल्लंघन करने वाला व्यक्ति एक महीने से अनधिक अवधि के लिए कारावास या एक सौ रुपए से अनधिक अर्थदण्ड या दोनों प्रकार के दण्ड का भागी होगा।

52. सम्पत्ति की ज़ब्ती अपहरणीय हो सकेगी.—(1) जब यह समझ लेने के लिए कारण उपस्थित हो कि किसी वनउपज के सम्बन्ध में वनअपराध किया गया है तो ऐसा अपराध करने के प्रयोग में लाए गए समस्त औज़ारों, नावों, छकड़ों या पशुओं समेत, यदि वे उस नियन्त्रित वन के भीतर पाए जाएं, जिस में अपराध किया गया है, उक्त उपज किसी भी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी भी सम्पत्ति को ज़ब्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी यह बतलाते हुए उक्त सम्पत्ति पर एक चिन्ह लगा देगा कि वह इस प्रकार से ज़ब्त की गई है, और यथासम्भव शीघ्र, ऐसी ज़ब्ती की रिपोर्ट ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास करेगा, जो उस अपराध की अन्वीक्षा करने में अधिकारक्षेत्र सम्पन्न हो, जिस के आधार पर ज़ब्ती की गई है ।

53. तदुपरान्त प्रक्रिया.—धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन की गई किसी रिपोर्ट के मिलने पर मैजिस्ट्रेट जितनी जल्दी सुविधापूर्वक हो सके, ऐसे उपाय करेगा जैसे विधि अनुसार अपराधी की गिरफ़्तारी (apprehension) और उसकी अन्वीक्षा करने, और ज़ब्त की गई सम्पत्ति की व्यवस्था (disposal) के लिए आवश्यक हों ।

54. धारा 52 के अधीन ज़ब्त की गई सम्पत्ति को मुक्त करने की शक्ति.—कोई भी वन अधिकारी, जिसकी पदवी ऐसे रेंजर (ranger) की पदवी से कम न हो, जिस ने या जिस के अधीनस्थ (subordinate) किसी कर्मचारी ने धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन कोई औज़ार, नावें, छकड़े या पशु ज़ब्त किए हों, ज़ब्त सम्पत्ति को मुक्त कर सकेगा, जब उनके स्वामी ने उक्त रूप से ज़ब्त की गई सम्पत्ति को, यदि और जब वैसी अपेक्षा की जाए, उस मैजिस्ट्रेट के सन्मुख प्रस्तुत करने के लिए एक बन्ध निष्पादित कर दिया हो, जो उस अपराध की अन्वीक्षा करने में अधिकारक्षेत्रसम्पन्न हो, जिस के आधार पर ज़ब्ती की गई है ।

55. वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber), वन उपज, औज़ार इत्यादि कब अपहृत हो सकेंगे.—(1) ऐसे समस्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज, जिन के सम्बन्ध में वन अपराध किया गया हो, और किसी भी वन अपराध करने में प्रयोग किए गए समस्त औज़ार, नावें, छकड़े और पशु अपहरणीय होंगे ।

(2) उक्त अपहरण, ऐसे अपराध के लिए विनिहित किए गये किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त हो सकेगा ।

56. वन अपराध की अन्वीक्षा की समाप्ति पर, उस उपज की व्यवस्थापना जिस के सम्बन्ध में अपराध किया गया था.—जब किसी भी अपराध की अन्वीक्षा समाप्त हो जाए, ऐसा कोई भी वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज, जिस के सम्बन्ध में उक्त अपराध किया गया था, यदि अपहृत की गई हो तो वह वन अधिकारी द्वारा संभाली जाएगी और किसी भी अन्य दशा में ऐसी रीति से व्यवस्थापित कर दी जाएगी जो न्यायालय नियमों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए निदेशित करे ।

57. ऐसी स्थिति में प्रक्रिया जब यह मालूम न हो कि अपराधी कौन है या अपराधी ढूंढा न जा सकता हो.—ऐसी स्थिति में जब यह मालूम न हो कि अपराधी कौन है या अपराधी ढूंढा न जा सकता हो तो मैजिस्ट्रेट यदि यह निर्णय करता है कि अपराध किया गया है, अपराध-सम्बन्धी सम्पत्ति को अपहृत करने और वन अधिकारी द्वारा संभालने, या ऐसे व्यक्ति को दे देने, जिसे मैजिस्ट्रेट उसे लेने के लिए अधिकृत समझे, आदेश दे सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक उक्त सम्पत्ति जब्त करने के दिनांक से एक मास न बीत जाय या उस पर अधिकार रखने की मांग (claim) करने वाले व्यक्ति की, यदि कोई हो, सुनवाई न कर ली जाय और ऐसा साक्ष्य, यदि कोई हो, न ले लिया जाय, जिसे वह अपनी मांग (claim) के पक्ष में प्रस्तुत कर सके।

58. धारा 52 के अधीन जब्त की गई जल्दी नष्ट हो जाने वाली (perishable) सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया.—मैजिस्ट्रेट, यहां से पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन जब्त की गई, शीघ्र और अपने आप नष्ट हो सकने वाली किसी भी सम्पत्ति के विक्रय का निदेश दे सकेगा और प्राप्तियों (proceeds) के सम्बन्ध में ऐसा संव्यवहार कर सकेगा जैसा वह उक्त सम्पत्ति की दशा में करता, यदि उस का विक्रय हुआ ही न होता।

59. धारा 55 से धारा 57 के अधीन दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील.—वह अधिकारी जिस ने धारा 52 के अधीन जब्ती की हो या कोई भी प्रवर कर्मचारी, या उक्त रूप से जब्त की गई सम्पत्ति में स्वत्व की मांग (claim) करने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 55 से धारा 57 के अधीन दिये गये किसी भी आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर, यथास्थिति, छोड़ने के आदेश (order of acquittal) या अपराधी ठहराये जाने के आदेश (order of conviction) के विरुद्ध, ऐसे न्यायालय के पास अपील कर सकेगा, जिस के पास उक्त मैजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध साधारणतया अपील की जा सकती हो और इस प्रकार की गई अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा।

60. वह दशा जिस में सम्पत्ति राज्य में निहित होगी.—यथास्थिति, जब धारा 55 या धारा 57 के अधीन किसी सम्पत्ति के अपहरण के लिये आदेश दे दिया गया हो और उक्त आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिये धारा 59 में विनिहित अवधि समाप्त हो जाय और ऐसी कोई भी अपील न की गई हो या अपील किये जाने पर अपील न्यायालय उक्त आदेश को समस्त उक्त सम्पत्ति या उस के भाग के सम्बन्ध में पुष्ट कर देता है, तो यथास्थिति, उक्त सम्पत्ति या उस का उक्त भाग, सब भारबोधों से मुक्त हो कर, राज्य के प्रयोजनार्थ शासन में निहित हो जायगा।

61. जब्त की गई सम्पत्ति को मुक्त करने की शक्ति के सम्बन्ध में अपवाद.—यहां से पहले दी गई कोई भी बात, राज्यशासन द्वारा इस हेतु अधिकृत किसी अधिकारी को धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन जब्त की गई किसी सम्पत्ति को किसी भी समय तत्काल मुक्त करने का आदेश देने में बाधा डालने वाली नहीं समझी जायगी।

62. वृक्षों और इमारती लकड़ी (timber) पर लगे चिन्हों में जालसाज़ी करने या उन्हें बिगाड़ने के लिये और सीमांकन में अपरिवर्तन करने के लिये शास्ति.—जो कोई भी सर्वसाधारण या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने या क्षति पहुंचाने या इंडियन पीनल कोड (Indian Penal Code) में परिभाषित अवैध लाभ उठाने के अभिप्राय से—

(क) जान बूझ कर, किसी इमारती लकड़ी (timber) या खड़े वृक्ष पर जालसाज़ी से ऐसा

चिन्ह लगाता है, जिस का प्रयोग वन अधिकारी यह प्रकट करने के लिए करते हैं कि उक्त इमारती लकड़ी (timber) या वृक्ष नियन्त्रित वन का है या किसी व्यक्ति की सम्पत्ति है या यह किसी व्यक्ति द्वारा विधिवत् रूप से काटी जा सकेगी या हटाई जा सकेगी ;

(ख) नियन्त्रित वन में किसी वृक्ष या उक्त वन में पड़ी हुई इमारती लकड़ी (timber) या उक्त वन से वन अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उस के अधीन हटाई गई इमारती लकड़ी (timber) पर निर्मित किसी उक्त चिन्ह में आपरिवर्तन करता है, उसे बिगाड़ता है या मिटाता है ; या

(ग) किसी नियन्त्रित वन के किसी भी सीमा चिन्ह में आपरिवर्तन करता है, उसे इधर उधर करता है, नष्ट करता है या बिगाड़ता है ;

वह दस महीने तक के कारावास दण्ड या अर्थदण्ड या दोनों प्रकार के दण्ड का भागी होगा।

63. बिना वारन्ट (warrant) के गिरफ़्तार करने की शक्ति.— जब किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में युक्त रूप से यह शंका हो कि उस ने ऐसा वन अपराध किया है जिस में एक महीने या इस से अधिक अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जा सकता है और वह वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी के पूछने पर अपना नाम बताने और पता देने से इन्कार करता है और ऐसा नाम बताता है या ऐसा पता देता है जिसे झूठा समझने के लिए उक्त अधिकारी के पास कारण उपस्थित हों तो उसे उक्त अधिकारी द्वारा इस लिए गिरफ़्तार कर लिया जायगा ताकि उस का नाम और पता निश्चित किया जा सके।

(2) जब उक्त व्यक्ति का वास्तविक नाम और पता निश्चित कर लिया जाय तो उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि उसकी गिरफ़्तारी के समय से चौबीस घण्टे के भीतर उक्त व्यक्ति का वास्तविक नाम और पता निश्चित नहीं किया जाता तो उसे अधिकारक्षेत्रसम्पन्न सब से समीप के मैजिस्ट्रेट के पास तुरन्त भेज दिया जायगा।

64. अपराध किए जाने (commission of offence) की रोकथाम की शक्ति.—प्रत्येक वनअधिकारी और पुलिसअधिकारी, किसी भी वनअपराधकर्म (commission of any forest offence) को रोक सकेगा, और उस को रोकने के प्रयोजनार्थ हस्तक्षेप कर सकेगा।

65. अपराध अभिसन्धित करने की शक्ति.—(1) राज्यशासन अधिसूचना द्वारा वन अधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अधिकृत कर सकेगा :—

(क) जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में युक्त रूप से यह शंका हो कि उसने, धारा 62 या धारा 63 में विशिष्ट किसी वन अपराध को छोड़ कर, वन अपराध किया है, उस से ऐसे अपराध के लिये, जिस के सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति द्वारा होने की शंका है, प्रतिधन के रूप में धन राशि स्वीकार करना ; और

(ख) ऐसी किसी सम्पत्ति को, जिसे जब्त किया गया है और जो अपहरणीय हो, उक्त अधिकारी द्वारा उसका आगणित मूल्य चुकाने के उपरान्त उसे मुक्त करना।

(2) उक्त अधिकारी को, यथास्थिति, उक्त धन राशि या उक्त मूल्य चुकाने के उपरान्त ऐसा व्यक्ति जिस पर शक हो, यदि हवालात में हो तो छोड़ दिया जाएगा और जब्त की गई सम्पत्ती, यदि कोई हो, मुक्त कर दी जायगी और उक्त व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध फिर कोई भी कार्यवाही नहीं की जायगी।

(3) रेन्जर से कम पदवी का कोई भी वन अधिकारी इस धारा के अधीन शक्तिसम्पन्न नहीं बनाया जाएगा और वह धन राशि जो उपधारा (1) के खन्ड (क) के अधीन प्रतिधन के रूप में स्वीकार की जा सकेगी किसी भी दशा में पचास रुपए से अधिक नहीं होगी।

66. यह अनुमान (presumption) कर लेना कि वन उपज नियन्त्रित वनों की है.—जब कभी किसी वन-अपराध के सम्बन्ध में यह प्रश्न उत्पन्न हो कि नियन्त्रित वन की सीमाओं के भीतर जब्त किये गए वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वनउपज उक्त वन की है या नहीं, तो उस समय पर्यन्त यह अनुमान कर लिया जायगा (shall be presumed) कि उक्त वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य प्रकार की वन उपज उक्त वन की है, जब तक इस के विपरीत प्रमाणित न हो जाए।

अध्याय 6

पशुओं का अनधिकार प्रवेश

67. कैटल ट्रैसपास ऐक्ट, 1871 (Cattle Tresspass Act, 1871) की प्रयुक्ति.—नियन्त्रित वन के किसी भी भाग में अनधिकार प्रवेश करने वाले पशुओं के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने कैटल ट्रैसपास ऐक्ट, 1871 (Cattle Tresspass Act, 1871) की धारा 11 के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक वृक्षस्थल (public plantation) को हानि पहुंचाई है, और उक्त कोई भी पशु किसी भी वनअधिकारी या पुलिसअधिकारी द्वारा पकड़ा जा सकेगा और फाटक में भेजा जा सकेगा (may be impounded)।

68. कैटल ट्रैसपास ऐक्ट, 1871 (Cattle Tresspass Act, 1871) के अधीन निश्चित अर्थदण्ड में आपरिवर्तन करने की शक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कैटल ट्रैसपास ऐक्ट, 1871 (Cattle Tresspass Act, 1871) की धारा 12 के अधीन निश्चित अर्थदण्ड की बजाय, इस अधिनियम की धारा 67 के अधीन फाटक में भेजे गए प्रत्येक पशु (each head of cattle impounded) के लिए ऐसे अर्थदण्ड आरोपित किए जाएंगे जैसे वह उचित समझे।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

69. वन अधिकारी लोक सेवक (public servants) समझे जाएंगे.—सब वन

अधिकारी इन्डियन पीनल कोड (Indian Penal Code) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक (public servants) समझे जाएंगे।

70. वनअधिकारी व्यापार (trade) नहीं करेंगे.—केवल उस दशा को छोड़ कर, जिस में राज्यशासन की लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई हो, कोई भी वन अधिकारी प्रधान (principal) या अभिकर्ता (agent) के रूप में वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वनउपज का व्यापार नहीं करेगा या किसी भी वन के किसी भी पट्टे में या किसी भी वन में कार्य करने के लिए किसी भी संविदा में दिलचस्पी नहीं रखेगा या दिलचस्पी नहीं लेगा।

71. वादों और अन्य कार्यवाहियों पर रुकावट. जब किसी वन के सम्बन्ध में धारा 20 के अधीन या धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी कर दी गई हो या जब धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन आदेश दे दिया गया हो तो उस दशा को छोड़ कर, जब इस अधिनियम में किसी अन्य स्थान पर व्यवस्था की गई हो, किसी भी दीवानी न्यायालय, दण्ड न्यायालय या माल न्यायालय में—

(क) किसी भी उक्त संपरिवर्तन या आदेश के फलस्वरूप या किसी भी अधिकार को, जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी संविदा द्वारा या अन्यथा उक्त वन में प्रयोग करने का अधिकारी था, धारा 28 या धारा 29 द्वारा आयन्त्रित किये जाने के फलस्वरूप किसी भी संपरिवर्तन, निलम्बन या समाप्ति के सम्बन्ध में;

(ख) वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा धारा 25, धारा 27 या धारा 31 के अधीन दिए गए किसी भी आदेश या धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन की गई अपील या पुनरावृत्ति में दिए गए किसी आदेश में रूपभेद या उसे रद्द करने के लिए;

(ग) राज्यशासन या शासन के किसी भी कर्मचारी के ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो नियन्त्रित वन में राज्यशासन द्वारा या शासन के उक्त कर्मचारी द्वारा उस समय किया गया था या नहीं किया गया था जब उक्त वन राज्यशासन के नियन्त्रण या प्रबन्ध में था या उक्त वन के प्रबन्ध और कार्य के सम्बन्ध में भूमिपति द्वारा देय रूप में मांगे गए किसी भी लाभ के सम्बन्ध में; और

(घ) ऐसे किसी भी कार्य के सम्बन्ध में, जो शासन के किसी भी कर्मचारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त या आरोपित किसी भी कर्तव्य के सम्पादन या शक्ति के प्रयोग में सद्भावपूर्वक किया गया हो या जो सद्भाव से किया जाना अभिप्रेत था;

कोई भी वाद नहीं चलाया जायगा या अन्य कार्यवाहियां न की जाएंगी और न ही उक्त न्यायालय उन के सम्बन्ध में कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करेंगे।

72. वे व्यक्ति जो वनअधिकारियों और पुलिसअधिकारियों की सहायता करने के लिए बद्ध होंगे.—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियन्त्रित वन में किसी भी अधिकार का प्रयोग

करता है या जिसे उक्त वन से कोई वन उपज हटाने, या उक्त वन में वृक्ष काटने या उक्त वन से इमारती लकड़ी (timber) हटाने या उक्त वन में पशु चराने की अनुमति है और उक्त वन के प्रतिस्पर्शी (contiguous) किसी भी ग्राम में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो शासन द्वारा वृत्ति-युक्त है या समुदाय (community) को सेवा करने के लिए शासन से परिलाभ (emoluments) प्राप्त करता है, सब से समीप के वनअधिकारी या पुलिसअधिकारी को अनावश्यक विलम्ब रहित ऐसी कोई भी सूचना प्रदान करने के लिए बद्ध होगा, जो उसे किसी वन अपराध के किए जाने के या अपराध करने के अभिप्राय के सम्बन्ध में मालूम हो। और चाहे किसी वनअधिकारी या पुलिसअधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए या न की जाए वह तत्काल निम्नलिखित कार्य करने का उपाय करेगा :—

(क) उक्त वन में कोई ऐसी वनाग्नि बुझाना जो उसे ज्ञात हो या जिस की सूचना उसे मिल गई हो;

(ख) उक्त वन के समीप किसी ऐसी अग्नि को, जो उसे ज्ञात हो या जिस की सूचना उसे प्राप्त हो गई हो, अपनी शक्ति के भीतर किसी भी वैधिक साधन द्वारा उक्त वन में फैलने से रोकना, और किसी भी वनअधिकारी या पुलिसअधिकारी द्वारा सहायता मांगे जाने पर उन्हें सहायता देना;

(ग) उक्त वन में किसी भी वन अपराध के किये जाने की रोकथाम; और

(घ) जब यह समझ लेने के लिए कारण उपस्थित हो कि उक्त वन में उक्त अपराध किया गया है तो अपराधी को खोज और उस की गिरफ्तारी।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उक्त कार्य करने के लिए बद्ध है और वैध कारण (lawful excuse) के बिना, जिसे प्रमाणित करने का भार उक्त व्यक्ति के ऊपर होगा, निम्नलिखित कार्य नहीं कर पाता है :—

(क) सब से समीप के वनअधिकारी या पुलिसअधिकारी को उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना अनावश्यक विलम्ब रहित प्रदान करना; या

(ख) नियन्त्रित वन में किसी वनाग्नि को बुझाने के लिए उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित कार्य करने का प्रयत्न करना; या

(ग) उक्त वन में किसी भी वन अपराध के किए जाने की रोकथाम के लिए किसी भी वन अधिकारी या पुलिसअधिकारी द्वारा सहायता मांगे जाने पर उन की सहायता करना या यदि यह समझ लेने के लिए कारण उपस्थित हो कि उक्त वन में कोई अपराध किया गया है तो अपराधी की खोज करना और उसे गिरफ्तार करना;

तो उसे एक महीने से अनधिक अवधि तक के लिए कारावास या दो सौ रुपये तक का अर्थदण्ड या दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकेगा।

73. वृक्षवाटिका (grove) या वृक्षवाटिकाभूमियों (grove lands) का प्रबन्ध.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि क्योंकि वृक्षवाटिकाओं (groves) और वृक्षवाटिकाभूमियों (grove lands) के सम्बन्ध में धारा 4 और धारा 10 में वर्णित विषयों का आनियमन करने की व्यवस्था करना आवश्यक है इस लिए इस अध्याय के उपबन्ध उक्त वृक्षवाटिका (grove) या वृक्षवाटिकाभूमि (grove lands) पर प्रयुक्त किए जाते हैं।

74. वृक्षवाटिकाओं (groves) पर अधिनियम की प्रयुक्ति.—राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि इस अधिनियम के उपबन्ध या तो पूर्णतया या अंशतया या ऐसे आयन्त्रणों (restrictions) और संपरिवर्तनों (modifications) के अधीन रहते हुए, जैसे वह उचित समझे, धारा 73 के अधीन अधिसूचित वृक्षवाटिकाओं (groves) और वृक्षवाटिकाभूमियों (grove lands) पर प्रयुक्त होंगे।

75. शासन को देय धन की वसूली.—इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, या किसी वन-उपज की कीमत के रूप में, राज्य शासन को समस्त देय धन यदि उस समय नहीं चुकाया जाता जब वह चुकाया जाना चाहिए था तो वह तत्काल प्रचलित विधि के अधीन भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।

76. शासन को देय धन के लिए वन उपज पर ग्रहणाधिकार (lien).—(1) जब किसी वन उपज के लिए या उसके सम्बन्ध में कोई भी उक्त धन देय हो तो उसकी राशि उक्त उपज पर पहला भार समझी जाएगी और उक्त उपज वनअधिकारी तब तक के लिए अपने कब्जे में ले सकेगा जब तक उक्त राशि चुका न दी जाए।

(2) यदि उक्त राशि उस समय नहीं चुकाई जाती जब वह चुकाई जानी चाहिए तो वन अधिकारी सार्वजनिक नीलामी (public auction) द्वारा उक्त उपज का विक्रय कर सकेगा और विक्रय की आय (proceeds) सब से पहले उक्त राशि को पूरा करने में प्रयुक्त की जाएगी।

(3) यदि कोई अतिरेक (surplus) हो तो वह राज्य द्वारा अपहृत हो जाएगा (shall be forfeited to the Government) यदि विक्रय के दिनांक से छः मास के भीतर उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई मांग प्रस्तुत नहीं की जाती।

77. बन्ध (bond) के अधीन देय शास्तियों की वसूली.—जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसार या किसी नियम के अनुपालन में, कोई कर्त्तव्य या कार्य सम्पादित करने के लिए किसी बन्ध (bond) या लिखत (instrument) द्वारा अपने आप को बद्ध कर लेता है या किसी बन्ध (bond) या लिखत (instrument) द्वारा यह वायदा करता है कि उसके कर्मचारी और अभिकर्ता (agents) किसी कार्य में शामिल नहीं होंगे, तो उस की शर्तें भंग करने की दशा में उक्त बन्ध (bond) या लिखत (instrument) में बतलाई गई धन के रूप में चुकाई जाने वाली समस्त राशि, इन्डियन कन्ट्रैक्ट ऐक्ट, 1872 (Indian Contract Act, 1872) की

धारा 74 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त भंग होने की दशा में उस से भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेंगी।

78. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्यशासन इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए, उक्त नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय का आनियमन किया जा सकेगा, अर्थात्—

(क) नियन्त्रित वनों से वृक्ष और इमारती लकड़ी (timber) काटना, चीरना, टुकड़े करना और हटाना और वन उपज इकट्ठी करना, बनाना (manufacture) और हटाना;

(ख) नियन्त्रित वनों के समीप के कस्बों और ग्रामों के निवासियों को, उनके अपने प्रयोग के लिए, वृक्ष, इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज ले जाने के लिए लाइसेंस देना और उक्त व्यक्तियों द्वारा, लाइसेंस का प्रस्तुतिकरण और वापसी;

(ग) उक्त वनों में व्यापार के प्रयोजनार्थ वृक्ष या इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज गिराने या इन्हें उक्त वनों से हटाने के लिए व्यक्तियों को लाइसेंस देना और उक्त व्यक्तियों द्वारा उक्त लाइसेंसों का प्रस्तुतिकरण और वापसी;

(घ) खन्ड (ख) या (ग) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा, उक्त वृक्ष काटने या उक्त इमारती लकड़ी (timber) या अन्य वन उपज इकट्ठा करने और हटाने की अनुमति के लिए की जाने वाली चुकती, यदि कोई हो;

(ङ) उक्त वृक्षों, इमारती लकड़ी (timber) और वन-उपज के सम्बन्ध में उन के द्वारा की जाने वाली अन्य चुकतियां, यदि कोई हों, और वे स्थान जहां पर उक्त चुकतियां की जाएंगी;

(च) उक्त वनों से बाहर जाने वाली वन उपज की जांच पड़ताल;

(छ) उक्त वनों में कृषि या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि की सफाई और खुदाई;

(ज) उक्त वनों में पड़ी हुई इमारती लकड़ी (timber) और वृक्षों की अग्नि से रक्षा;

(झ) उक्त वनों में घास की कटाई और पशुओं की चराई;

(ञ) उक्त वन में आखेट करना, गोली चलाना (shooting), मछली पकड़ना, जल में विष मिलाना या जाल या फन्दे लगाना:

परन्तु इस खन्ड के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन, नियन्त्रित वन के भूमिपति या उसके द्वारा और वनअधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से उक्त वनों में आखेट करने, गोली चलाने या मछलियां पकड़ने के लिए अनुज्ञापत्र लेने या कोई भी फीस चुकाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(ट) उक्त वनों में कच्चे कोयले (charcoal) की भट्टी लगाना या किसी भी वन उपज

को किसी भी निर्माणविधि (manufacturing process) के अधीन प्रतिबन्धित करना ;

(ठ) अधिकारधारियों के अधिकारों का उक्त वनों में प्रयोग ;

(ड) इस अधिनियम के अधीन अर्थदण्डों और अपहरणों की आय (proceeds) में से अधिकारियों और सूचना देने वाले व्यक्तियों को चुकाए जाने वाले पारितोषिकों का आनियमन ;

(ढ) वैयक्तिक वन से बिरोजा (resin) निकालना और उसे हटाना ;

(ण) धारा 77 के प्रयोजनार्थ खानों और धातुओं के लिये खान खोदने के सम्बन्ध में आनियमन ;

(त) इस अधिनियम के अधीन वनअधिकारी की शक्तियां और कर्त्तव्य ;

(थ) धारा 43 में वर्णित लेखे में आय और व्यय के रूप में समाविष्ट की जाने वाली मदें, और वह रीति जिस के अनुसार उक्त लेखा तैयार किया जायगा ; और

(द) ऐसा कोई भी विषय, जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से विनिहित किया जाना या नियमों द्वारा व्यवस्थित किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत है ।

3. (क) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के प्रतिबन्धाधीन होगी कि उन का पूर्व प्रकाशन किया जाए ।

(ख) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और यदि कोई भिन्न दिनांक विशिष्ट न किया जाए, तो वे प्रकाशन के दिनांक से प्रचलित हो जाएंगे ।

79. अपवाद.—इस अधिनियम का कोई भी उपबन्ध नियन्त्रित वन में या उसके नीचे स्थित खनिजों के किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा और राज्यशासन इस सम्बन्ध में अपने बनाये हुये किसी भी नियम के अनुसार इस अधिकार के लिये वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग के लिये यथेष्ट उपबन्ध (adequate provisions) बनाएगा ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस राज्य में वन राष्ट्रीय सम्पत्ति की एक प्राकृतिक देन हैं और उन का परिरक्षण केवल इस राज्य के लिए ही नहीं बल्कि सारे भारत के लिए आवश्यक है । यह देखा गया है कि अधिकतर इंधन और इमारती लकड़ी (timber) की कीमतें बढ़ जाने के कारण कभी कभी वैयक्तिक वनों में अन्धाधुंध कटाई होने लगती है जिस से वृक्षों की उत्पत्ति में बहुत कमी हो जाती है। वनों का संरक्षण मिट्टी का कटाव रोकने के लिए और इंधन और चारे के साधन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है । यह भी आवश्यक है कि स्वामियों, राज्य और राष्ट्र के हितार्थ वैयक्तिक वन विकसित किए जाएं और उनमें केवल वैज्ञानिक ढंग से काम किया जाए।

वर्तमान विधि, इन्डियन फौरेस्ट ऐक्ट, 1927 (Indian Forest Act, 1927) के उपबन्ध प्रभाविक सिद्ध नहीं हुए और इस लिए वैयक्तिक वन की दशा में भी कर्मकारी योजना (working plan) की तैयारी के लिये व्यवस्था करना आवश्यक है। सर्वप्रथम स्वामी, स्वयं, वन अधिकारी द्वारा अनुमोदित कर्मकारी योजना (working plan) के अनुसार अपने वन का प्रबन्ध करेगा। किन्तु यदि स्वामी (proprietor) कर्मकारी योजना (working plan) के अनुसार प्रबन्ध नहीं कर पाता है या प्रबन्ध करने से इन्कार कर देता है तो इस विधेयक में वन अधिकारी द्वारा वन का अनुशासन करने की और लाभों में से दस प्रतिशत काट कर लाभ स्वामी को देने की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक में परती भूमियों (waste lands) पर वृक्ष लगाने की व्यवस्था भी की गई है।

यशवन्त सिंह परमार।

शिमला-4, 1 दिसम्बर, 1954

नं० एल० ए-109-144/54.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 98 के अधीन हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ विधेयक, 1954, जैसा कि यह 1 दिसम्बर, 1954 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हुआ, सार्व जनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 12, 1954

हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ विधेयक, 1954

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित किया गया)

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा चालित भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में भूमि के दान तथा व्यवस्था (donation and settlement of land) को सुकर बनाने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा चालित भूदान यज्ञ के सम्बन्ध में भूमि के दान को सुकर बनाया जाए और ऐसी भूमि की व्यवस्था भूमिहीन व्यक्तियों के साथ की जाए।

अतएव यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 होगा।

(2) इस का प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. परिभाषाएं.—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "भूदान यज्ञ" का तात्पर्य उस आन्दोलन (movement) से है, जो श्री आचार्य विनोबा भावे ने स्वेच्छा से दिए गए दान (gifts) द्वारा पर्षद् (Board) के लिये भूमि अर्जन करने के हेतु आरम्भ किया है;

(ख) "पर्षद् (Board)" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भूदान यज्ञ पर्षद् (Bhoodan Yagna Board) से है;

(ग) "भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि जो कृषिप्रयोजनार्थ या कृषि के अनुसेवी प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए रखी हुई है या दी गई है (occupied or let for), और उक्त भूमि के किसी भी हस्तांतरणीय स्वत्व (transferable interest) से है;

(घ) "भूमिहीन व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिस के पास कोई भूमि नहीं है या जिस के पास इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से कम भूमि है;

(च) "विनिहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिहित से है;

(छ) "माल-अधिकारी" का इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध में तात्पर्य ऐसे माल-अधिकारी से है, जिसे राज्यशासन अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 के अधीन, उस उपबन्ध के अन्तर्गत माल-अधिकारी के कर्तव्य सम्पादित करने का निदेश दे;

(ज) "राज्य शासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से है।

अध्याय 2

पर्षद् की स्थापना (Establishment of the Board)

3. भूदान यज्ञ पर्षद् की स्थापना, उसका कर्तव्य और निगमीकरण (Establishment, incorporation and duty of Bhoodan Yagna Board). —(1) हिमाचल प्रदेश भूदान यज्ञ पर्षद् के नाम से एक पर्षद् (Board) की स्थापना की जाएगी।

(2) पर्षद् (Board) एक निगमित संस्था (body corporate) होगी, जिसे सतत अनुक्रम (perpetual succession) प्राप्त होगा और जिसकी एक सामान्य मुद्रा (common seal) होगी और उसे यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित (acquire) कर सके, रख सके (hold), उस का प्रशासन कर सके और हस्तांतरण कर सके तथा संविदा कर सके और उक्त नाम से वह वाद चला सकेगी और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(3) पर्षद् (Board) का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भूदान यज्ञ के लाभ के लिये स्वनिहित समस्त भूमि (all land vested in it) का प्रशासन करे।

(4) भूदान यज्ञ के प्रयोजनार्थ पर्षद् अन्य ऐसे कार्य सम्पादित करेगी और उसे अन्य ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उक्त भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक हों।

4. पर्षद् का संघटन.—(1) पर्षद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) सभापति—जिसका नामांकन श्री आचार्य विनोबा भावे के परामर्श से राज्यशासन करेगा;

(ख) चार या चार से अधिक सदस्य किन्तु आठ से कम—जिन का नामांकन श्री आचार्य विनोबा भावे के परामर्श से राज्यशासन करेगा।

(2) यदि राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में नियत किए गए दिनांक या बढ़ाए गए किसी दिनांक से पूर्व सभापति या सदस्य का नामांकन नहीं किया जाता तो राज्य शासन ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो उस प्रकार रिक्त रह जायें, यथास्थिति, सभापति या सदस्यों की नियुक्ति करेगा।

(3) सभापति और सदस्यों के नामांकन या नियुक्ति की अधिसूचना विनिहित रीति से राजपत्र में दी जाएगी।

(4) पर्षद् (Board) के सभापति और सदस्य उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से चार वर्ष तक पदासीन रहेंगे और वे पुनर्नियुक्ति या पुनर्नामांकन के योग्य होंगे :

परन्तु पर्षद् का सभापति या कोई भी सदस्य राज्यशासन क अपना एक लिखित त्यागपत्र देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा किन्तु ऐसा कोई भी त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जाए :

परन्तु यह भी कि राज्यशासन पर्षद् के ऐसे सभापति या सदस्य को पद से हटा सकेगा, जो राज्यशासन की सम्मति में अपने कर्तव्य सम्पादित न करे या अपने कर्तव्य सम्पादन करने में अयोग्य हो या उसने पर्षद् के सभापति या सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार से दुरूपयोग किया हो जिससे कि इसका सभापति या सदस्य के रूप में पदासीन रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो जाय।

5. पर्षद् को भंग करना.—(1) यदि किसी भी समय राज्यशासन का यह समाधान हो जाय कि —

(क) पर्षद् ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाए गए कर्तव्यों का पालन या दिए गए कार्यों का सम्पादन किसी उचित कारण या क्षमा हेतु के बिना (without reasonable cause or excuse) नहीं किया है;

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाए गए कर्तव्यों का पालन या दिए गए कार्यों का सम्पादन करने में पर्षद् असमर्थ हो गयी है या होने की सम्भावना है ; या

(ग) अन्य कारणों से पर्षद् को भंग करना उपयुक्त या आवश्यक है ;

वह राजपत्र में अधिसूचना दे कर—

(1) पर्षद् को ऐसी अवधि के लिए जो विशिष्ट की जाए, भंग कर सकेगा ;

(2) धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार पर्षद् की संरचना फिर से कर सकेगा ; और

(3) यह घोषित कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन जिस अवधि के लिए पर्षद् भंग की गई हो, पर्षद् के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा और ऐसे आयन्त्रणों के साथ, जो विशिष्ट किए जाएं, किया जाएगा।

(2) राज्यशासन ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक (incidental or consequential) उपबन्धों की व्यवस्था करने के आदेश दे सकेगा जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

6. पर्षद् के रिक्त स्थान.—(1) सभापति या किसी सदस्य का रिक्त स्थान जहां तक व्यवहार्य हो सके शीघ्र भरा जायेगा।

(2) पर्षद् में होने वाले रिक्त स्थानों को भरने का तरीका, उसके काम की प्रक्रिया और कार्यवाही की संचालन रीति वही होगी जो विनिहित की जाए।

7. कार्यवाहियों की मान्यता.— इस अधिनियम के अधीनकृत किसी कार्य या कार्यवाही पर इस कारण आपत्ति न की जा सकेगी कि पषद् में कोई स्थान रिक्त था या पर्षद् के सभापित या किसी भी सदस्य के नामांकन में कोई त्रुटि या अनियमिता थी।

8. पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति .—पर्षद् ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जो वह अपने कार्यों के कुशल सम्पादन के लिए आवश्यक समझे।

9. पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें.—पर्षद् के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के परिलाभ (remuneration) और अन्य शर्तें वही होंगी जो पर्षद् द्वारा निश्चित की जाएं।

10. पर्षद् का कोष.—पर्षद् का अपना कोष होगा और वह केन्द्रीय शासन या राज्यशासन या स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी व्यक्ति या संस्था से चाहे वह निगमित हो या न हो, पर्षद् के समस्त या किसी भी प्रयोजन के लिए अनुदान (grants), भेंट (donations), दान (gifts) या ऋण (loans) ले सकेगी।

11. कोष प्रयोग में लाना.—पर्षद् स्वनिहित समस्त सम्पत्ति (property), कोष और अन्य सकल सम्पत्ति (assets) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा इसके प्रयोजनों के लिए अपने पास रखेगी और प्रयोग में ला सकेगी।

12. तहसील समितियां. —(1) किसी भी तहसील या ग्राम-समूह के लिऐ जहां पर्षद् ऐसा करना आवश्यक समझे वह तहसील समितियां बना सकेगी, जिस में तीन से कम और सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे और वे पर्षद् द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(2) तहसील समिति के सदस्य पर्षद् द्वारा सम्बन्धित तहसील क्षेत्र या ग्राम-समूह में रहने वाले व्यक्तियों में से चुने जायेंगे।

(3) राज्यशासन की पूर्व स्वीकृति लेकर पर्षद् तहसील समिति की प्रक्रिया का आनियमन करने, काम करने (disposal of business), सदस्यों की पदावधि और उनमें अकस्मात् रिक्त हुए स्थानों को भरने का आनियमन करने के लिए इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों से संगत आनियम बना सकेगी।

अध्याय 3

भूमि दान

13. भूदान यज्ञ के लिये भूमि-दान.—(1) तत्काल प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हस्तांतरणीय स्वत्व रखता हो (owning a transferable interest in the land) विनिहित रीति से इस निमित्त एक लिखित प्रख्यापन द्वारा (जिसे यहां से आगे भू-दान प्रख्यापन कहा जायेगा) भू-दान यज्ञ में ऐसी भूमि का दान और अनुदान कर सकेगा।

(2) भू-दान प्रख्यापन किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र यह पर्षद् के पास प्रस्तुत कर दिया जाएगा (shall be filed with the Board)।

(3) यदि पर्षद् दान या अनुदान को स्वीकार्य समझे तो प्रख्यापन को उस तहसील या ग्राम में, जहां भूमि स्थित है, क्षेत्राधिकारसम्पन्न माल अधिकारी के पास भेज देगी।

14. प्रख्यापन का प्रकाशन और उसकी जांच.—भू-दान प्रख्यापन प्राप्त होने पर, माल-अधिकारी—

(क) उसे आपत्तियों के लिये प्रकाशित करेगा, और

(ख) ऐसी भूमि में दाता के अधिकार, आगम और स्वत्व की सरसरी तौर से जांच (summary enquiry) करेगा।

15. भूमि दान करने में समर्थ दाता.—हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953, या भू-धारण (land tenure) से सम्बन्धित प्रवर्तनीय अन्य किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसा व्यक्ति, जिसका भूमि में हस्तांतरणीय स्वत्व है, भूदान यज्ञ में ऐसी भूमि, जो उस के पास उक्त रूप में हो, दान करने के लिये इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समर्थ होगा।

16. आपत्तियां प्रस्तुत करना, उनकी सुनवाई और निर्णय.—(1) ऐसा व्यक्ति, जिस के स्वत्वों पर भूदान प्रख्यापन से प्रभाव पड़ता हो, प्रख्यापन के प्रकाशन से साठ दिन के भीतर माल अधिकारी के सन्मुख उस पर आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) माल-अधिकारी उक्त प्रत्येक आपत्ति को रजिस्टर में लिख लेगा और सुनवाई के लिये एक दिनांक नियत कर देगा, जिस की सूचना प्रख्यापन-कर्ता (declarant), आपत्ति-कर्ता (objector) और सम्बन्धित ग्राम-पंचायत को भेजी जायगी।

(3) सुनवाई के दिनांक को या अन्य ऐसे दिनांक को, जब तक वह स्थगित की गई हो, माल-अधिकारी आपत्ति की जांच (investigation) आरम्भ करेगा और उस का निर्णय करेगा और धारा 17 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए –

(क) या तो भूदान प्रख्यापन की पुष्टि करेगा, या

(ख) उसे अतिष्ठित (supersede) कर देगा।

(4) यदि माल-अधिकारी भूदान प्रख्यापन को पुष्ट कर देता है तो तत्काल प्रचलित किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रख्यापन-कर्ता के उक्त भूमि में समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व, भूदान यज्ञ के प्रयोजनार्थ भूदान पर्षद् को हस्तांतरित और उस में निहित समझे जाएंगे।

(5) जहां भूदान प्रख्यापन माल-अधिकारी को न भेजा गया हो या जहां यह उपधारा (3) के अधीन माल अधिकारी द्वारा अतिष्ठित कर दिया गया हो, उस अवस्था में दान रद्द समझा जाएगा और प्रख्यापन देने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उक्त भूमि पर उस के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व वैसे ही जारी हैं, मानो कि कोई भी उक्त दान नहीं किया गया था।

(6) जब प्रख्यापन उपधारा (3) के अधीन पुष्ट कर दिया गया हो तब वह इन्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Registration Act, 1908) के अधीन रजिस्टर करवाया जा सकेगा।

(7) प्रख्यापन को रजिस्टर कराने के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।

17. ऐसी भूमि जिस का दान नहीं किया जा सकता.—किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित वर्गों में आने वाली भूमि दान करने का अधिकारी नहीं होगा, अर्थात्—

(क) ऐसी भूमि, जो दान के दिनांक को आम चरागाह (common pasture land), श्मशान (cremation) या कब्रिस्तान (burial ground), तालाब, रास्ते (path-way) या खलिहान (thrashing floor) के रूप में अभिलिखित हो या प्रथा द्वारा समझी जाती हो ;

(ख) ऐसी भूमि, जिस में उक्त व्यक्ति का स्वत्व उस के जीवनकाल तक सीमित हो ; और

(ग) अन्य ऐसी भूमि, जो राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशिष्ट करे।

18. माल-अधिकारी का आदेश दीवानी न्यायालय के अधीन होगा.—धारा 16 क उपधारा (3) के अधीन माल-अधिकारी के ऐसे आदेश पर जिस के द्वारा कोई आपत्ति रद्द की गई हो, अपील या उस की पुनरावृत्ति न हो सकेगी किन्तु कोई भी पक्ष, जो आदेश से पीड़ित हुआ हो, या भूमि में स्वत्व रखने वाला अन्य कोई भी व्यक्ति, जिसे धारा 16 के अधीन की गई कार्यवाहियों की कोई सूचना न हो, उक्त आदेश से छः मास के भीतर अधिकारक्षेत्रसम्पन्न दीवानी न्यायालय में आदेश को रद्द करवाने के लिये वाद दायर कर सकेगा और उक्त न्यायालय के निर्णय द्वारा पर्षद् बाध्य होगी और उक्त वाद, यदि कोई हो, के परिणाम के प्रतिबन्धाधीन माल-अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

19. इस अधिनियम का प्रारम्भ होने से पूर्व दान की गई भूमि.—(1) जहां कोई भी भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले भूदान यज्ञ के प्रयोजनार्थ दान की गई हो, उस अवस्था में पर्षद् निम्नलिखित विषय प्रदर्शित करते हुए उक्त भूमि की एक सूची तैयार करेगी :—

(क) भूमि का क्षेत्रफल और उस के अन्य ब्योरे ;

(ख) दाता का नाम और पता ;

(ग) दान का दिनांक ;

(घ) भूमि में दाता के स्वत्व की प्रकृति ;

(च) यदि भूदान यज्ञ के अनुपालन में भूमि का अनुदान किसी व्यक्ति को किया जा चुका हो तो उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे भूमि का अनुदान किया गया हो (जिसे यहां से आगे अनुदान गृहीता (grantee) कहा गया है) ;

(छ) उपखण्ड (च) के अधीन अनुदान का दिनांक ; और

(ज) अन्य ऐसे ब्योरे जो विनिहित किये जाएं।

(2) इस प्रकार तैयार की गई सूची उस जिले के डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाएगी, जिस के क्षेत्राधिकार में भूमि स्थित है।

(3) उक्त सूची प्राप्त करने पर डिप्टी कमिश्नर धारा 14 से धारा 16 तक की धाराओं के अनुसार सूची में वर्णित भूमिखण्डों के सम्बन्ध में इस प्रकार कार्यवाही करवाएगा मानो उन के सम्बन्ध में प्रख्यापन किया गया था और वह धारा 13 के अधीन सम्बन्धित माल-अधिकारी को भेजा गया था।

(4) धारा 14 से धारा 18 तक के उपबन्ध उक्त भूमि के समस्त दानों के सम्बन्ध में ऐसे प्रयुक्त होंगे, जैसे वे इस अधिनियम के प्रचलन के पश्चात् किए गए भूमि के दानों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हों :

परन्तु जहां धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन माल-अधिकारी ने आदेश दिया हो उस दशा में दान उस दिनांक से पुष्ट किया गया समझा जाएगा, जब भूमि का दान किया गया था और इस हेतु यह अधिनियम उसी दिनांक से प्रचलित हुआ समझा जाएगा।

(5) यदि किसी ऐसी भूमि का, जिसका इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व दान प्राप्त हुआ हो, अनुदान भूदान यज्ञ के अनुपालन में किसी व्यक्ति को किया जा चुका हो तो यह पर्षद् द्वारा उक्त व्यक्ति को, उस दिनांक को, जब वह उसका कब्जा लेता है, अनुदत्त समझी जायगी और अनुदान समस्त उन दायित्वों के अधीन रहेगा, जिन के अधीन पर्षद द्वारा दिए गए अनुदान होंगे।

20. प्रख्यापन वापस नहीं लिए जा सकेंगे.—भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक ऐसा प्रख्यापन, जिस के सम्बन्ध में धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन पुष्टि का आदेश दे दिया हो, आदेश देने के दिनांक के पश्चात् वापस नहीं लिया जा सकेगा (be irrevocable)।

21. पर्षद् में निहित भूमि की कुर्की नहीं हो सकेगी.—पर्षद् में निहित भूमि, पर्षद के विरुद्ध दी गई दीवानी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क न की जा सकेगी या उसकी बिक्री नहीं की जा सकेगी।

अध्याय 4

भूमि वितरण

22. भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का अनुदान.—पर्षद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति, जिसे पर्षद् राज्यशासन का अनुमोदन लेकर या तो सामान्यतः या किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में विशिष्ट करे, विनिहित रीति से ऐसी भूमि, जो इस में विनिहित की गई हो, किसी भूमि-हीन व्यक्ति को अनुदान कर सकेगा और भूमि का अनुदान-गृहीता (grantee)—

(1) उस अवस्था में, जहां भूमि ऐसी सम्पदा में स्थित हो, जो हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1953 के अधीन और अनुसार राज्यशासन में निहित हो गई हो, उस भूमि में एक काश्तकार के अधिकार और दायित्व अर्जित करेगा, और

(2) जहां यह किसी अन्य क्षेत्र में स्थित हो उस दशा में ऐसे अधिकार और दायित्व अर्जित करेगा और ऐसी शर्तों, आयत्रणों और परिसीमाओं (conditions, restrictions and limitations) के प्रतिबन्धाधीन रहेगा जो विनिहित किए जाएं और वे किसी भी विधि के अन्यथा होते हुए भी प्रभावशाली होंगे।

23. अनुदान भूदान यज्ञ की योजना के अनुसार किए जाएंगे.—जहां तक हो सके समस्त अनुदान भूदान यज्ञ के प्रयोजनानुसार किए जाएंगे।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

24. मुद्राशुल्क (stamp duty) और रजिस्ट्रेशन से छूट.—धारा 13 के अधीन किया गया या किया जाने वाला भूदान प्रख्यापन या धारा 22 के अधीन किया गया या किया जाने वाला भूमि का अनुदान रजिस्ट्रेशन और प्रलेखों के निष्पादन से सम्बन्धित विधि के अधीन मुद्रा शुल्क (stamp duty) की चुकती और रजिस्ट्रेशन या प्रमाणिकन (attestation) से सदा मुक्त होगा और समझा जायगा, चाहे कोई भी विधि अन्यथा हो।

25. भूराजस्व छोड़ने (remit) की शक्ति.—(1) राज्यशासन, यदि उसका यह समाधान हो कि पर्षद् किसी वर्ष भूमि का अनुदान नहीं कर सकी है, तो वह उस वर्ष के लिए उस भूमि पर देय भूराजस्व या लगान छोड़ सकेगा।

(2) राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (1) के अधीन इस को दी गई हुइ शक्तियां ऐसे आयन्त्रणों के अधीन रहते हुए, जो विशिष्ट किए जाएं, किसी भी ऐसे पदाधिकारी द्वारा प्रयोग में लाई जा सकेंगी, जो डिप्टी कमिश्नर से कम श्रेणी का न हो।

26. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्यशासन अधिसूचना द्वारा और पूर्वप्रकाशन के प्रतिबन्धाधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए इन नियमों द्वारा निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकेगी:—

(क) धारा 2 के खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ विनिहित किया जाने वाला भूमि का क्षेत्रफल ;

(ख) पर्षद् की स्थापना और रचना, स्थितिअनुसार, उसके सभापति या सदस्यों का नामांकन और नियुक्ति तथा पर्षद् के संचालन की प्रक्रिया और उसकी कार्यवाही की कार्य रीति से सम्बन्धित विषय ;

(ग) भूदान प्रख्यापन का प्रपत्र और उसे प्रस्तुत करने का ढंग ;

(घ) वे प्रलेख, जो भूदान प्रख्यापन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(च) भूदान प्रख्यापन के प्रकाशन का ढंग ;

(छ) धारा 14 के अधीन जांच (enquiry) का प्रकार, उसकी सीमा और ढंग ;

(ज) आपत्तियाँ देने और उन्हें रजिस्टर करने का ढंग ;

(झ) आपत्तियों की सुनवाई के लिए दिनांक नियत करना ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों की तामील का ढंग और रीति ;

(ठ) धारा 16 के अधीन आपत्तियों की सुनवाई और निर्णय के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ड) प्रख्यापन के अतिष्ठान या पुष्टि से सम्बन्धित विषय ;

(ढ) धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अन्य ब्योरे विनिहित करना ;

(त) धारा 22 के अनुपालन में भूमि के अनुदान से सम्बन्धित विषय ; और

(थ) वे विषय, जो विनिहित किए जाने वाले हों या विनिहित किए जा सकते हों ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा चालित भूदान यज्ञ आंदोलन के सम्बन्ध में भूमि के दानों donations) को सुकर बनाना आवश्यक है। भूदान यज्ञ आंदोलन का उद्देश्य यह है कि भूमिहीन व्यक्तियों के मध्य भूमि वितरण के लिए भूमि के मुक्त दानों और भेंटों (donations and gifts) को उत्साहित किया जाय। इस विधेयक द्वारा उक्त दानों और भेंटों (donations and gifts) और उक्त से दान की गई भूमि के वितरण को वैधानिक रूप देने की व्यवस्था की गई है।

यशवन्त सिंह परमार।

शिमला-4, 30 नवम्बर, 1954

सं०-LA-109-88/54.—गवर्नमैंट आफ इन्डिया पार्ट सी स्टेट्स एक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 23 नवम्बर, 1954 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्वसामान्य की सूचना के लिए इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम नं० 15, 1954

हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मीन्दारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953

हिमाचल प्रदेश में बड़ी ज़मीन्दारी का उन्मूलन (abolition) करने तथा काश्तकारियों से सम्बन्धित विधि की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

प्रस्तावना.—यह उचित और आवश्यक है कि बड़ी ज़मीन्दारियों के उन्मूलन, काश्तकारियों से सम्बन्ध रखने वाली विधि के सुधार और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था की जाए;

अतः यह अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. शीर्ष नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ.—(1) यह अधिनियम 1953 ई० का हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मीन्दारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 कहलायेगा।

(2) इस का प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह अधिनियम उस दिनांक से प्रचलित होगा (come into force) जिसे राज्यशासन अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में नियत करे।

2. परिभाषाएं.—विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में —

(1) "कृषि वर्ष (agricultural year)" का तात्पर्य जून के सोलहवें दिवस अथवा ऐसे अन्य दिनांक से आरम्भ होने वाले वर्ष से है जिसे राज्यशासन अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए नियत करे;

(2) "लगान के बकाया (arrear of rent)" का तात्पर्य ऐसे लगान से है, जो उस दिनांक के पश्चात् भी नहीं चुकाया गया है जिस दिनांक को वह चुकाया जाना चाहिये था;

(3) "सम्पदा (estate)", "भूस्वामी (landowner)" और "खाते (holding)" का वही अर्थ है जो अर्थ इन अङ्गरेजी के शब्दों को पंजाब लैन्ड रैवेन्यू ऐक्ट, 1887 में, जैसा कि वह 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में प्रचलित था, दिया गया है;

(4) किसी काश्तकारी के सम्बन्ध में "उन्नति (improvement)" का तात्पर्य ऐसे कार्य से है जो उस काश्तकारी के उपयुक्त हो तथा उस की शर्तों के अनुकूल हो और जिस के कारण उस काश्तकारी का मूल्य बढ़ता रहा हो तथा बढ़ता रहे और जो काश्तकारी पर यदि निष्पादित न किया गया हो तो प्रत्यक्षतः उस के लाभ के लिये निष्पादित किया जाए अथवा निष्पादन के पश्चात् उस के लिए प्रत्यक्षतः लाभदायक बनाया जाये।

स्पष्टीकरण I.—अन्य विषयों के अतिरिक्त इस के अन्तर्गत है—

(क) कुओं का निर्माण तथा कृषिप्रयोजनार्थ पानी के संग्रह या प्रदाय के लिए अन्य कर्मों (works) का निर्माण;

(ख) जलोत्सारण तथा बाढ़ के विरुद्ध बचाव के कर्मों (works) का निर्माण;

(ग) पेड़ों का लगाना, कृषि के लिए भूमि का कृष्यकरण (reclaiming), समावरण (enclosing), समतलन (levelling) और उत्तलन (terracing) तथा इसी प्रकार के अन्य कर्म (works);

(घ) ऐसे भवनों का निर्माण, जो काश्तकारी की अधिक सुविधायुक्त या लाभदायक कृषि के लिये आवश्यक हों; और

(ङ) पूर्ववर्ती कर्मों (works) में से किसी का नवकरण (renewal) अथवा पुनर्निर्माण (reconstruction) या उन में ऐसे आपरिवर्तन (alterations) या संकलन (additions) जो केवल मरम्मत (repairs) की प्रकृति के न हों और जो उस के मूल्य को चिरस्थाई रूप में बढ़ाऐ;

किन्तु इस के अन्तर्गत नहीं हैं, ऐसी सफ़ाइयां (clearances), बांध (embankments), समतलन (levelling), घेरे (enclosures), अस्थायी कुऐं (temporary wells) तथा जल कुल्याएं (water channels), जिन्हें काश्तकारों ने अपने कृषि कार्य में सामान्यतः (ordinary course) विशेष व्यय के बिना बनाया हो अथवा ऐसे अन्य लाभ जो भूमि में काश्तकारी (husbandry) के साधारण कर्मों से उत्पन्न हुए हों।

स्पष्टीकरण II.—ऐसा कार्य, जिस से अनेक काश्तकारियों को लाभ पहुंचता है, उन में से प्रत्येक के सम्बन्ध में उन्नति समझा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण III.—काश्तकार द्वारा निष्पादित ऐसा कर्म (work) "उन्नति" नहीं है जो उस के भूमिपति की सम्पत्ति के किसी अन्य भाग का मूल्य वस्तुतः कम करता हो।

(5) "भूमि (land)" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है, जो किसी क़स्बे अथवा ग्राम में किसी भवन के स्थल के रूप में न ली गई हो और जो कृषि के लिये अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिये जो कृषि के अनुसेवी (subservient) हों या चरागाह के लिये ली या दी गई हो और इस के अन्तर्गत है —

(क) ऐसी भूमि पर बने हुए भवन तथा अन्य संरचनाओं (structures) के स्थल,

(ख) बागीचे,

(ग) घासनियाँ;

(6) "भूमिपति (landlord)" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिस से कोई काश्तकार भूमि लिए हुए हो और जिस को काश्तकार उस भूमि के लिए लगान देने का उत्तरदायी है या किसी विपरीत संविदा के अभाव में हुआ होता;

(7) "भूराजस्व (land revenue)" का तात्पर्य ऐसे भूराजस्व से है, जो तत्काल प्रचलित विधि के अधीन निर्धारित हो अथवा पंजाब लैन्ड रैवेन्यू ऐक्ट, 1887, जैसा कि वह 26 जनवरी, 1950 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में प्रचलित था, के अधीन निर्धारित हो सके तथा इस के अन्तर्गत है—

(क) कोई भी स्थानीय कर जो सिंचाई के कारण भूमि के बढ़े हुए मूल्य के सम्बन्ध में लगाया गया हो ; तथा

(ख) कोई भी राशि जो उन्मोचन-शुल्क (quit-rent) के रूप में अथवा सेवाओं के बदले राज्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे राज्य ने चुकती प्राप्त करने का अधिकार दिया हो, देय हो ;

(8) "विधि व्यवसायी (legal practitioner)" का वही अर्थ है जो अर्थ legal practitioner को Legal Practitioners Act, 1879 में दिया गया है ;

(9) "अधिसूचना (notification)" का तात्पर्य ऐसी अधिसूचना से है जो राज्यशासन के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित की गई हो ;

(10) "चुकाना" या "देना" शब्द जब वैयाकरणिक विभेदों तथा सम्बन्धित अभिव्यक्तियों सहित लगान (rent) के विषय में प्रयुक्त किया जाता है तब वैयाकरणिक विभेदों और सम्बन्धित अभिव्यक्तियों सहित 'प्रदान (deliver)' तथा 'प्रतिपादन (render)' करना भी इस के अन्तर्गत होंगे ;

(11) "विनिहित (prescribed)" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिहित से है ;

(12) "स्थानीय कर (rate)" तथा "उपकर (cess)" का तात्पर्य ऐसे स्थानीय कर तथा उपकर से है जो प्राथमिक रूप में भूस्वामियों द्वारा चुकाया जाना चाहिए, तथा इस के अन्तर्गत है—

(क) राज्य में प्रचलित विधि के अधीन चुकाए जाने योग्य स्थानीय कर (local rates), यदि कोई हों, और निम्नलिखित कार्यों से उपलब्ध होने वाले समस्त लाभों के उपयोग के लिए, हिमाचल प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1953 के अधीन बनाई गई पंचायतों सहित स्थानीय संस्थाओं को चुकाई जाने योग्य फ़ीस—

(अ) बांधों को बनाना, उन की मरम्मत करना और कृषि के हेतु जल का प्रदाय (supply), संग्रह (storage) और नियन्त्रण,

(आ) भूमि परिरक्षण (preservation) और उस को कृषि योग्य बनाना और दलदलों को कृषि योग्य बनाना तथा जलोत्सारण (drainage);

(ख) सिंचाई के सम्बन्ध में भूमियों के स्वामियों से विधि अनुसार प्राप्य कोई भी वार्षिक स्थानीय कर ;

ग्राम अधिकारियों के उपकर ; तथा

(घ) ग्राम व्ययों के कारण देय राशियां ;

(13) "लगान (rent)" का तात्पर्य उस से है जो भूमिपति को धन के रूप में, वस्तु रूप में अथवा सेवा के रूप में काश्तकार द्वारा प्रतिधारित भूमि के प्रयोग या भोग के कारण देय हो;

(14) "माल अधिकारी (Revenue-officer)" अथवा "माल न्यायालय (Revenue Court)" का इस अधिनियम के अधीन किसी भी उपबन्ध में तात्पर्य ऐसे माल अधिकारी अथवा माल न्यायालय से है जिसे उस उपबन्ध के अधीन, यथास्थिति, माल अधिकारी या माल न्यायालय के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार प्राप्त हों;

(15) "राज्यशासन (State Government)" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के

उपराज्यपाल से है;

(16) "उपकाश्तकार (sub-tenant)" का तात्पर्य ऐसे काश्तकार से है जो या तो निकृष्टतम या मध्यवर्ती रूप में (immediately or mediately) किसी अन्य काश्तकार (tenant) से खाता लिए हुए हो;

(17) "काश्तकार (tenant)" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि लिए हुए है (holds land), और उस भूमि का लगान उसी अन्य व्यक्ति को देने का उत्तरदायी है या किसी संविदा के विपरीत होने के अभाव में हुआ होता, परन्तु इस के अन्तर्गत नहीं है —

(क) एक अवर (inferior) श्रेणी का भू-स्वामी, अथवा

(ख) भू-स्वामी के अधिकारों का बन्धकग्राही (mortgagee), अथवा

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसे पंजाब लैंड रैवेन्यू ऐक्ट, 1887, जैसा कि वह 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में प्रचलित था, के अधीन कोई खाता हस्तान्तरित हुआ हो अथवा कोई सम्पदा या खाता बक़ाया भू-राजस्व की प्राप्ति अथवा ऐसे बकाया के रूप में प्राप्य राशि की वसूली के लिये खेती करने के हेतु दिया गया हो, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो राज्य से किसी खाली (unoccupied) भूमि का पट्टा, भूमि किसी अन्य व्यक्ति को काश्त पर देने के हेतु लिये हुए हो;

(18) "काश्तकार (tenant)" तथा "भूमिपति (landlord)" के अन्तर्गत है; क्रमशः उनके पूर्वाधिकारी (predecessors) तथा स्वत्वों के उत्तराधिकारी (successors-in-interest);

(19) "काश्तकारी (tenancy)" का तात्पर्य किसी भूमिपति के काश्तकार की ऐसी भूमि से है, जिस पर एक काश्तकार का कब्जा एक पट्टे अथवा एक ही प्रकार की शर्तों के अधीन हो;

(20) "खलिहान (thrashing floor)" से तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है, जहां किसी भी कृषि उपज, जिस में आलू और अदरक की फ़सल भी सम्मिलित है, का किसी यान्त्रिक अथवा किसी अन्य रीति से संग्रहण या पृथक्करण किया जाता है;

(21) "ग्राम उपकर (village cess)" के अन्तर्गत है; कोई भी ऐसा उपकर (cess), अंशदान (contribution) या दातव्य (due), जो कि प्रचलित प्रथा से किसी सम्पदा में लगाया जा सकता है तथा जो न तो वैयक्तिक सम्पत्ति या व्यक्तिगत सेवाओं के लिए की गई चुकती है और न ही तत्काल प्रचलित अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन लगाया गया है;

(22) "ग्राम अधिकारी (Village-officer)" का तात्पर्य नम्बरदार या पटवारी से है।

अध्याय 2

आभोग-अधिकार (Right of occupancy)

3. आभोग-अधिकार वाले काश्तकार (Tenants having right of occupancy).—(1) कोई काश्तकार—

(क) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर ऐसी अवधि से, जो बारह वर्ष से कम न हो, भूमि का भोग कर रहा हो और भूमि के भूराजस्व की राशि से अधिक और स्थानीय कर (rates) तथा उपकर से, जो उस पर तत्कालार्थ देय हो, अधिक लगान न दे रहा हो; या

(ख) जो भूमि का स्वामी रह चुका हो तथा शासन द्वारा ज़ब्ती अथवा किसी स्वेच्छ कर्म (voluntary act) के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से भूमि का स्वामी न रहने पर, जब से वह उस भूमि का स्वामी न रहा हो, भूमि पर लगातार काबिज रहा हो; अथवा

(ग) जिस ने भूमि को काश्त के लिए तोड़ा हो (broken up),

ऐसी आभुक्त भूमि या उक्त प्रकार से काश्त के लिए तैयार की गई भूमि का आभोग-अधिकारी होगा।

4. **अन्य काश्तकारों के ऐसे आभोग-अधिकार जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अभिलिखित किए गए हों (Right of occupancy of other tenants recorded as having the right before the commencement of this Act).**—काश्तकार, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व बनाए गए अधिकार-अभिलेख में किसी ऐसी भूमि का आभोग-अधिकारयुक्त काश्तकार (a tenant having a right of occupancy) अभिलिखित हो, जिस पर वह उक्त अभिलेख की तैयारी के समय से लगातार काबिज रहा हो, उस भूमि में आभोग-अधिकार रखने वाला काश्तकार समझा जाएगा, यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दायर किए हुए वाद में किसी सक्षम (competent) न्यायालय द्वारा दी गई हुई डिक्री से अन्यथा प्रमाणित न हुआ हो।

5. **ऐसी भूमि का आभोग—अधिकार जिस का विनिमय हुआ हो (Right of occupancy in land taken in exchange).**—यदि काश्तकार ने स्वेच्छापूर्वक (voluntarily) अपनी पूर्व आभुक्त भूमि अथवा उस के किसी अंश का उसी भूमि के भूमिपति की किसी अन्य भूमि से विनिमय (exchange) किया हो तो विनिमय में ली गई भूमि उसी आभोग-अधिकार के अधीन समझी जाएगी, जिस के अधीन विनिमय में दी गई भूमि समझी जाती यदि विनिमय हुआ ही न होता।

6. **आभोग-अधिकार की ऐसे अन्य कारणों से स्थापना जिन का इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से विवरण नहीं है (Establishment of right of occupancy on grounds other than those expressly stated in the Act).**—इस अध्याय की किसी भी पूर्ववर्ती धाराओं में दिया गया कोई भी उपबन्ध किसी व्यक्ति को उन धाराओं में विशिष्ट कारणों के अतिरिक्त किसी भी आधार पर आभोग-अधिकार स्थापित करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगा।

7. **संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि में आभोग-अधिकार संस्वामी द्वारा प्राप्त नहीं किये जा सकते (Right of occupancy not to be acquired by joint owner in land held in joint ownership).**—किसी विपरीत प्रथा के न होने पर भूमि के अनेक संस्वामियों में से कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी भूमि में, जिस पर उन का स्वामित्व है (jointly owned by them), इस अध्याय के अधीन आभोग-अधिकार प्राप्त नहीं करेगा।

8. विद्यमान आभोग-अधिकारों का जारी रहना (**Continuance of existing occupancy rights**).—इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी ऐसे काश्तकार का, जिस का इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त हुए और अब निरस्त (hereby repealed) Punjab Tenancy Act, 1887 (पंजाब टैनेन्सी ऐक्ट, 1887) के अधीन किसी भूमि में आभोग-अधिकार रहा हो, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर समस्त प्रयोजनों के लिये उस भूमि पर आभोग-अधिकार होगा।

अध्याय 3

काश्तकारों द्वारा स्वामित्व के अधिकार का अर्जन

9. प्रतिधन अधिकारी की नियुक्ति.—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के उपरान्त, यथाशीघ्र, राज्यशासन इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, जिस के अन्तर्गत है—विभाजन, खातों में प्रवर्तन (operation in holdings), प्रतिधन का निर्धारण और भूस्वामियों और उनके काश्तकारों के बीच झगड़ों को तय करना—प्रतिधन अधिकारियों को नियुक्त करेगा ।

(2) प्रतिधन अधिकारियों का पथ प्रदर्शन राज्यशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए ऐसे अनुदेशों द्वारा होगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों ।

10. राज्यशासन की शक्तियां.—राज्यशासन को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाना तथा विशेषत: प्रतिधन अधिकारियों पर नियंत्रण और अधीक्षण रखना ;

(ख) प्रतिधन अधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिये अनुदेश जारी करना ; और

(ग) ऐसे विषयों के सिवाये जिन पर इस अधिनियम के अधीन अपील की जा सकती है, प्रतिधन अधिकारियों के आदेशों, कर्मों या कार्यवाहियों को रद्द करना या दोहराना ।

11. काश्तकार का भूस्वामी के स्वत्व अर्जन करने का अधिकार .—(1) किसी विधि, रिवाज या संविदा में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई काश्तकार, जो उपकाश्तकार न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के उपरान्त किसी समय प्रतिधन अधिकारी को प्रार्थनापत्र देने और प्रतिधन चुकाने पर भूस्वामी के अधीन ली हुई काश्तकारी की भूमि में भूस्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जन करने का अधिकारी होगा :

परन्तु आभोग अधिकार रहित काश्तकार ऐसी काश्तकारी की भूमि में, जिससे वह धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (च) या खंड (छ) के अधीन निष्कास्य (liable to ejectment) हो, भूस्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जन करने का अधिकारी नहीं होगा ।

(2) यदि भूमिपति की और कोई आजीविका न हो और वह अवयस्क हो या विधवा हो अथवा ऐसा व्यक्ति हो जो शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता के कारण अपनी आजीविका के हेतु कोई काम न कर सकता हो तो अवयस्क के व्यस्क होने तक तथा अन्य उपरोक्त व्यक्तियों के जीवन काल तक उपधारा (1) प्रवृत्त न होगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रार्थनापत्र लिखित रूप में प्रतिधन अधिकारी को दिया

जाएगा जो उस पर धारा 12 और धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार भूमि के सम्बन्ध में भूस्वामी को देय प्रतिधन राशि का निश्चय करेगा ।

(4) काश्तकार उपधारा (3) के अधीन प्रतिधन अधिकारी द्वारा निश्चित प्रतिधन राशि या तो एकमुश्त (lump sum) या दस से अनधिक किश्तों में जो प्रतिधन अधिकारी द्वारा निश्चित की जाएं, पांच वर्ष से अनधिक अवधि में चुका सकेगा और ऐसा प्रतिधन या प्रतिधन की ऐसी राशियां उस दिनांक या उन दिनांकों को चुकाई जाएंगी जो इस सम्बन्ध में प्रतिधन अधिकारी द्वारा निश्चित किए जाएं ।

(5) प्रतिधन राशि या उस की किश्त काश्तकार द्वारा राजकोष (Government treasury) में जमा कराई जाएगी और ज्योंही प्रतिधन या उसकी पहली किश्त राजकोष में जमा करा दी गई हो, प्रतिधन अधिकारी विनिहित प्रपत्र में काश्तकार को विशिष्ट भूमि के सम्बन्ध में भूस्वामी घोषित करते हुए एक प्रमाणपत्र देगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के दिनांक को और उस दिनांक से काश्तकार काश्तकारी की भूमि का स्वामी हो जाएगा और उक्त भूमि में भूस्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व (right, title and interest) का अन्त हो जाएगा (shall determine) ।

(7) प्रतिधन की ऐसी किश्त, जो प्रतिधन अधिकारी द्वारा निश्चित दिनांक को चुकाई नहीं जाती है, उस पर ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज सहित भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी ।

(8) जब प्रतिधन किश्तों में चुकाया जाता है, तो न चुकाई गई प्रतिधन राशि भूमि पर एक भार होगी ।

12. प्रतिधन का निश्चय.—(1) काश्तकारी की भूमि में भूस्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जन करने के लिए काश्तकार द्वारा देय प्रतिधन राशि प्रतिधन अधिकारी द्वारा अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार निश्चित की जाएगी ।

(2) (क) उपधारा (1) के अधीन प्रतिधन अधिकारी के आदेश से पीड़ित व्यक्ति, आदेश के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर, डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील कर सकेगा ।

(ख) जब ऐसी कोई अपील डिस्ट्रिक्ट जज (District Judge) के पास की जाती है तो वह, यथास्थिति, भूस्वामी या काश्तकार को, अपने सन्मुख उपस्थित होने के लिये विनिहित रीति से एक सूचना प्रकाशित करवाएगा और पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दे कर अपना फैसला देगा ।

(ग) डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के विरुद्ध अपील विनिहित अवधि के भीतर ज्युडिशियल कमिश्नर के पास हो सकेगी, जिसका फैसला अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के सन्मुख प्रश्न नहीं उठाया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज या ज्युडिशियल कमिश्नर का कोई भी फैसला, सूचना के प्रपत्र (form) या उसके प्रकाशन की रीति में किसी दोष के आधार पर अमान्य नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन प्रतिधन अधिकारी का प्रत्येक फैसला सम्बन्धित खाते में स्वत्व का दावा करने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बाध्य होगा, चाहे ऐसे व्यक्ति, स्थिति अनुसार, प्रतिधन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट जज या ज्युडिशियल कमिश्नर के सन्मुख कार्यवाहियों में उपस्थित या सम्मिलित हुए हों या न हुए हों।

13. काश्तकार द्वारा देय कुल प्रतिधन.—काश्तकार द्वारा देय कुल प्रतिधन, भूमि पर भूस्वामी के किसी भी निर्मित भवन के मूल्य सहित, जैसा वह प्रतिधन अधिकारी द्वारा निर्धारित हुआ है, धारा 12 के अधीन निश्चित प्रतिधन राशि होगी :

परन्तु यदि काश्तकार भवन अर्जित नहीं करना चाहता तो भवन का निर्धारित मूल्य कुल प्रतिधन की राशि से अलग कर दिया जाएगा, और भूस्वामी, भवन तथा उससे संलग्न उतनी भूमि और रास्ते का अधिकारी (right of passage) होगा, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के एक वर्ष पूर्व तक उसके उपयोग में रहा हो।

14. कुछ परिस्थितियों में काश्तकारी की भूमियों के भाग में भूस्वामी के अधिकारों का काश्तकार द्वारा अर्जन.—(1) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी उपकाश्तकार से अन्य ऐसा काश्तकार, जिस के पास बारह एकड़ से अधिक क्षेत्र की काश्तकारी हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय प्रतिधन अधिकारी को एक प्रार्थनापत्र निम्नलिखित क्षेत्र भूस्वामी को समर्पित करने के लिए दे सकेगा—

(क) भोक्ता काश्तकार की दशा में काश्तकारी की भूमि के 1/4 भाग के बराबर; और

(ख) अन्य दशाओं में, काश्तकारी के 3/8 भाग के बराबर।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन समर्पण के लिये प्रार्थनापत्र दिया जा चुका हो, प्रतिधन अधिकारी भूस्वामी के पक्ष में समर्पित क्षेत्र काश्तकारी की बाकी भूमि से सीमांकित (demarcate) करेगा और भूस्वामी को उसका कब्जा प्रदान करेगा।

(3) ऐसा कब्जा प्रदान होने पर काश्तकार तुरन्त काश्तकारी की बाकी भूमि के सम्बन्ध में स्वामी बन जाएगा और भूस्वामी के उक्त भूमि में अधिकार, आगम और स्वत्व का अन्त हो जाएगा।

15. भूस्वामी के अधिकारों का राज्यशासन द्वारा अर्जन.—(1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (घ) और (छ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि अधिसूचना में विशिष्ट दिनांक से और उस में विशिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में भूस्वामी के, ऐसी काश्तकारी की भूमि में, जो उस के अधीन किसी काश्तकार ने ली हुई हो, अधिकार, आगम और स्वत्व ऐसे समस्त भाररोधों से मुक्त होकर, जो उक्त भूस्वामी ने उक्त भूमि पर किये हों, राज्य शासन को हस्तांतरित और उस में निहित समझे जाएंगे।

(2) पूर्वोक्त दिनांक से—

(क) उक्त भूमियों के सम्बन्ध में भूस्वामी के किसी लगान या भूराजस्व के किसी भाग को लेने या उस का संग्रहण करने के सब अधिकार समाप्त हो जाएंगे और भूमियों के सम्बन्ध में उसका भूराजस्व चुकाने का उत्तरदायित्व भी समाप्त हो जाएगा;

(ख) काश्तकार सीधा राज्यशासन को, उतना लगान चुकाएगा जितने के लिए वह अधिसूचना के दिनांक से पूर्व भूस्वामी को चुकाने के लिए उत्तरदायी था; और

(ग) धारा 84 के खंड (ख) से (च) खंडों में वर्णित परिणाम यथोचित परिवर्तन-उपरान्त (*mutatis mutandis*) आरम्भ होंगे।

16. भूस्वामियों को उनके अधिकार-अर्जन के लिए प्रतिधन.—जिस भूस्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व धारा 15 के अधीन राज्यशासन द्वारा अर्जित हो गए हों उसे प्रतिधन का अधिकार होगा, जिसकी गणना, जहां तक हो सके, धारा 12 और 13 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

17 प्रतिधन की चुकती की रीति.—धारा 16 के अधीन भूस्वामी को देय प्रतिधन, नक़दी में या बन्धपत्रों द्वारा या अंशतः नक़दी के रूप में और अंशतः बन्धपत्रों के रूप में, जैसा कि विनिहित किया जाए, दिया जाएगा।

18. प्रतिधन पर ब्याज.—भूस्वामी को देय प्रतिधन की राशि पर, भूस्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व राज्यशासन में निहित होने के दिनांक से ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर राज्यशासन द्वारा निम्नलिखित दिनांक तक ब्याज दिया जाएगा:—

(क) जब प्रतिधन नक़दी के रूप में दिया जाए तो भूस्वामी को प्रतिधन की राशि चुकाने के दिनांक तक, और

(ख) जब प्रतिधन बन्धपत्रों के रूप में दिया जाए तो बन्धपत्रों का परिपाक होने के दिनांक तक।

19. प्रतिधन के लिए दावे और ऐसे दावों का निश्चय.—(1) इस अध्याय के अधीन प्रतिधन-राशि का निश्चय होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, प्रतिधन अधिकारी विनिहित रीति से ग्राम या सम्पदा में एक सूचना यह अपेक्षा करते हुए प्रकाशित करवाएगा कि किसी काश्तकारी की भूमियों के सम्बन्ध में कुल प्रतिधन में स्वत्व का दावा रखने वाले सब व्यक्ति सूचना के प्रकाशन के दिनांक से छः महिनों की अवधि के भीतर उसके सन्मुख एक विवरण प्रस्तुत करें।

(2) प्रतिधन के लिए जो दावा उपधारा (1) में विशिष्ट समय के भीतर प्रतिधन अधिकारी के पास नहीं किया जाता वह प्रवर्तनीय नहीं रहेगा:

परन्तु उचित अवस्थाओं में प्रतिधन अधिकारी उक्त दावा करने की अवधि बढ़ा सकेगा।

20. दीवानी न्यायालय को दावा निर्दिष्ट करना.—जब प्रतिधन का दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिधन अधिकारी उनसे यह अपेक्षा करेगा कि वे ऐसे दावे को अभिनिर्णय (adjudication) के लिये सक्षम दीवानी न्यायालय में भेजें।

21. प्रतिधन की चुकती.— (1) जब दावेदारों के बीच प्रतिधन में उनके क्रमानुसार भागों के सम्बन्ध में कोई झगड़ा न हो तो प्रतिधन अधिकारी उन के क्रमशः भागों के अनुसार उन्हें चुकती करेगा।

(2) जब दावेदारों के बीच प्रतिधन में उनके क्रमशः भागों के सम्बन्ध में विवाद हो तो प्रतिधन अधिकारी उन्हें धारा 20 के अधीन दीवानी न्यायालय के अभिनिर्णय के अनुसार चुकती करेगा।

22. अवयस्कों की दशा में प्रतिधन जमा कराना.—यदि भूस्वामी अवयस्क हो तो प्रतिधन अधिकारी प्रतिधन को कलेक्टर के पास या राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रवरित (selected) किसी बैंक में जमा करवाएगा।

23. भूराजस्व के बकाया का घटाया जाना.—भूराजस्व के बकाया, यदि कोई हों, भूस्वामी को देय प्रतिधन की कुल राशि में से प्रतिधन अधिकारी द्वारा घटा दिये जाएंगे और राज्यशासन के पास जमा कर दिये जाएंगे।

24. शामिलात भूमि.—(1) जब किसी काश्तकारी की भूमियों में भूस्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन काश्तकार या राज्यशासन द्वारा अर्जित हो जाएं तो शामिलात में भूस्वामी के अधिकार, उक्त अर्जन की मात्रा तक, यथास्थिति, काश्तकार या राज्यशासन पर अवक्रमित (devolve) हो जाएंगे।

(2) प्रतिधन के निश्चय और चुकती के विषय में उक्त शामिलात भूमियों में भूस्वामी के अधिकार अर्जन करने के सम्बन्ध में इस अध्याय के उपबन्ध, जहां तक हो सके, उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जिस प्रकार कि वे अन्य भूमियों में ऐसे अधिकारों के अर्जन के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं :

परन्तु यदि किसी दशा में शामिलात भूराजस्व की चुकती के लिए विधिबद्ध न हो तो प्रतिधन की गणना के प्रयोजनार्थ इस सम्बन्ध में भूराजस्व ऐसी दर पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि विनिहित किया जाए।

25. प्रतिधन अधिकारी की अनुपूरक शक्तियां.—प्रतिधन अधिकारी को शपथें दिलवाने, सादय लेने, और साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने तथा प्रलेख और भौतिक वस्तुएं प्रस्तुत करने के हेतु कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के अधीन दीवानी न्यायालय की शक्तियां होंगी।

26. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्यशासन इस अध्याय के प्रयोजन पूरा करने के हेतु नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती उपबन्धों की सामान्यता को बाधित न करते हुए इन नियमों द्वारा निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था हो सकेगी :—

(क) स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुमत विनिहित किये जाने वाले समस्त विषय;

(ख) प्रतिधन अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का सम्पादन करने में अनुसरण कीजाने वाली प्रक्रिया;

(ग) धारा 12 और धारा 13 के अधीन काश्तकार द्वारा भूस्वामी को देय प्रतिधन निश्चित करने की रीति;

(घ) काश्तकार द्वारा प्रतिधन राजकोष में जमा करने की रीति;

(ङ) भूस्वामी को प्रतिधन चुकाने की रीति;

(च) पुनर्वासन अनुदानों (rehabilitation grants)को निश्चित करने के सिद्धान्त और रीति;

(छ) इस अध्याय के अधीन प्रार्थनापत्र या याचिकाओं (petitions) के लिये दी जाने वाली फ़ीसें, यदि कोई हों;

(ज) एक प्रतिधन अधिकारी से दूसरे को कार्यवाहियों का हस्तान्तरण;

(झ) सूचनाओं के प्रकाशन की रीति; और

(ञ) सामान्यतः इस अध्याय के उपबन्धों के प्रवर्तन से सम्बन्धित विषयों में प्रतिधन अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के पथ प्रदर्शन के लिये नियम।

27. शासन में स्वामित्व के अधिकार निहित होना.—(1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जिस भूस्वामी के पास 125 रुपये से अधिक वार्षिक भूराजस्व की भूमि है उस भूस्वामी के उक्त भूमि में अधिकार, आगम और स्वत्व समस्त भाररोधों से मुक्त होकर, राज्यशासन को हस्तांतरित और उस में निहित समझे जायेंगे।

(2) उपखण्ड (1) की कोई भी बात ऐसी भूमि पर प्रवृत्त नहीं होगी जिसको भूस्वामी स्वयं काश्त करता है।

(3) जिस भूस्वामी के अधिकार उपधारा (1) के अधीन राज्यशासन द्वारा अर्जित हो गए हों उसे प्रतिधन लेने का अधिकार होगा, जो इस अधिनियम की धारा 17 और 18 को ध्यान में रखते हुए प्रतिधन अधिकारी द्वारा अनुसूची 2 के उपबन्धों के अनुसार निश्चित किया जाएगा; किन्तु ऐसे भोक्ता काश्तकार की दशा में, जो भूराजस्व या भूराजस्व के गुने में लगान चुकाने का उत्तरदायी हो उसके भूस्वामी को देय प्रतिधन की गणना अनुसूची 1 के अनुसार होगी।

(4) उपधारा (1) या (2) के अधीन भूस्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित होने पर वह राज्यशासन द्वारा उस काश्तकार को, जिसकी काश्त में ऐसी भूमि हो, अनुसूची 1 के अनुसार प्रतिधन लेकर दिए जायेंगे।

(5) राज्यशासन उस छोटे भूस्वामी को जिसके अधिकार, आगम व स्वत्व समाप्त हुए हों और जिस की कोई और आजीविका न हो, पुनर्वासन अनुदान (rehabilitation grant) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार देगा।

अध्याय 4

लगान

सामान्यतः लगान (Rents Generally)

28. भूमिपति तथा काश्तकार के उपज के अलग-अलग अधिकार (Respective rights of land-lord and tenant to produce).—(1) किसी काश्तकारी के सम्बन्ध में तत्काल देय लगान उस की उपज पर प्रथम भार होगा।

(2) काश्तकार भूमिपति के किसी विघ्न के बिना अपनी काश्तकारी की उपज की काश्त के दौरान देख भाल करने और उसकी फसल काटने तथा संग्रह करने का अधिकारी होगा।

(3) सिवाए उस के जहां लगान उपज की बटाई के रूप में लिया जाता हो, काश्तकार उपज के अनन्य कब्जे का अधिकारी होगा।

(4) जहां लगान उपज की बटाई द्वारा लिया जाता हो:—

(क) काश्तकार समस्त उपज के अनन्य कब्जे का अधिकारी होगा जब तक कि उसका बटवारा न हो जाए;

(ख) भूमिपति उपज की बटाई के समय उपस्थित होने और उस में भाग लेने का अधिकारी होगा। यह बटाई खलिहान पर होगी;

(ग) उपज का बटवारा होने पर भूमिपति अपने भाग के कब्जे का अधिकारी होगा

29. वस्तुरूप में देय लगान का विपर्यय.—(1) जहां कहीं काश्तकार अपनी काश्तकारी का लगान वस्तुरूप में या उपज के भाग के आगणित मूल्य में या फ़सल की प्रकृति या अन्यथा: एक अथवा अन्य रीति से उस की परिवर्ती या नियत दर से देता है, तो काश्तकार लगान का विपर्यय नक़दी के रूप में करने की प्रार्थना कर सकेगा।

(2) प्रार्थनापत्र कलेक्टर या राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में विशेषत: प्राधिकृत अन्य अधिकारी को दिया जाएगा।

(3) प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर अधिकारी देय नक़द लगान की राशि निश्चित करेगा और यह आदेश देगा कि काश्तकार लगान की चुकती वस्तुरूप में या अन्यथा उक्त रूप में करने के स्थान पर उक्त प्रकार निश्चित लगान के रूप में करे:

परन्तु नक़द लगान के रूप में निश्चित राशि किसी भी अवस्था में धारा 39 में निर्दिष्ट लगान की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

(4) ऐसा निश्चय करते समय, अधिकारी निम्नलिखित का ध्यान रखेगा—

(क) काश्तकारों द्वारा समीप की उसी प्रकृति की और लाभ वाली भूमियों का औसत देय नक़द लगान;

(ख) पिछले दस वर्ष या किसी अन्य उससे थोड़ी अवधि में, जिस का कोई प्रमाण हो, भूस्वामी द्वारा प्राप्त वास्तविक लगान का औसत मूल्य; और

(ग) ऐसे व्यय, यदि कोई हों, जो भूस्वामी ने सींचाई के सम्बन्ध में वस्तुरूप लगान पद्धति के अधीन दिये हों।

(5) उक्त आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें ऐसे आधारों का, जिस पर वह दिया गया हो और ऐसे समय का विवरण होगा, जब से वह प्रवृत्त होगा और उसी रीति से ही उस पर अपील की जा सकेगी मानो कि वह एक ऐसा आदेश है जो कि साधारण माल कार्यवाही के सम्बन्ध में दिया गया हो।

30. भूमिपति की स्वीकृति के बिना भुक्त भूमि के लिये चुकती (Payment of land occupied without consent of landlord).—ऐसा व्यक्ति जो भूमिपति की सम्मति के बिना किसी भूमि पर क़ाबिज़ हो ऐसी भूमि के क़ब्जे या प्रयोग के लिए ऐसे लगान की दर पर चुकती का उत्तरदायी होगा जो गत कृषि वर्ष में देय रही हो अथवा यदि उस वर्ष में ऐसा लगान देय नहीं था तो ऐसी दर से, जो न्यायालय उचित तथा न्यायानुकूल (equitable) नियत करे।

31. अविभक्त सम्पति के लगान का संग्रह (Collection of rents of undivided property).—यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी काश्तकारी के काश्तकार के भूमिपति हों, तो ऐसा काश्तकार अपनी काश्तकारी के लगान का कुछ भाग उन में से एक व्यक्ति को, और कुछ भाग दूसरे को देने के लिए बद्ध (bound) न होगा ।

उपज पर लगान (Produce Rents)

32. बटाई अथवा मूल्यन के पूर्व हटाई गई उपज के सम्बन्ध में अनुमान (Presumption with respect to produce removed before division or appraisement):—जब लगान उपज की बटाई अथवा मूल्यन के, आधार पर लिया जाता हो और यदि कोई काश्तकार उपज के किसी भाग को ऐसे समय या ऐसी रीति से हटा ले, जिस से उचित बटाई अथवा मूल्यन में बाधा पड़े, अथवा उपज का व्यवहार इस प्रकार करे, जो प्रचलित प्रथा के विपरीत हो, तो वह उपज इतनी ही भरपूर मानी जायेगी जितनी कि उस के पड़ोस में उसी प्रकार की भरपूर फ़सल जो उसी प्रकार की भूमि में हुई हो ।

33. बटाई अथवा मूल्यन के हेतु निर्णायक की नियुक्ति (Appointment of referee for division or appraisement):—यदि भूमिपति या काश्तकार स्वयं अथवा अभिकर्ता द्वारा उपज की बटाई अथवा मूल्यन के उचित समय पर उपस्थित न हो या यदि बटाई अथवा मूल्यन में किसी प्रकार का झगड़ा हो तो माल अधिकारी उपज की बटाई अथवा मूल्यन करने के हेतु किसी भी पक्ष के प्रार्थना पत्र देने पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जिसे वह निर्णायक बनने के योग्य समझे ।

34. अभिनिर्धारकों की नियुक्ति तथा निर्णायक की कार्य रीति (Appointment of Assessor and procedure of referee):—(1)जब पूर्ववर्ती धारा के अधीन माल अधिकारी निर्णायक नियुक्त करता है, तो वह उस सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति को उस के संग, किन्हीं अन्य व्यक्तियों को अभिनिर्धारक के रूप में साहचर्य (association) की तथा उन की संख्या, योग्यता तथा उन के चुनाव तथा उस कार्य रीति के विषय में, जो बटाई के या मूल्यन के लिये प्रयोग में लाई जाए, अनुदेश देगा।

(2) ऐसा नियुक्त किया गया निर्णायक बटाई अथवा मूल्यन ऐसे अनुदेशों के अनुसार करेगा जो उसे अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन माल अधिकारी से मिले हों।

(3) बटाई अथवा मूल्यन के पूर्व निर्णायक भूमिपति और काश्तकार को ऐसे समय तथा स्थान की सूचना देगा जहां बटाई अथवा मूल्यन होना हो किन्तु यदि भूमिपति अथवा काश्तकार स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा उपस्थित न हो तो निर्णायक एकतरफा कार्यवाही कर सकेगा।

(4) बटाई अथवा मूल्यन के प्रयोजन के लिये निर्णायक अपने अभिनिर्धारकों (assessor) सहित, यदि कोई हो, किसी भूमि पर अथवा भवन में जहां उपज हो प्रवेश कर सकेगा।

35. बटाई अथवा मूल्यन के पश्चात् प्रक्रिया (Procedure after division or appraisement):—(1) बटाई अथवा मूल्यन का परिणाम निर्णायक द्वारा अभिलिखित और हस्ताक्षरित होगा तथा वह अभिलेख माल अधिकारी को भेजा जाएगा।

(2) माल अधिकारी उस अभिलेख पर विचार करेगा और ऐसी अन्य जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझे बटाई अथवा मूल्यन को पुष्ट अथवा रूपान्तरित करने का आदेश देगा।

(3) माल अधिकारी ऐसा आदेश भी देगा जिसे वह प्रतिप्रेषण के खर्च (cost of reference) के सम्बन्ध में ठीक समझे।

(4) खर्च के अन्तर्गत हो सकेगा = निर्णायक तथा अभिनिर्धारकों, यदि कोई हो, का खर्चा जो निर्णायक की नियुक्ति से पूर्व ही प्रार्थी से इस शर्त के साथ वसूल हो सकेगा कि वह कार्यवाहियों के समाप्त होने पर समायोजित हो सके।

36. लगानों में कमी (Reduction of rents):—किसी काश्तकार द्वारा देय लगान इस कारण से कम किया जा सकेगा कि उसकी काश्तकारी की उपज-शक्ति ऐसे कारण से कम हो गई हो, जो उस के नियन्त्रण में नहीं है।

लगान की वृद्धि या न्यूनता के हेतु वादों के विषय में सामान्य उपबन्ध

(General provisions relating to suits for enhancement or reduction of rent)

37. वाद द्वारा लगान की वृद्धि तथा न्यूनता (Enhancement and reduction of rent by suit):—(1) इस अधिनियम की इस और अन्य धाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, माल न्यायालय किसी भूमिपति अथवा काश्तकार के वाद पर किसी काश्तकार के लगान में वृद्धि अथवा न्यूनता कर सकेगा।

(2) जब ऐसे काश्तकार के लगान में वृद्धि करने के हेतु डिक्री दी जा चुकी हो, तो ऐसी डिक्री के दिनांक से पांच वर्ष न बीत जाने तक लगान में अधिक वृद्धि के लिए वाद नहीं हो सकेगा, यदि इस अवधि के भीतर ऐसे स्थानीय क्षेत्र का, जिस में डिक्री में सम्मिलित भूमि स्थित है, भूराजस्व के रूप में सामान्यतः पुनर्निधारण न हुआ हो और उस भूमि के सम्बन्ध में देय भूराजस्व न बढ़ा दिया गया हो।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी काश्तकार के लगान में वृद्धि करने के हेतु दायर किया गया वाद किन्हीं भी निम्नलिखित अवस्थाओं में ग्रहण न किया जाएगा, अर्थात्—

(क) यदि इस के दायर करने के पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर इस का लगान धारा 29 के अधीन बदला (commuted) या इस धारा के अधीन बढ़ाया गया हो;

(ख) यदि इस समय के भीतर इस अधिनियम के अधीन उस लगान को बढ़ाने के हेतु वाद को खारिज करने की डिक्री वाद के गुणों का विचार करके दी गई हो (decree dismissing on the merits a suit for enhancement of this rent)

38. वृद्धि अथवा न्यूनता के प्रवर्तन का समय (Time for enhancement or reduction to take effect):—(1) यदि लगान में वृद्धि करने के लिए डिक्री देने वाला न्यायालय कोई विपरीत आदेश न दे तो वृद्धि डिक्री के दिनांक से आगे प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष से प्रभावी होगी।

(2) लगान में कमी करने के लिए डिक्री देने वाला न्यायालय डिक्री में वह दिनांक तथा समय, जब से वह कमी प्रभावी होनी हो, निर्दिष्ट करेगा।

ऐसे लगान का समायोजन जो भूराजस्व के रूप में प्रकट किया गया हो

39. लगान की अत्याधिक सीमा (Maximum limit for rent):—(1) इस अधिनियम अथवा किसी संविदा अथवा प्रथा या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी काश्तकार का अपनी भूमि के सम्बन्ध में देय अत्याधिक लगान उक्त भूमि की फसल के या उक्त उपज के मूल्य के चौथे भाग से अधिक नहीं होगा। फसल अथवा लगान का मूल्य, यदि आवश्यक हो, कलेक्टर ऐसे नियमों द्वारा निश्चित करेगा जिसे फ़ाईनैन्शियल कमिश्नर ने बनाया हो :

परन्तु उपज के अन्तर्गत घास भूसा नहीं है।

(2) केवल इस कारण से कि देय लगान उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सीमा से कम है, किसी भूस्वामी को उसे बढ़ाने का अधिकार न होगा।

व्याख्या:—यदि देय लगान पंजाब टैनैन्सी (हिमाचल प्रदेश एमैन्डमैंट) ऐक्ट, 1953 के अधीन कम कर दिया गया हो तो देय लगान वही समझा जायेगा जैसा कि इस अधिनियम के प्रवृत होने से पहले था।

40. ऐसे लगानों का समायोजन जो भूराजस्व के रूप में प्रकट किए गए हों (Adjustment of rents expressed in terms of the land revenue):— (1) जहां किसी काश्तकारी का समस्त लगान या उस के भूराजस्व का अंश किसी नक़द, वस्तु या सेवा के योग सहित या उस से रहित, और उस खाते का भूराजस्व, जहां वह काश्तकारी स्थित है, परिवर्तित हो जाए, तो पंजाब लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, 1887, जैसा कि वह 26 जनवरी, 1950 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त था, के अधीन अधिकृत माल अधिकारी, उसी सम्पदा में जिस में यह काश्तकारी स्थित है उस के अनेक खातों का भूराजस्व निश्चित करेगा और उस काश्तकारी के काश्तकार द्वारा लगान रूप में देय भूराजस्व की राशि अथवा उसके अनुपाती भाग को भी निश्चित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट योग काश्तकारी के भूराजस्व के सम्बन्ध में नियत प्रतिशतता के रूप में है अथवा समस्त स्थानीय कर तथा उपकर या दोनों जो उस पर देय हैं या उन के अंश के रूप में है तो माल अधिकारी इसी प्रकार से समय समय पर ऐसे भूराजस्व अथवा स्थानीय कर तथा उपकर के परिवर्तन के अनुपात में युक्त राशि का परिवर्तन करेगा।

(3) पूर्ववर्ती उपधाराओं के अधीन निश्चित राशि अथवा राशियां ऐसी वृद्धियों सहित जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट योग के अतिरिक्त अन्य पहले से देय थीं, उस काश्तकारी के सम्बन्ध में देय लगान होंगी जब तक कि उस के भूराजस्व में अथवा स्थानीय कर तथा उपकर में जो उस पर देय है फिर से परिवर्तन न हो जाए या उस का लगान इस अधिनियम के अधीन वाद द्वारा बढ़ा न दिया जाए।

(4) इस धारा के अधीन लगान में किया गया परिवर्तन इस अधिनियम के अर्थ में लगान में वृद्धि अथवा न्यूनता नहीं समझी जाएगी।

क्षेत्र के परिवर्तन पर लगान में परिवर्तन
(Alteration of rent on alteration of area)

41. क्षेत्र के परिवर्तन पर लगान में परिवर्तन (Alteration of rent on alteration of area).—(1) प्रत्येक काश्तकार—

(क) ऐसे क्षेत्र से अधिक समस्त भूमि के प्रमाण मिलने पर जिस का लगान पहले दिया जा चुका हो उस के अतिरिक्त लगान देने का उत्तरदायी होगा जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि उसकी काश्तकारी में अधिकता उस भूमि के कारण है जो पहले उसकी काश्तकारी में होने पर लगान में कोई कमी हुए बिना बाढ़ (diluvian) द्वारा अथवा किसी अन्य कारण से (otherwise) नष्ट हो गई हो, तथा

(ख) अपनी काश्तकारी के क्षेत्र का ऐसे क्षेत्र से मुकाबला करने में जिस का लगान उसके द्वारा पहले दिया जा चुका है कमी के प्रमाण मिलने पर उस लगान में अपाकरण (abatement) का अधिकारी होगा, जब तक कि यह प्रमाण न मिल जाए कि ऐसी कमी उस भूमि के नष्ट हो जाने के कारण है जो काश्तकारी में किसी बाढ़ सम्बन्धी अथवा किसी अन्य कारण से मिल गई थी और क्षेत्र में अधिकता होने पर लगान में वृद्धि नहीं हुई है।

(2) ऐसे क्षेत्र को निश्चित करने के हेतु जिस का पहले लगान दिया जा चुका हो न्यायालय अन्य विषयों सहित निम्नलिखित का ध्यान रखेगा, अर्थात् —

(क) काश्तकार के आभोग का प्रारम्भ तथा शर्तें, उदाहरणतः आया कि ऐसा लगान समस्त काश्तकारी का सकल लगान था,

(ख) आया कि समस्त लगान में अधिकता का ध्यान रखते हुए या अन्य कारण से भूमिपति की सहमति तथा ज्ञान होने पर काश्तकार को अधिक भूमि के क़ब्जे की अनुमति दी गई है, तथा

(ग) ऐसे समय की अवधि जिस में लगान अथवा क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई झगड़ा न हुआ हो ।

(3) इस धारा के अधीन लगान में वृद्धि अथवा अपाकरण करने में न्यायालय लगान में वृद्धि अथवा न्यूनता उस मात्रा तक करेगा जिसे वह उचित तथा न्यायपूर्ण (fair and equitable) समझे और अपनी डिक्री में ऐसा दिनांक निर्दिष्ट करेगा जब से वृद्धि अथवा अपाकरण प्रभावी होगा।

(4) इस धारा के अधीन लगान में अधिकता अथवा अपाकरण इस अधिनियम के अर्थ में लगान में वृद्धि अथवा न्यूनता नहीं समझा जाएगा।

परिहार (Remission)

42. बकाया की डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा लगान में परिहार (Remission of rent by court decreeing arrears).— इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी यदि लगान के बकाया की डिक्री देने वाले न्यायालय को यह ज्ञान पड़े कि काश्तकारी का क्षेत्र बाढ़ सम्बन्धी अथवा अन्य कारणों से इतना घट गया है अथवा वहां की उपज अनावृष्टि (draught) ओले, रेत के इकट्ठा होने से अथवा किसी ऐसे ही अन्य संकट आने पर घट गई हो कि काश्तकार द्वारा

समस्त देय लगान की राशि की न्याय रूप से डिक्री नहीं दी जा सकती, तो न्यायालय कलेक्टर (Collector) की पूर्व अनुमति ले कर काश्तकार के द्वारा देय लगान में ऐसा परिहार कर सकता है जो उसे न्याययुक्त (just) जान पड़े।

43. भूराजस्व के परिहार तथा स्थगन पर लगान परिहार तथा स्थगन (Remission and suspension of rent consequent on like treatment of Land revenue):—(1) जब कहीं किसी भूमि के सम्बन्ध में देय भूराजस्व की चुकती समस्त रूप अथवा किसी अंश में परिहरित अथवा स्थगित (remitted or suspended) की गई हो तो, यदि ऐसा लगान नकदी में अथवा वस्तु रूप में दिया जाता हो और उस की राशि नियत हो तो माल अधिकारी आदेश द्वारा उस भूमि के लगान की चुकती ऐसी राशि तक परिहरित अथवा स्थगित, जैसी भी दशा हो, कर सकता है, जिस का कि उस भूमि के समस्त देय लगान के सम्बन्ध में वही अनुपात हो जैसा कि उस भूराजस्व का, जिस की चुकती परिहरित अथवा स्थगित हो गई हो, ऐसे समस्त भूराजस्व से है जो उस भूमि पर देय है। जब किसी भूमि के लगान की चुकती इस उपधारा के अधीन स्थगित की गई हो, तो जब तक कलेक्टर उस भूमि के भूराजस्व की वसूली का आदेश न दे, वह स्थगित रहेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश किसी न्यायालय में वाद द्वारा विवादित नहीं हो सकेगा।

(3) किसी लगान की वसूली के हेतु, जिस की चुकती परिहरित हो चुकी हो अथवा किसी लगान के स्थगन की अवधि में जिस की चुकती स्थगित हो गई हो, वाद दायर न हो सकेगा।

(4) जब लगान की चुकती स्थगित हो चुकी हो तो ऐसी अवधि जिस में स्थगन (suspension) जारी रहा हो लगान की वसूली के बाद के लिए विनिहित परिसीमा अवधि की गणना (computation) से पृथक की जाएगी।

(5) यदि कोई भूमिपति किसी काश्तकार से परिहरित या स्थगित लगान का संग्रह करता है तो माल अधिकारी भूमिपति से ऐसे संग्रहीत लगान के मूल्य की राशि की वसूली करेगा तथा शास्ति के रूप में ऐसी अधिक राशि जो उस राशि अथवा मूल्य से अधिक न हो वसूल करेगा तथा लगान की इस प्रकार संग्रहीत राशि अथवा मूल्य को उस काश्तकार को वापस करवाएगा।

(6) लगान की चुकती के परिहार तथा स्थगन के सम्बन्ध में इस धारा के उपबन्ध, ऐसी भूमि, जिस का भूराजस्व उन्मोचित, अभिसन्धित अथवा निष्क्रीत (released, compounded for or redeemed) हो चुका हो, ऐसी सीमा तक प्रवृत्त हो सकेंगे जहां तक कि उस की प्रवृत्ति हो सके मगर ऐसे विषय में जहां यदि भूमिके सम्बन्ध में भूराजस्व उन्मोचित, अभिसन्धित अथवा निष्क्रीत न हुआ होता तो माल अधिकारी की राय में भूराजस्व समस्त अथवा अंशतः तत्काल प्रचलित भूराजस्व के परिहार तथा लगान के नियमित नियमों के अधीन परिहरित तथा स्थगित किया जा सकता था।

(7) ऐसी राशि, जिस की वसूली का आदेश लगान अथवा शास्ति के कारण उपधारा (5) के अधीन हुआ है, कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जाएगी मानो वह भूराजस्व का बकाया हो।

जमा (Deposits)

44. कुछ विषयों में लगान को माल अधिकारी के पास जमा करने की शक्ति (Power to deposit rent in certain cases with Revenue-officer):—

निम्नलिखित विषयों में किसी भी एक में, अर्थात्—

(क) किसी काश्तकार द्वारा देय नकद लगान जब किसी भूमिपति को दिया जाए और वह उसे लेने से अथवा उसकी रसीद देने से इन्कार करे ; या

(ख) जब किसी काश्तकार को यह संदेह हो कि देय नकद लगान लेने का अधिकारी कौन है,

तो काश्तकार लगान को माल अधिकारी के न्यायालय में जमा करने की अनुमति लेने के लिये प्रार्थना करेगा और माल अधिकारी उसे प्रार्थी का बयान लेने के बाद ले लेगा, यदि माल अधिकारी को यह संतोष हो जाय कि प्रार्थना पत्र देने के पर्याप्त कारण हैं और यदि ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो आगे कही गई सूचना के देने हेतु देय है, प्रार्थी दे देवे।

45. लगान जमा करने का प्रभाव (Effect of depositing rent).— (1) जब किसी जमा की प्राप्ति हो गई हो, तो यह काश्तकार द्वारा उसके भूमिपति को देय लगान की चुकती मानी जाएगी।

(2) ऐसी जमा को प्राप्त करने वाला माल अधिकारी उस प्राप्ति की सूचना ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देगा जिस के विषय में उस का विश्वास हो कि वह जमा का दावेदार है या जमा का अधिकारी है और वह ऐसे व्यक्ति को ऐसी जमा की अदायगी करेगा जो उसे ऐसा जान पड़े कि वह व्यक्ति उस का अधिकारी है अथवा यदि वह ठीक समझे तो तब तक उसे प्रतिधारण रखे (retain the deposit) जब तक कि ऐसे व्यक्ति का जो उस का अधिकारी है युक्त न्यायालय द्वारा निर्णय न हो जाए।

(3) माल अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही पर राज्य अथवा राज्य के किसी अधिकारी पर कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं हो सकेगी किन्तु इस उपधारा में दी गई कोई भी बात ऐसे अधिकृत व्यक्ति को ऐसी जमा की राशि की प्राप्ति को किसी व्यक्ति से जिसे वह राशि माल अधिकारी ने अदा की हो प्रत्यादान करने से नहीं रोकेगी।

कुर्क की गई उपज से लगान की वसूली
(Recovery of rent from attached produce)

46. कुर्क की गई उपज से लगान की वसूली (Recovery of rent from attached produce):—(1) यदि किसी काश्तकारी की उपज या उस काश्तकारी के किसी अंश की कुर्की का किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया गया हो तो भूमिपति ऐसे माल अधिकारी से, जिस के द्वारा कुर्की होनी हो अथवा हो चुकी हो, उपज बेचने और उस की बिक्री से प्राप्त आय में से ऐसी राशि अथवा मूल्य की वसूली की प्रार्थना करेगा, जो—

(क) ऐसे लगान की हो जो उस काश्तकारी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के ठीक पहले वर्ष के भीतर उस को देय हो, तथा

(ख) ऐसे लगान की हो जो उपज की फ़सल काटने के पश्चात् देय होता हो और उस पर प्रभारित हो।

(2) माल अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिस के प्रार्थना किये जाने पर कुर्की हुई हो, यह कारण दिखाने (show cause) के लिये अवसर देगा कि भूमिपति का प्रार्थना पत्र स्वीकार क्यों न किया जाये, और यदि भूमिपति के समस्त लगान का दावा अथवा उस का कोई अंश प्रमाणित हो जाये तो वह उपज अथवा उस के ऐसे अंश जिसे वह आवश्यक समझे, बिकवाएगा और प्राथमिक रूप में बेचने से प्राप्त की गई आय

को दावे के संतोष में प्रयोग में लाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन माल अधिकारी का फैसला भूमिपति और काश्तकार के मध्य एक वाद की डिक्री का प्रभाव रखेगा।

भूराजस्व की निर्धारण अवधि से अधिक अवधि के लिए दिया गया पट्टा (lease) (Lease for period exceeding term of assessment of land revenue)

47. भूराजस्व की निर्धारण-अवधि से अधिक या बराबर अवधि के लिये दिए गये पट्टों के विषय में व्यवहार करना (Treatment of leases for period exceeding or equal to term of assessment of land revenue):—(1) जब किसी भूस्वामी ने ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जिस पर भूराजस्व निर्धारित है कोई पट्टा दिया हो या निर्बन्ध किया हो जिस में उक्त निर्बन्ध या पट्टे के अधीन भूमि के सम्बन्ध में देय लगान या अन्य राशि भूराजस्व की निर्धारण अवधि से अधिक अवधि तक नियत की गई हो और वह अवधि समाप्त हो गई हो तो उक्त पट्टा या निर्बन्ध शून्य होंगे—

(क) भूस्वामी की इच्छा पर, यदि भूमि का भूराजस्व बढ़ा दिया गया है और वह व्यक्ति जिसको पट्टा दिया गया है या जिस के साथ निर्बन्ध हुआ है, उस उक्त लगान या अन्य राशि देने से इन्कार कर देता है जो कि भूस्वामी के वाद पर माल न्यायालय उचित तथा न्यायपूर्ण निश्चित करे, और जहां पर भूमिपति और काश्तकार या उस व्यक्ति के मध्य जिस के साथ निर्बन्ध हुआ है पट्टे के दाता और ग्रहीता का सम्बन्ध है;

(ख) काश्तकार की इच्छा पर यदि भूमि का भूराजस्व घटा दिया गया है और भूमिपति ऐसे लगान को लेने से इन्कार कर देता है जोकि माल न्यायालय, काश्तकार के वाद पर उचित और न्याय पूर्ण निश्चित करे।

अध्याय 5

पट्टा, उत्याग, परित्याग तथा निष्कासन

(Lease, Relinquishment, Abandonment and Ejectment)

पट्टा (Lease)

48. पट्टे (Leases).—कोई भूस्वामी जो—

(क) अवयस्क या स्त्री हो; या

(ख) किसी शारीरिक या मानसिक व्याधि के कारण भूमि को काश्त करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो; या

(ग) सशस्त्र सेना में सैनिक हो; या

(घ) भूमि काश्त करने में, अपने नियंत्रण से बाहर के किसी पर्याप्त कारण द्वारा अस्थाई रूप से असमर्थ हो;

कलेक्टर की अनुमति से अपने द्वारा प्रति धारित भूमि, ऐसे समय के लिए जिसे कलेक्टर निश्चित करे, पट्टे पर दे सकेगा:

परन्तु जब कलेक्टर द्वारा पट्टे के लिए निश्चित समय की समाप्ति से पूर्व ऐसी अयोग्यता भूस्वामी की मृत्यु होने के कारण या अन्यथा समाप्त हो जाए तो पट्टा ऐसे समय के भीतर समाप्त हो जाएगा जिसे कलेक्टर निश्चित करे।

उत्याग (Relinquishment)

49. किसी नियत अवधि के लिये काश्तकार द्वारा उत्याग (Relinquishment by tenant for a fixed term).—ऐसा काश्तकार जो किसी संविदा या युक्त पदाधिकारी की डिक्री अथवा आदेश के अधीन किसी नियत समय के लिये काश्तकारी के कब्जे में हो अवधि के समाप्त हो जाने पर सूचना दिये बिना उस का त्याग कर सकेगा।

50 किसी अन्य काश्तकार द्वारा त्याग (Relinquishment by any other tenant.—(1) अन्य कोई भी काश्तकार किसी वर्ष में जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उस से पहले अपनी काश्तकारी के त्याग के विचार की लिखित सूचना प्रचलित कृषि वर्ष के अन्त में, अपने भूमिपति अथवा उस के अभिकर्ता (agent) को दे कर, अपनी काश्तकारी का त्याग कर सकेगा।

(2) काश्तकार उपधारा (1) में दी गई रीति के अनुसार सूचना देने के बजाय या उसके अतिरिक्त भूमिपति को सूचना देने के हेतु उल्लिखित दिनांक अथवा उस से पूर्व माल अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकेगा और माल अधिकारी काश्तकार से तामील का खर्च (cost of service) प्राप्त करने पर यथासम्भव शीघ्र ही विनिहित सूचना दिलवाएगा।

(3) यदि काश्तकार इस धारा में विनिहित रीति के अनुसार सूचना न दे तो वह अपनी काश्तकारी का लगान आने वाले कृषि वर्ष के ऐसे अंश के लिये, जिस में भूमिपति उस काश्तकारी को किसी अन्य व्यक्ति को खेती करने को नहीं देता है अथवा स्वयं काश्त नहीं करता है, देने का उत्तरदायी होगा।

51. काश्तकारी के केवल अंश का उत्याग (Relinquishment of part only of tenancy).—काश्तकार भूमिपति की अनुमति के बिना अपनी काश्तकारी के केवल अंश का त्याग नहीं कर सकता।

परित्याग (Abandonment)

52. काश्तकारी का परित्याग (Abandonment of tenancy).—यदि कोई आभोग अधिकारी काश्तकार किसी पर्याप्त कारण के बिना एक वर्ष से अधिक समय तक अपनी काश्तकारी को काश्त करने और उसके लगान को जब वह देय हो, चुकती करने से चूक जाय, तो उस के आभोग अधिकार उस वर्ष के अन्त पर समाप्त हो जायेंगे;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सशस्त्र सेना का सैनिक, अविवाहित स्त्री, अथवा यदि विवाहित

हो, तो तलाक दी हुई (divorced), अथवा पति से अलग हुई, अथवा विधवा, अवयस्क, ऐसा व्यक्ति जिस में ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता हो, जिस के कारण वह भूमि को स्वयं काश्त न कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी स्वीकृत संस्था में अध्ययन करता हो और ऐसा व्यक्ति जो नजरबन्दी अथवा कारावास में हो इस कारण से कि उसने खाते या उसके भाग को किसी अन्य व्यक्ति को काश्त करने के हेतु बिना भूमिपति की अनुमति के दे दिया है, निष्कासन का भागी न होगा।

निश्कासन

53. भोक्ता काश्तकार के निष्कासन के कारण (Grounds of ejectment of occupancy tenant):—आभोग अधिकार काश्तकार अपनी काश्तकारी से किसी एक अथवा अधिक निम्नलिखित कारणों के न होने पर नहीं निकाला जाएगा, अर्थात—

(क) जब उसने उस काश्तकारी की भूमि का इस भांति प्रयोग किया है कि जिस से वह उस कार्य के लिए जिस के हेतु वह ली गई थी, अयोग्य हो गई हो;

(ख) ऐसी भूमि, जिसका लगान वस्तु रूप में देय है, की उसने बिना पर्याप्त कारणों के ऐसी रीति अथवा उस मात्रा तक, जो उस स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित है, काश्त नहीं की है;

(ग) काश्तकारी के सम्बन्ध में लगान के बकाया के हेतु डिक्री पारित की गई है और उसका पालन नहीं किया गया है (has not been satisfied).

54. अन्य काश्तकारों के निष्कासन के कारण (Grounds of ejectment of other tenants):—(1) कोई भी काश्तकार आभोग अधिकारी न होने पर अपनी काश्तकारी से निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारणों के न होने पर नहीं निकाला जाएगा, अर्थात्—

(क) जब उसने काश्तकारी में स्थित भूमि का इस भांति प्रयोग किया हो कि जिस से वह उस कार्य के लिए, जिस के हेतु वह ली गई है अयोग्य हो गई हो;

(ख) जहां लगान वस्तु रूप में देय है उस भूमि की जो उस की काश्तकारी में स्थित है, पर्याप्त कारणों के न होने पर, उस रीति अथवा उस मात्रा तक जो उस स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित है, वह काश्त करने अथवा काश्त कराने का प्रबन्ध न कर पाया हो;

(ग) उस ने खाते या उसके किसी अंश को भूमिपति की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुभाटक (sublet) पर लाभ के हेतु दिया हो:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सशस्त्र सेना का सैनिक, अविवाहित स्त्री, अथवा यदि विवाहित हो, तो तलाक दी हुई (divorced), अथवा पति से अलग हुई, अथवा विधवा, अवयस्क, ऐसा व्यक्ति जिस में ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यता हो जिस के कारण वह भूमि को स्वयं काश्त न कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी स्वीकृत संस्था में अध्ययन करता हो, और ऐसा व्यक्ति जो नजरबन्दी अथवा कारावास में हो इस कारण से कि उसने खाते या उसके भाग को किसी अन्य व्यक्ति को काश्त करने के हेतु बिना भूमिपति की अनुमति के दे दिया है, निष्कासन का भागी न होगा;

(घ) वह अपनी काश्तकारी ऐसे व्यक्ति से लिए हुए हो जो सशस्त्र सेना में प्रवेश

करने के पूर्व उस की काश्त करता था तथा उसके सशस्त्र सेना में सैनिक न रहने पर उसे स्वयं काश्त करना चाहता है :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा व्यक्ति किसी काश्तकार को ऐसी भूमि के अधिक से अधिक पांच एकड़ तक ही निष्कासित करने का अधिकारी होगा:

परन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि ऐसा निष्कासित काश्तकार उसी भूमि के कब्जे को वापस ले सकेगा यदि भूमिपति उस के निष्कासन के बाद एक वर्ष के भीतर भूमि को स्वयं काश्त नहीं करता है;

(ङ) कि वह पर्याप्त कारणों के न होने पर भी लगान नियमित रूप से नहीं देता है;

(च) कि धारा 48 के अधीन कलैक्टर द्वारा पट्टे की निश्चित की गई अवधि समाप्त हो गई है;

(छ) कि ऐसा भूस्वामी जिससे काश्तकार काश्तकारी लिए हुए है, पांच एकड़ से कम भूमि स्वयं काश्त करता है और काश्तकारी की भूमि को स्वयं काश्त करने की इच्छा करता है;

परन्तु—

(अ) भूस्वामी काश्तकार को उसकी काश्तकारी की भूमि के चौथाई भाग से अधिक भूमि से निष्कासित करने का अधिकारी नहीं होगा;

(आ) भूस्वामी की स्वयं काश्त भूमि का समस्त क्षेत्र किसी अवस्था में भी पांच एकड़ से अधिक नहीं होगा;

(इ) भूस्वामी ऐसी भूमि में निष्कासित काश्तकार को उस भूमि के भूराजस्व के दस गुना धन राशि के बराबर प्रतिधन देगा।

(इ) भूस्वामी—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक छः महीने के पश्चात विनिहित रीति से काश्तकारी की ऐसी भूमि या भूमियों को विशिष्ट करेगा, जिस से या जिनसे वह काश्तकार को निष्कासित करना चाहता है; और

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक एक वर्ष के भीतर वह उक्त निष्कासन के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करेगा:

परन्तु यह भी कि यदि भूस्वामी उक्त निष्कासन के एक वर्ष के भीतर भूमि को स्वयं काश्त नहीं करता तो काश्तकार को इस सम्बन्ध में विनिहित प्राधिकारी के पास प्रार्थना करने पर उक्त भूमि पर कब्जा वापस दिलाया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि काश्तकार वस्तु रूप में देय लगान भूस्वामी को खलिहान पर देने की सूचना दे और भूस्वामी सूचना पाने के पंद्रह दिन के भीतर इस के संग्रहण का प्रबन्ध न कर सके तो माल अधिकारी, खलिहान पर संग्रहण के हेतु भूस्वामी की ओर से उस के खर्च पर अभिकर्ता (agent) नियुक्त कर सकेगा।

निष्कासन की प्रक्रिया (Procedure of ejectment)

55. निष्कासन पर प्रतिबन्ध (Restriction on ejectment).— किसी काश्तकार का डिक्री के निष्पादन के अन्यथा निम्नलिखित दशाओं को छोड़ कर, निष्कासन न हो सकेगा, अर्थात्—

(क) जब उस की काश्तकारी के सम्बन्ध में बकाया लगान की डिक्री उस के विरुद्ध हुई हो और उसका पालन न हुआ हो;

(ख) जब उसे अगस्त, 1952 के पन्द्रहवें दिन को या उस के अनन्तर भूमि ऐसे काश्तकार का निष्कासन करके दी गई हो जिस पर अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के खण्ड (क) से (छ) तक प्रवृत्त न हो सकते थे ।

56. निष्कासन के हेतु माल अधिकारी को प्रार्थना पत्र (Application to Revenue-officer for ejectment).—पूर्ववर्ती धारा के उपखण्ड (क) में दी गई किसी दशा में भूमिपति काश्तकार के निष्कासन के हेतु माल अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकेगा ।

57. बकाया लगान की डिक्री का पालन न करने पर निष्कासन (Ejectment for failure to satisfy decree for arrear of rent).— (1) धारा 55 के उपखंड (क) में दिये गये किसी विषय के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाने पर माल अधिकारी लगान के बकाया होने के सम्बन्ध में, जैसा वह उचित समझे, जाँच करने के पश्चात् काश्तकार को डिक्री के दिनांक और उस के अधीन दातव्य राशि का विवरण देते हुए और उसे इस बात की खबर देते हुए सूचना दिलवाएगा कि यदि वह उस राशि को सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर माल अधिकारी को नहीं देगा तो उसे भूमि से निष्कासित कर दिया जायगा ।

(2) यदि इस प्रकार उस राशि की चुकती न हो, तो माल अधिकारी प्रतिधन की चुकती के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए काश्तकार के निष्कासन का आदेश देगा, यदि इस के विपरीत कोई उचित कारण न दिखाया जाए।

58. नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules).— फाईनैन्शियल कमिश्नर निम्नलिखित विनिहित करते हुये नियम बना सकता है—

(क) अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन प्रार्थना पत्र का प्रपत्र और भाषा ; तथा

(ख) ऐसे प्रार्थना पत्रों के हस्तान्तरण और साक्ष्यांकन की रीति ।

निष्कासन के सम्बन्ध में सामान्य उपबन्ध
(General provisions respecting ejectment)

59. निष्कासन का समय (Time for ejectment).— काश्तकार के निष्कासन के हेतु डिक्री अथवा आदेश का मई के पहले दिनांक और जून के पन्द्रहवें दिनांक (दोनों दिनांक समाविष्ट) के बीच की अवधि के अतिरिक्त किसी अन्य दिनांक को निष्पादन नहीं होगा जब तक कि डिक्री देने वाला न्यायालय या जब आदेश धारा 57 के अधीन दिया गया हो तो ऐसे आदेश देने वाला अधिकारी इस के विपरीत निदेश न दे ।

60. ज़ब्ती के विरुद्ध महायता (Relief against forfeiture).— (1) धारा 53 या 54 के उपखंड (क) और (ख) में किन्हीं कारणों के होने से काश्तकार के निष्कासन के हेतु वाद में यदि न्यायालय को यह जान पड़े कि ऐसे कर्म या अकर्म से पहुंचाई गई हानि, जिस पर वह वाद बना हो उपचारण के योग्य है (is capable of being remedied) अथवा इस हेतु, प्रतिधन देना भूमिपति के लिये पर्याप्त संतोषजनक होगा तो न्यायालय काश्तकार के निष्कासन की डिक्री देने के बजाए ऐसे आदेश अनुसार नियत समय के भीतर हानि के उपचार करने का आदेश देगा अथवा ऐसे समय के भीतर ऐसे प्रतिधन को जिसे न्यायालय उचित समझे न्यायालय में जमा करने का आदेश देगा ।

(2) विशेष कारणों के होने पर न्यायालय समय समय पर उपधारा (1) के अधीन नियत अवधि को बढ़ा सकेगा ।

(3) यदि इस धारा के अधीन न्यायालय द्वारा नियत अवधि या बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जैसी भी दशा हो, हानि का उपचारण हो जाए या प्रतिधन की चुकती हो जाय तो काश्तकार के निष्कासन के हेतु डिक्री नहीं दी जाएगी ।

61. निष्कासित काश्तकारों की फ़सलों तथा बोने के हेतु तैयार की गई भूमि के विषय में अधिकार (Rights of ejected tenants in respect of crops and land prepared for sowing).— (1) किसी भूमि से काश्तकार को प्रस्तावित निष्कासन के समय, जब उस की न काटी गई अथवा असंग्रहीत फ़सल उस भूमि क किसी अश पर खड़ी है, उस अंश से तब तक निष्कासित न किया जाएगा जब तक फ़सल पक न जाए और उसे फ़सल के काटने का उचित समय न दिया गया हो ।

(2) काश्तकार के निष्कासन के हेतु डिक्री अथवा आदेश देने वाला न्यायालय अथवा माल अधिकारी, भूमिपति के प्रार्थना पत्र देने पर उपधारा (1) के उपबन्धों के कारण (consequence) भूमिपति और काश्तकार के मध्य, या भूमिपति और काश्तकार की फ़सल काटने के अधिकार, व्यक्ति के मध्य उठे हुए झगड़ों का निर्णय करेगा और अपने विवेक अनुसार (discretion)—

(क) काश्तकार को उपधारा (1) के अधीन अधिक अवधि के लिये दी गई भूमि पर क़ब्ज़े के लिए ऐसा लगान देने का निदेश देगा जो उचित और न्याय (fair and equitable) हो ;अथवा

(ख) काश्तकार की न काटी गई और असंग्रहीत फ़सलों का मूल्य निश्चित करेगा और उसे भूमिपति द्वारा न्यायालय अथवा माल अधिकारी को देने पर काश्तकार को तुरन्त निष्कासित करेगा ।

(3) जब किसी ऐसे काश्तकार ने जिस के निष्कासन की कार्यवाही हुई हो, स्थानीय रिवाज (local usage) के अनुकूल अपनी काश्तकारी में स्थित भूमि बोने के हेतु तैयार कर ली हो मगर फ़सल न बीजी हो अथवा न उगाई हो, तो वह, भूमिपति से निष्कासन के पूर्व मजदूरी तथा धन, जो उस ने उस भूमि की तैयारी में खर्च किया हो, के बराबर (fair equivalent) नकदी लेने का अधिकारी होगा और वह न्यायालय या माल अधिकारी, जिस के विचार अधीन वह कार्यवाही हो, काश्तकार के प्रार्थना पत्र देने पर इस उपधारा के अधीन

काश्तकार को देय राशि का निश्चय करेगा और निष्कासन को, जब तक वह राशि न दी जाय, रोक देगा।

सदोष स्वत्वहरण (dispossession) के लिए सहायता
(Relief for wrongful dispossession)

62. सदोष स्वत्वहरण अथवा निष्कासन के लिये सहायता (Relief for wrongful dispossession or ejectment).—यदि कोई काश्तकार अपनी काश्तकारी अथवा उस के किसी अंश से बिना उसकी स्वीकृति के डिक्री के निष्पादन या धारा 57 के अधीन आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से (otherwise) निष्कासित कर दिया गया हो तो वह ऐसे स्वत्वहरण अथवा निष्कासन के दिनांक के एक वर्ष के भीतर कब्जे की वापसी या प्रतिधन अथवा दोनों के लिए प्रार्थना पत्र दे सकेगा।

63. सदोष स्वत्वहरण के लिये शास्ति (Penalty for wrongful dispossession).—कोई भी व्यक्ति जो काश्तकार का उस की स्वीकृति के बिना उस की काश्तकारी या उस के अंश से डिक्री के अनुपालन अथवा धारा 57 के अधीन आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से (otherwise) स्वत्वहरण करेगा वह माल अधिकारी द्वारा, जो प्रथम श्रेणी के ऐसिस्टैन्ट कलेक्टर से कम पदवी का न हो, अर्थदण्ड का, जो 1000 रुपये तक हो सकता है, भागी होगा।

64. दीवानी वादों पर रुकावट (Bar to Civil Suits).—कोई भी व्यक्ति जिस का प्रार्थना पत्र धारा 62 के अधीन अपास्त (dismissed) हो चुका हो दीवानी न्यायालय में निष्कासन के उत्तरदायित्व के विवाद हेतु अथवा कब्जे के वापस लेने के हेतु अथवा आभोग अधिकार अथवा प्रतिधन के हेतु वाद दायर नहीं कर सकेगा।

65. 1877 के अधिनियम 1 की धारा 9 के अधीन वाद द्वारा सहायता की रुकावट (Bar of relief by suit under Section 9, Act 1 of 1877).—किसी काश्तकार को, जिसका स्वत्वहरण हो गया हो, उसी काश्तकारी या उस काश्तकारी में सम्मिलित किसी भूमि का कब्जा स्पैसिफ़िक रिलिफ़ ऐक्ट, 1877 (Specific Relief Act, 1877) की धारा 9 के अधीन वाद द्वारा वापस नहीं मिल सकेगा।

इस अध्याय द्वारा विनिहित दिनांकों में रूपान्तर करने की शक्ति
(Power to vary dates prescribed by this Chapter)

66. कुछ विषयों के सम्बन्ध में राज्यशासन को दिनांक नियत करने की शक्ति (Power for State Government to fix dates for certain purposes).—(1) राज्यशासन धारा 50 और 59 अथवा उन में से किसी धारा के प्रयोजनार्थ, अपने प्रशासन में समस्त अथवा किसी भी क्षेत्र के लिए अधिसूचना द्वारा उन दिनांकों के अतिरिक्त जो इस में विशिष्ट हैं कोई अन्य दिनांक नियत कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई अधिसूचना उस के प्रकाशन के दिनांक से छः मास बीत जाने के बाद प्रभावी नहीं होगी।

अध्याय 6

उत्तराधिकार (Succession)

67. काश्तकारी के अधिकार का उत्तराधिकार (Succession to right of tenancy).—जब किसी भूमि का कोई काश्तकार मर जाए तो अधिकार का प्रक्रामण (devolve) होगा—

(क) उस के पुत्र पौत्रादिक क्रम के वंशज पर (male lineal decendants) यदि कोई उसके पुत्र पौत्रादिक क्रम में हो; तथा

(ख) ऐसे क्रम के वंशज के न होने पर उस की विधवा पर, यदि कोई हो, जब तक उस की मृत्यु न हो जाय या वह पुनर्विवाह न करे या भूमि का परित्याग न कर दे या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वहां से निष्कासित न होवे; तथा

(ग) ऐसे क्रम के वंशज के और विधवा के न होने पर, उसकी विधवा मां पर यदि कोई हो, जब तक कि उस की मृत्यु न हो जाये या वह पुनर्विवाह न करे या भूमि का परित्याग न कर दे या इस अधिनियम के अधीन वहां से निष्कासित न होवे;

(घ) ऐसे क्रम के वंशज और विधवा या विधवा मां के न होने पर, यदि स्वर्गवासी काश्तकार विधवा या विधवा मां छोड़ गया हो, जब इस उपधारा के खण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन उस के स्वत्व समाप्त हो जाएं तो स्वर्गवासी काश्तकार और उसके उन सम्बन्धियों जिन का सामान्य पूर्वज हो, के पुत्र पौत्रादिक क्रम से पुरुष गोत्रज सम्बन्धी पर।

68. अनियमित हस्तान्तरण (Irregular transfer).—काश्तकार के स्वत्व का कोई हस्तांतरण, उस के अतिरिक्त, जो धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (ग) के परादिक द्वारा अनुमत है, शून्य होगा।

अध्याय 7

उन्नतियां तथा प्रतिधन (Improvements and compensation)

69. उन्नति करने के लिये काश्तकारों का अधिकार (Title of tenants to make improvement).—काश्तकार को अपनी काश्तकारी में उन्नतियां करने का अधिकार होगा।

70. इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व की गई उन्नतियां (Improvements made before commencement of this Act).—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी काश्तकार द्वारा की गई उन्नतियां इस अधिनियम के अनुसार की गईं, समझी जाएंगी।

71. निष्कासन की प्रत्याशा में आरम्भ की गई उन्नतियां (Improvements begun in anticipation of ejcetment).—किसी डिक्री के निष्पादन या निष्कासन की सूचना (notice of ejectment) के अनुसार, निष्कासित काश्तकार, उस वाद दायर करने

या सूचना की तामील होने, जिसके कारण उसका निष्कासन हुआ हो, के पश्चात् आरम्भ की गई किसी उन्नति के लिये प्रतिधन का अधिकारी नहीं होगा।

72. काश्तकार के निष्कासन पर अथवा उसका लगान बढ़ाए जाने पर उन्नतियों के लिये प्रतिधन चुकाने का उत्तरदायित्व (Liability to pay compensation for improvements to tenant on ejectment or enhancement of his rent).—इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उस काश्तकार को, जिस ने इस अधिनियम के अनुसार अपनी काश्तकारी में उन्नति की हो, तब तक निष्कासित नहीं किया जायगा तथा उस के द्वारा देय लगान तब तक नहीं बढ़ाया जायगा, जब तक कि उसको उन्नति के लिये प्रतिधन नहीं मिल जाता।

73. शोधित काश्तकारों को विघ्न के लिये प्रतिधन (Compensation for disturbance of clearing tenants).—(1) वह काश्तकार जिस ने बंजर को साफ़ किया है और भूमि को काश्तकारी के योग्य बनाया है, यदि उस से वह निष्कासित किया जाता है, तो भूमिपति से उन्नति के लिए, प्रतिधन के अतिरिक्त, माल न्यायालय अथवा माल अधिकारी द्वारा मुक़द्दमे के गुणों (merits of the case) पर, निश्चित की गई धनराशि, जो कि भूमि के पांच वर्ष के लगान से अधिक न हो, ऐसे विघ्न (disturbance) के प्रतिधन के रूप में लेने का अधिकारी होगा:

परन्तु यदि वह काश्तकार जो कि उस भूमि का जिस पर कि यह धारा प्रवृत्त है, संस्वामी हो, उस भूमि अथवा उसके किसी अंश से निष्कासन पर, विघ्न (disturbance) के लिये प्रतिधन का अधिकारी नहीं होगा।

(2) यदि भूमि के लिए लगान बटाई के रूप में या उपज के मूल्यन द्वारा या फ़सलों की प्रकृति के अनुसार निश्चित दर से चुका दिया गया है, या कोई लगान या भूमि के भूराजस्व और उस पर प्रभारित स्थानीय करों और उपकरों के अतिरिक्त उस का लगान नहीं चुका दिया गया है तो प्रतिधन की इस प्रकार गणना की जाएगी मानों भूमि के भूराजस्व से दुगनी राशि उसका वार्षिक लगान थी:

परन्तु जिस संपदा का निर्धारण फरवरी, 1929 ई० के बाईसवें दिनांक से या उस के उपरान्त पुष्ट हो चुका है, उस संपदा में प्रतिधन की गणना इस प्रकार होगी मानो उस भूमि के भूराजस्व की राशि से चार गुना राशि उस का वार्षिक लगान थी।

प्रतिधन को निश्चित करने की प्रक्रिया
(Procedure in determining compensation)

74. माल न्यायालयों द्वारा प्रतिधन का निश्चय (Determination of compensation by Revenue Courts).—(1) किसी काश्तकार द्वारा अपने निष्कासन के दायित्व के विरोध हेतु या भूमिपति द्वारा किसी काश्तकार को निष्कासित करने या उसका लगान बढ़ाने के हेतु प्रत्येक वाद में, न्यायालय काश्तकार को उन्नति या विघ्न के लिए प्रतिधन के दावे का, यदि कोई हो, विवरण और उसके आधारों का विवरण दाखिल करने का निदेश देगा।

(2) यदि न्यायालय काश्तकार के निष्कासन अथवा उसके लगान बढ़ाने की डिक्री दे देता है तो वह प्रतिधन की राशि, यदि कोई हो, जितनी कि काश्तकार को देय है, निश्चित करेगा और तब तक डिक्री का निष्पादन रोक देगा जबतक कि भूमिपति न्यायालय में वह राशि न दे, उस बकाया लगान या खर्चे को घटा कर, जिसे भूमिपति को काश्तकार द्वारा देय होने के प्रमाण से न्यायालय सन्तुष्ट हो।

75. माल-अधिकारियों द्वारा प्रतिधन का निश्चय (Determination of Compensation by Revenue-officers):—जब किसी काश्तकार को धारा 57 के अधीन नोटिस दिया गया हो, तो काश्तकार उस माल अधिकारी को, जिस को धारा 57 के अधीन उस के निष्कासन का आदेश देने का अधिकार हो, उन्नति या विघ्न या दोनों के प्रतिधन की राशि, जो कि उस को देय है, निश्चित करने क लिए प्रार्थना पत्र दे सकेगा और मालअधिकारी तदनुसार, राशि, यदि कोई हो, निश्चित करेगा, और तब तक काश्तकार का निष्कासन रोक देगा जब तक कि भूमि-पति मालअधिकारी को ऐसी निश्चित राशि न देगा-उस बकाया लगान और खर्चे को घटा कर, जिसका भूमिपति को काश्तकार द्वारा देय होने के प्रमाण से माल अधिकारी सन्तुष्ट हो।

76. निर्धारण में उन्नतियों के प्रतिधन के विचारणीय विषय (Matters to be regarded in assessment of compensation for improvements).—इस अध्याय के अधीन किसी काश्तकार की उन्नति के प्रतिधन के आगणन में, न्यायालय या माल अधिकारी निम्नलिखित का ध्यान रखेगा:—

(क) वह मात्रा जिस से कि उन्नति के कारण काश्तकारी का मूल्य या उपज या उस उपज का मूल्य बढ़ जाए;

(ख) उन्नति की दशा और उसके प्रभाव की सम्भाव्य अवधि;

(ग) किसी ऐसी उन्नति करने के लिए आवश्यक परिश्रम तथा पूंजी;

(घ) भूमिपति द्वारा काश्तकार को उन्नति के प्रतिफलरूप देय लगान में कोई कमी या छूट अथवा अन्य प्रलाभ (advantage); और

(ङ) कृष्यकरण (reclamation) या अनसींची (un-irrigated) भूमि को सींची हुई भूमि में परिवर्तन करने की दशा में वह समयावधि जब से काश्तकार उस उन्नति से लाभ (benefit) उठा चुका है।

77. प्रतिधन का प्रारूप (Form of compensation):—(1) यदि सब पक्ष इस से सहमत नहीं होते कि प्रतिधन पूर्णतः अथवा अंशतः भूमि के हस्तांतरण (transfer of land) या किसी अन्य रीति से दिया जाए तो उसकी चुकती नकदी में की जाएगी।

(2) यदि सब पक्ष एकमत हों तो न्यायालय या माल अधिकारी तदनुसार आदेश देगा।

प्रतिधन के निश्चय से पूर्व निष्कासन की दशा में सहायता

78. प्रतिधन के निश्चय से पूर्व निष्कासन की दशा में सहायता (Relief in

case of ejectment before determination of compensation).— (1) यदि किसी कारण प्रतिधन की राशि, जो कि काश्तकार को—

(क) इस अध्याय के अधीन उन्नतियों अथवा विघ्न के कारण ; या

(ख) धारा 61 के अधीन बिना काटी अथवा असंग्रहीत फसल या बोने के लिए भूमि की तैयारी के मूल्य के लिए;

देय है, काश्तकार के निष्कासन से पूर्व निश्चित नहीं की गई है तो निष्कासन भूल के कारण अवैध (invalidate) नहीं होगा, किन्तु न्यायालय अथवा माल अधिकारी, जिसने कि डिक्री दी है या जिसने निष्कासन का आदेश दिया है, निष्कासन के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, काश्तकार के प्रार्थना पत्र देने पर, भूमिपति द्वारा ऐसे प्रतिधन को चुकाने के लिए, जैसा न्यायालय या अधिकारी काश्तकार को अधिकृत करने का निश्चय करे, काश्तकार के पक्ष में आदेश देकर भूल को ठीक (correct) कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गए आदेश का निष्पादन उसी रीति से किया जा सकेगा जैसे कि रुपए के लिए दी गई डिक्री का माल न्यायालय द्वारा निष्पादन किया जाय।

अध्याय 8

राज्य द्वारा प्रबन्ध ले लेना और अर्जन

79. कुशल कृषि और प्रबन्ध के सम्बन्ध में राज्यशासन की नियम बनाने की शक्तियां.— (1) कृषि की आर्थिक स्थिति को कुशलता के उच्चतर स्तर पर लाने के लिए राज्यशासन नियमों द्वारा कुशल कृषि और प्रबन्ध के प्रमाण (standards) विनिहित कर सकेगा।

(2) इन नियमों में, अपनाए जाने वाले कृषि के तरीकों, उन्नत बीजों के उपयोग, प्रायाधिक्य (surplus) अनाजों की बिक्री और कृषि का काम करने वाले व्यक्तियों को उचित पारिश्रमिक और सेवा की उचित शर्तें दिलाने, कृषि के सम्बन्ध में नियमित और ठीक हिसाब रखने और अन्य ऐसे निदेश, जो भूमि की पूर्ण उपयोगिता के लिये आवश्यक या वांछित हों, जारी करने के लिए व्यवस्था हो सकेगी।

(3) यह नियम ऐसे किसी भी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त होंगे, जो भूस्वामी के रूप में भूमि स्वयं काश्त करता हो या जो ऐसी भूमि का स्वामी हो, जो काश्तकार को न दी गई हो और जिस का क्षेत्रफल किसी भी दशा में जिला चम्बा में तीस एकड़ से अधिक हो या किसी भी दशा में वार्षिक भूराजस्व शेष हिमाचल प्रदेश में 125 रुपये से अधिक हो।

(4) इस धारा के प्रयोजनार्थ ऐसा व्यक्ति, जो किसी खाते की कृषि संयुक्त रूप से अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के साथ करता है, ऐसी भूमि की कृषि करने वाला माना जाएगा, जो खाते में उस के भाग से सम्बन्धित हो।

80. कुछ दशाओं में राज्य का प्रबन्ध —(1) किसी भी विधि, रिवाज (custom) या संविदा (contract) के अन्यथा होते हुए भी, राज्यशासन या इस सम्बन्ध में राज्यशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी राजपत्र में अधिसूचित दिनांक से और उपधारा (3) के उपबन्धों

के प्रतिबन्धाधीन प्रतिधन चुकाने के लिये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारा 79 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिधारित (held) उतनी भूमि का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकेगा, जिस का क्षेत्रफल जिला चम्बा में तीस एकड़ से अधिक हो और शेष हिमाचल प्रदेश में जिस का निर्धारित वार्षिक भूराजस्व 125 रु० से अधिक हो, जब तक कि, स्थिति अनुसार, राज्यशासन या अधिकारी या प्राधिकारी की यह सम्मति न हो कि भूमि की कृषि और प्रबन्ध इतनी कुशलतापूर्वक किया जाता है कि उसे खंडित करने से उपज में कमी होने की संभावना हो जायगी (will lead to a fall in production)।

व्याख्या.—इस धारा में "सार्वजनिक प्रयोजन" के अन्तर्गत है—भूमिविहीन काश्तकारों की व्यवस्था (settlement), सहकारी संस्थाओं का विकास और प्रबन्ध कुशलता की वृद्धि:

परन्तु राज्यशासन की यह घोषणा कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, उक्त आवश्यकता के लिए निर्णायक साक्ष्य होगी।

(2) जहां राज्यशासन या राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी की सम्मति में धारा 79 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा भूमि की कृषि उक्त धारा की उपधारा (2) में विनिहित प्रमाण से कम स्तर की हो, राज्यशासन या उक्त अधिकारी या उक्त प्राधिकारी उपधारा (5) के उपबन्धों के प्रतिबन्धाधीन प्रतिधन चुकाने के लिये समस्त खाते (holding) या उस व्यक्ति की उतनी भूमि का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकेगा· जिस का क्षेत्रफल जिला चम्बा में तीस एकड़ से अधिक हो और शेष हिमाचल प्रदेश में जिस का निर्धारित वार्षिक भूराजस्व 125 रुपये से अधिक हो।

(3) प्रबन्ध लेने से पहले राज्यशासन या राज्यशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसा करने के अभिप्राय की लिखित रूप में तीन मास की सूचना देगा और उस के ऐसे निवेदन पर, जो वह सूचना में अनुमत अवधि के भीतर करे, विचार करेगा।

(4) ऐसे निवेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद राज्यशासन या राज्यशासन द्वारा अधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी उस पर किए गये निर्णय सम्बन्धित व्यक्ति को लिखित रूप में भेज देगा और निर्णय को विनिहित रीति से प्रकाशित करेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रबन्ध लेने के लिए देय प्रतिधन राशि, उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 39 के अधीन देय निश्चित अधिकतम वार्षिक लगान के बराबर की वार्षिक चुकती होगी।

(6) उपधारा (1) में या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ बागीचे का क्षेत्र ध्यान में रखा जाएगा किन्तु प्रबन्ध अपने हाथ में लेते समय इसे खंडित न किया जाएगा और बागीचे का समस्त क्षेत्र स्वामी के पास रहने दिया जाएगा चाहे उसका क्षेत्रफल चम्बा जिला में तीस एकड़ से अधिक हो या शेष हिमाचल प्रदेश में वार्षिक भूराजस्व 125 रुपये से अधिक हो।

81. उन भूमियों का पट्टा जिन का प्रबन्ध ले लिया गया हो.—जिस भूमि का प्रबन्ध धारा 80 के अधीन ले लिया गया हो उस को पट्टे पर देते समय निम्नलिखित क्रम से पूर्वाधिकार (preference) दिया जाएगा, अर्थात्—

(1) सहकारी कृषि संस्था;

(2) उक्त भूमि पर काम करने वाला कृषक कर्मकार (agricultural worker);

(3) भूस्वामी या काश्तकार, जो पांच एकड़ से कम भूमि की स्वयं काश्त करता हो;

(4) वह भूमिरहित व्यक्ति जो साधारणतया ग्राम में रहता हो।

82. पट्टेदार का उस को पट्टे पर दी गई भूमि खरीदने का अधिकार.—(1) जिस व्यक्ति को धारा 80 के अधीन प्रबन्ध हेतु ले ली गई भूमि पट्टे पर दी जाती है उसे भूस्वामी को प्रतिधन की चुकती कर देने पर उक्त भूमि खरीदने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय प्रतिधन निम्नलिखित होगा:—

(अ) ऐसी भूमि की दशा में जिसे खरीदने के दिनांक से पिछले 6 कृषि वर्षों में काश्त न किया गया हो, उसके लिए देय वार्षिक भूराजस्व के चार गुने के बराबर; और

(आ) ऐसी भूमि की दशा में जिसे इस प्रकार खरीदने के दिनांक से पिछले 6 कृषि वर्षों में काश्त किया जाता था, उसके लिए देय वार्षिक भूराजस्व के अड़तालीस गुने के बराबर।

83. स्वामित्व के अधिकारों का राज्यशासन में निहित होना.—(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि ऐसे दिनांक से तथा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जायें, उस भूमि में जिस पर धारा 80 प्रवृत्त होती है, प्रत्येक भूस्वामी के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व, जिसमें संयोगित स्वत्व भी, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, जो तत्काल प्रचलित विधि, रसम या रिवाज द्वारा प्रस्वीकृत हैं, समाप्त हो जाएंगे और ऐसे अधिकार, आगम और स्वत्व बिना किन्हीं भाररोधों के राज्यशासन में निहित समझे जायेंगे।

(2) राज्यशासन के लिए, यदि वह आवश्यक समझे, समय समय पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के सम्बन्ध में जारी करना जो उसमें विशिष्ट किए जाएं, विधिसंगत होगा और उपधारा (1) के समस्त उपबन्ध ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की दशा में प्रभावी होंगे।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ बागीचे का क्षेत्र ध्यान में रखा जाएगा किन्तु यह भूस्वामियों के अधिकार, आगम और स्वत्व के अधिकारों के अर्जन (process of acquisition) में खंडित नहीं किया जाएगा और बागीचे का समस्त क्षेत्र भूस्वामी के पास रहने दिया जाएगा चाहे उस का क्षेत्रफल जिला चम्बा में तीस एकड़ से अधिक हो या उस का वार्षिक भूराजस्व शेष हिमाचल प्रदेश में 125 रुपये से अधिक हो।

84. राज्य शासन में निहित होने के परिणाम.—(1) जब अधिसूचना धारा 83 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी हो तो तत्काल प्रचलित किसी संविदा या प्रलेख या अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी और उस व्यवस्था को छोड़ कर, जो इस अधिनियम में दी गई है, यहां से आगे दिखाए गए परिणाम निहित होने के दिनांक के आरम्भ से उस भूमि के सम्बन्ध में भावी (ensue) होंगे जिस पर अधिसूचना प्रवृत्त होती है अर्थात्—

भूस्वामियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व—

(अ) इस प्रकार की प्रत्येक भूमि में जिस के अन्तर्गत कृषि योग्य या बंजर भूमि, घासनियां, चरागाहें, पेड़, कूएं, तालाब, सरोवर, जल कूल्याएं, घाट (ferries), पगडंडियां, हाट बाजार तथा मेले भी हैं, और

(आ) ऐसी भूमि की समस्त अधोभूमि (subsoil) में, खानों और खनिजों, चाहे उन में काम हो रहा हो या नहीं, अधिकारों सहित यदि कोई हों,

समाप्त (cease) हो जाएंगे और राज्यशासन में बिना किसी भाररोध के निहित हो जाएंगे;

(ख) निहित होने के दिनांक से पूर्व किसी भी समय के लिए इस प्रकार निहित किसी भूमि के सम्बन्ध मे, भूस्वामी से देय, राजस्व, उपकरों या अन्य दातव्य राशियों (dues) के समस्त बकाया भूस्वामी से प्रत्यादेय होंग। प्रत्यादान की अन्य किसी रीति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए (without prejudice to any other mode of recovery) इस अधिनियम के अधीन ऐसे भूस्वामियों को देय प्रतिधन में से उक्त राशि काट कर वसूल किये जायेंगे ;

(ग) लैंड इम्परूवमैंट लोन्ज ऐक्ट, 1883 (Land Improvement Loans Act, 1883) या ऐग्रीकल्चरल लोन्ज ऐक्ट, 1884 (The Agricultural Loans Act, 1884) के अधीन भूस्वामी द्वारा राज्य को देय समस्त राशियाँ उक्त अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी तत्काल देय होंगी और उनके लिए उपबन्धित प्रत्यादान की अन्य किसी रीति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसे भूस्वामी को देय प्रतिधन में से उक्त राशि घटा कर वसूल की जायेंगी।

(घ) ऐसे भूस्वामी के उक्त रूप से निहित स्वत्व, किसी डिक्री या किसी दीवानी या माल न्यायालय के प्रसर (process) के निष्पादन में कुर्क न किये जा सकेंगे या बेचे न जा सकेंगे और निहित होने के दिनांक को विद्यमान कुर्की या ऐसे दिनांक से पूर्व कुर्की के लिये दिया गया कोई भी आदेश ट्रांसफ़र आफ़ प्रौपरटी ऐक्ट, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 73 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवृत्त न हो सकेगा।

(ङ) (अ) निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक को उक्त भूमि में विद्यमान कब्ज़े वाला उस भूमि का प्रत्येक बन्धक, ऐसी राशि की मात्रा तक जो उस भूमि पर या उसके किसी अंश पर प्राप्त (secured) की गई हो, धारा 81 के अधीन राज्यशासन के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए एक साधारण बन्धक द्वारा प्रत्यास्थापित (substituted) समझा जायगा ;

(आ) बन्धक पत्र या किसी अन्य करारनामें (agreement) में किसी बात के होते हुये भी, उपखंड (1) के अधीन प्रत्यास्थापित (substituted) साधारण बन्धक में घोषित देय राशि पर, ब्याज ऐसे दर और ऐसे दिनांक से दिया जायेगा जो कि विनिहित किया जाए।

(च) किसी ऐसे धन के लिए, जो उक्त भूमि या उसके भाग के बन्धक द्वारा भारित अथवा सुरक्षित है, उक्त भूस्वामी का या उसके विरुद्ध, निहित होने के दिनांक से पूर्व प्रवर्तनीय या उत्पादित (incurred) कोई भी दावा या दायित्व, ट्रांसफ़र आफ़ प्रौपरटी ऐक्ट, 1882 (Transfer of Property Act, 1882) की धारा 73 में दी गई व्यवस्था के सिवाए, उक्त भूमि में उसके स्वत्व के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा।

85. इस अधिनियम के उपबन्धों को निष्फल करने वाले संविदा या करारनामें का शून्य होना.—पहली अप्रैल, 1952 को या उसके उपरान्त भूस्वामी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किया गया कोई ऐसा संविदा या करारनामा, जो भूस्वामी की किसी भूमि को राज्यशासन में निहित होने से प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: (directly or indirectly) रोकता है या इस अध्याय के किसी अन्य उपबन्ध को निष्फल करता है वह निहित होने के दिनांक से शून्य हो जाएगा।

86. कलेक्टर का सम्पदाओं को लेना.—धारा 83 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर, कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधिसंगत होगा—

(क) किसी ऐसी भूमि या उसके किसी भाग, जिस पर अधिसूचना का प्रवर्तन है तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्यशासन में निहित समस्त स्वत्वों का संरक्षण लेना (to take charge) और ऐसे प्रबन्ध करना या कराना या ऐसे बल प्रयोग करना या कराना जो कलेक्टर या इस प्रकार नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हों;

(ख) किसी ऐसी भूमि, भवन, या अन्य स्थान में प्रवेश करना, जो इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अर्जित भूमि का भाग हो, और उस का भूमापन करना या माप लेना या इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये अन्य ऐसा कार्य करना, जिसे वह आवश्यक समझे;

(ग) निर्दिष्ट किये गये प्राधिकारी के सन्मुख किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह पुस्तों, लेखो, अथवा अन्य प्रलेखों को, जो किसी सम्पदा से या उसके किसी अंश से सम्बन्धित हैं, पेश करे और ऐसे प्राधिकारी के सन्मुख ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करे जो निर्दिष्ट की गई हो या मांगी गई हो; और

(घ) यदि इस प्रकार अपेक्षित पुस्तें, लेखे और अन्य प्रलेख प्रस्तुत नहीं किये जाते तो किसी भूमि, भवन या अन्य स्थान में प्रविष्ट होना, और ऐसी पुस्तों, लेखों और अन्य प्रलेखों को ज़ब्त करना और उनको क़ब्जे में लेना।

87. भूस्वामी का अर्जन के प्रतिधन का प्राप्त करना.—ऐसा प्रत्येक भूस्वामी, जिस के किसी भूमि के अधिकार, आगम या स्वत्व इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन या इस सम्बन्ध में राज्यशासन और भूस्वामी के बीच किसी संविदा के अनुसार राज्यशासन द्वारा अर्जित होते हैं, आगे दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रतिधन को प्राप्त करने का अधिकारी होगा और उसको प्रतिधन दिया जाएगा।

88. ऐसा दिनांक जिससे प्रतिधन देय होगा.—(1) इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन के लिए प्रतिधन, धनराशि के निश्चय के अधीन रहते हुए, निहित होने के दिनांक से देय होगा।

(2) इस प्रकार निश्चित धन राशि पर राज्यशासन द्वारा निहित होने के दिनांक से निम्नलिखित दिनांक तक ढाई प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज दिया जाएगा:—

(अ) नक़दी के रूप में दी जाने वाली राशि की दशा में, निश्चय के दिनांक तक ;

(आ) बन्ध पत्रों के रूप में दी जाने वाली राशि की दशा में, बन्ध पत्रों के मोचित होने के दिनांक तक।

89. अन्तरिम प्रतिधन.—(1) राज्यशासन अन्तरिम प्रतिधन की चुकती का निदेश ऐसी मात्रा तक और ऐसी रीति से दे सकेगा जैसी विनिहित की जाए:

परन्तु यदि भूस्वामी को देय प्रतिधन, निहित होने के दिनांक से नौ महीने समाप्त होने से पूर्व, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निश्चित नहीं किया जाता तो राज्यशासन सम्बन्धित भूस्वामी का प्रार्थना पत्र मिलने पर ऐसे अन्तरिम प्रतिधन की चुकती का निदेश देगा।

(2) जब कोई व्यक्ति किसी भूमि या उसके भाग में अधिकार तथा आगम का दावा करता है तो ऐसी भूमि या भाग के सम्बन्ध में अन्तरिम प्रतिधन ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो प्रतिधन अधिकारी ऐसे प्रतिधन या उसके ऐसे भाग, जिसके लिये आपत्तिकर्ता अन्त में हक़दार हो, के प्रत्यर्पण (refund) की सुरक्षा के सम्बन्ध में दे, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका नाम राजस्व अभिलेखों में भूस्वामी के रूप में अभिलिखित हो।

90. अन्तरिम प्रतिधन का समायोजन.—धारा 89 के अधीन दिया गया अन्तारेम प्रतिधन इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिधन का भाग समझा जाएगा तथा इस में से घटा दिया जाएगा और इस में समायोजित होगा।

91. प्रतिधन के निर्धारण और चुकती से सम्बन्धित कार्यवाहियां.— धारा 83 के अधीन अर्जित भूमि के लिए प्रतिधन के निर्धारण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियां तथा उसका हक़ रखने वाले भूस्वामी को उसकी चुकती उस प्रतिधन अधिकारी के सन्मुख की जायगी जिसके अधिकारक्षेत्र में अर्जित भूमि स्थित है।

92. दीवानी न्यायालय में दावा साबित करने का अधिकार.—भूमि या भूमि के भाग के सम्बन्ध में अधिकारक्षेत्र सम्पन्न न्यायालय में, विध्योचित प्रसर द्वारा अपना दावा साबित करने में किसी व्यक्ति का अधिकार इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध द्वारा प्रभावित न होगा।

93. पहली अप्रैल, 1952 के उपरान्त किया गया विभाजन.—पहली अप्रैल, 1952 या उसके उपरान्त किये गये किसी विभाजन के होते हुए भी इस अध्याय के प्रयोजनार्थ एक युक्त परिवार संयुक्त समझा जाएगा।

94. प्रतिधन निर्धारण की सूची का प्ररूप.—इस अध्याय के अधीन प्रतिधन के निर्धारण तथा चुकती के दृष्टिकोण से प्रतिधन अधिकारी (Compensation Officer) विनिहत रूप में

निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक ऐसे भूस्वामी के स्वत्वों के सम्बन्ध में, जिसकी भूमि राज्यशासन में निहित हो गई है, प्रतिधन निर्धारण की सूची का प्रारूप तैयार करेगा—

(क) यथास्थिति काश्तकार या भूस्वामी के भूस्वामित्व का या उस के द्वारा प्रतिधारित समस्त क्षेत्र;

(ख) समस्त अर्जित क्षेत्र;

(ग) अर्जित क्षेत्र के सम्बन्ध में—

(अ) ऐसी भूमि के लिये देय भूराजस्व, जिसकी निहित होने के दिनांक से पिछले 6 कृषि वर्षों में से किसी भी वर्ष काश्त नहीं की गई हो;

(आ) ऐसी भूमि के लिए देय भूराजस्व जिसकी निहित होने के दिनांक से पिछले किसी 6 कृषि वर्षों में से किसी भी वर्ष में काश्त की गई हो;

(घ) अर्जित भूमि के लिए देय प्रतिधन, खन्ड (ग) के उपखन्ड (अ) में वर्णित भूमि की दशा में, उसके लिये देय वार्षिक भूराजस्व के चार गुने के बराबर होगा, और खन्ड (ग) के उपखन्ड (आ) में वर्णित भूमि की दशा में, उसके लिए देय वार्षिक भूराजस्व के अड़तालीस गुने के बराबर होगा;

(ङ) धारा 84 के खन्ड (ख) या (घ) में निर्दिष्ट धन राशियां; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी कि विनिहित की जाएं।

95. प्रतिधनअधिकारी का आदेश दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा.— प्रतिधन-निर्धारण-सूची में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में प्रतिधन अधिकारी का आपत्तियों के निर्णय का आदेश दीवानी न्यायालय की एक डिक्री समझा जाएगा और उसमें वाद का संक्षिप्त विवरण तथा ऐसे प्रश्न, जिन को निश्चित करना है, उस पर दिया गया निर्णय और ऐसे निर्णयों के कारणों का विवरण होगा।

96. प्रतिधन-निर्धारण की अन्तिम सूची.—(1) जब प्रतिधन-निर्धारण सूची के प्रारूप (draft) के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की जाती या यदि ऐसी आपत्तियां की जाती हैं और उनका अन्तिम निर्णय कर दिया जाता है और प्रतिधन-निर्धारण-सूची का प्रारूप तदनुसार संशोधित, आपरिवर्तित या रूपान्तरित कर दिया जाता है तब प्रतिधन अधिकारी (Compensation Officer) उस पर हस्ताक्षर कर देगा और उस पर अपनी मुहर भी लगा देगा।

(2) इस प्रकार हस्ताक्षरित तथा मुद्रित प्रतिधन-निर्धारण सूची अन्तिम हो जाएगी।

97. दीवानी न्यायालय द्वारा निषेधादेश पर प्रतिबन्ध.—उस न्यायालय या प्राधिकारी के अतिरिक्त, जिसके पास इस अध्याय के अधीन प्रतिधन अधिकारी के आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील विचाराधीन है, कोई भी न्यायालय या प्राधिकारी किसी विधि में कोई बात होते हुए भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन प्रतिधन अधिकारी के सन्मुख विचाराधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा निषेधादेश नहीं देगा जिसका प्रभाव यह हो कि कार्यवाहियां रोक दी जाएं।

98. भूस्वामी द्वारा प्रतिधन प्राप्ति.—धारा 103 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिधन उस भूस्वामी को चुकाया जाएगा जिसका नाम प्रतिधन की सूची में दर्ज हुआ हो ।

99. वैध प्रतिनिधियों को देय प्रतिधन.—यदि प्रतिधन पाने के लिए अधिकृत व्यक्ति की मृत्यु उसको प्रतिधन चुकाने के पूर्व हो जाती है तो यह उस के वैध प्रतिनिधियों को चुकाया जाएगा ।

100. प्रतिधन के शोधन का रूप.—इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिधन नक़द या बन्ध पत्रों के रूप में या अंशत: नक़द या अंशत: बन्ध पत्रों के रूप में ऐसे चुकाया जाएगा, जैसा कि विनिहित किया जाए ।

101. कुछ दशाओं में प्रतिधन बैंक या अन्य प्राधिकारी के पास जमा करना.—(1) यदि प्रतिधन पाने का अधिकारी न्यास (trust) या प्रभूत (endowment) या अवयस्क (minor) या ऐसा व्यक्ति है जो वैधिक रूप से अनर्ह है या सीमित स्वामी (limited owner) है तो प्रतिधन, किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु राज्यशासन द्वारा दिए जाने वाले साधारण निदेशों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति के लिए और उसकी ओर से कलेक्टर के पास या इस प्रयोजन के लिए राज्यशासन द्वारा प्रवरित बैंक में जमा करा दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) का कोई भी उपबन्ध ऐसे व्यक्ति के अधिकारों को बाधित करने वाला नहीं समझा जाएगा जिसके लिए या जिस की ओर से प्रतिधन, ऐसे अधिकार का प्रशासन करने वाली विधि के अनुसार, व्यवस्थापित करने और प्रयोग में लाने के हेतु जमा कर दिया गया है ।

102. प्रतिधन राशि की व्यवस्थापना न्यायालय या प्राधिकारी पर छोड़ना.—जहां पर किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सन्मुख ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के अधीन निर्णीत समस्त प्रतिधन या उस के भाग को पाने के अधिकारी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता हो या जिस से उसका प्रभावित होना सम्भावित हो तो वह न्यायालय या प्राधिकारी प्रतिधन अधिकारी (Compensation Officer) से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस प्रकार से देय राशि उस की व्यवस्थापना पर छोड़ दे और उसके बाद प्रतिधन उक्त न्यायालय या प्राधिकारी के आदेशानुसार व्यवस्थापित कर दिया जाएगा ।

103. भूमि के सम्बन्ध में हस्तान्तरण की मान्यता की जांच.—इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में (in contravention) प्रतिधन या अन्तरिम प्रतिधन मांगने वाले भूस्वामी द्वारा या उसके हक़ में या उसकी ओर से किए गए भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण की मान्यता के सम्बन्ध में प्रतिधन अधिकारी जांच पड़ताल कर सकेगा और प्रतिधन या अन्तिरम प्रतिधन के कारण प्रार्थी को देय राशि की घोषणा करने में वह ऐसे हस्तांतरण को ध्यान में नहीं रखेगा ।

104. अपील.—प्रतिधन अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश पर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील हो सकेगी और डिस्ट्रिक्ट जज के निर्णय पर जुडिशियल कमिश्नर के पास दूसरी अपील हो सकेगी ।

105. पुनरावृत्ति.—जुडिशियल कमिश्नर अपना यह समाधान करने के लिये कि धारा 104 के अधीन अपील का निर्णय करने में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिया गया आदेश विधि अनुसार है, अभिलेखों को मंगवा सकेगा और उस विषय में ऐसे आदेश दे सकेगा, जैसे वह उचित समझे।

106. परिसीमा.—धारा 104 के अधीन अपील की परिसीमा अवधि अपील पर आदेश देने के दिनांक से गिनी जाएगी और निम्नानुसार होगी—

(क) जब अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास की जाती है तो पैंतालीस दिन;

(ख) जब अपील जुडिशियल कमिश्नर के पास की जाती है तो नव्वे दिन।

107. परिसीमाओं के लिये अवधि का आगणन.—इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध की गई अपील की अवधि की परिसीमा इन्डियन लिमिटेशन एक्ट, 1908 (Indian Limitation Act, 1908) के उपबन्धों द्वारा प्रशासित होगी।

108. नियम बनाने की शक्तियां.—(1) राज्यशासन इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजनों को प्रभावी बनाने के हेतु नियम बना सकेगा।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकेगी:—

(क) भूमि के निहित होने से पूर्व कार्यवाहियां;

(ख) भूमि को लेने से सम्बन्धित विषय;

(ग) प्रतिधन-निर्धारण-सूची बनाने की रीति तथा उसका प्रकार और प्रतिधन-निर्धारण-सूची से सम्बन्धित विषय; और

(घ) प्रतिधन की राशि न्यायालय या प्राधिकारी की व्यवस्थापना पर छोड़ने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

अध्याय 9

अधिकार क्षेत्र तथा प्रक्रिया

अधिकार क्षेत्र

109. माल-अधिकारी (Revenue Officers).—(1) इस अधिनियम के अधीन माल अधिकारियों की जैसी ही श्रेणियाँ होंगी, जैसी कि हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी, 1950 से ठीक पहले प्रयुक्त पंजाब लैंड रैवेन्यू ऐक्ट 1887 के अधीन हैं, और राज्यशासन के किसी विपरीत आदेश की अनुपस्थिति में, ऐसी किसी भी श्रेणी का माल अधिकारी, जिसको उस अधिनियम के अधीन किसी स्थानीय सीमा में अधिकारक्षेत्र है, इस अधिनियम के अधीन उसी श्रेणी और उसी स्थानीय सीमा में अधिकारक्षेत्र सम्पन्न माल अधिकारी होगा।

(2) "कलेक्टर" तथा "फाइनैंशियल कमिश्नर" के कथन से इस अधिनियम में वही अर्थ है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी, 1950 से ठीक पहले प्रयुक्त पंजाब लैंड रैवेन्यू ऐक्ट 1887 में है।

110. माल-अधिकारियों द्वारा संज्ञेय प्रार्थनापत्र तथा कार्यवाहियाँ (Application and proceedings cognizable by Revenue Officers).— निम्नलिखित प्रार्थनापत्रों तथा कार्यवाहियों का निर्णय, माल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, और फिर कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे विवाद या विषय का संज्ञान (cognizance) नहीं करेगा, जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रार्थनापत्र दिया जा सकता हो या ऐसी कार्यवाही की जा सकती हो :—

प्रथम वर्ग

(क) धारा 40 के अधीन भूराजस्व द्वारा अभिव्यक्त लगान के समायोजन (adjustment) के लिये कार्यवाहियां ;

(ख) धारा 43 के अधीन लगान के परिहार (remission) तथा निलम्बन (suspension) से सम्बन्धित कार्यवाहियां ;

(ग) धारा 56 के अधीन उस काश्तकार के निष्कासन के लिये प्रार्थना पत्र, जिसके विरुद्ध उसकी काश्तकारी के बारे में लगान के बकाया के लिए, डिक्री दी गई हो और जिसका पालन न किया गया हो ;

(घ) धारा 62 के अधीन कब्जे अथवा प्रतिधन या दोनों प्रत्यादान (recovery) के लिये प्रार्थनापत्र ;

(ङ) अध्याय 7 के अधीन उन्नति अथवा विघ्न के लिए प्रतिधन के परिनिर्णय से सम्बन्धित कार्यवाहियां ;

द्वितीय वर्ग

(च) धारा 33 के अधीन उपज के विभाजन अथवा मूल्यन से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र ;

(छ) निम्नलिखित विषयों के निश्चय के लिए प्राथना पत्र (applications for determination)—

(अ) धारा 61 के अधीन, किसी काश्तकार के निष्कासन के लिये आदेश देते समय, बिना काटी अथवा असंग्रहीत फ़सलों द्वारा व्याप्त (occupied) भूमि के देय लगान ;

(आ) धारा 61 या 78 के अधीन, काश्तकार को भूमि बोने के लिए तयार करने में श्रम तथा पूंजी के लिये देय राशि का, या ऐसी फ़सलों के मूल्य का, निश्चय करने क लिए प्रार्थनापत्र ;

तृतीय वर्ग

(ज) काश्तकारों द्वारा धारा 44 के अधीन लगान जमा कराने के प्रार्थना पत्र ;

(झ) धारा 50 के अधीन उत्याग (relinquishment) की सूचना की तामील के लिए प्रार्थनापत्र ।

(2) फाईनैन्शियल कमिश्नर द्वारा इस बारे में बनाए गए किसी नियम के अन्यथा न होने पर –

(क) उपधारा (1) में वर्णित प्रार्थनापत्र और कार्यवाही का निर्णय (dispose of) कलेक्टर या पहली श्रेणी (first grade) का ऐसिसटैंट कलेक्टर कर सकेगा ;

(ख) नायब तहसीलदार के सिवाए, द्वितीय श्रेणी का कोई भी ऐसिसटैंट कलेक्टर, उस उपधारा के द्वितीय तथा तृतीय वर्ग में वर्णित किसी भी प्रार्थना पत्र का निर्णय कर सकेगा ; और

(ग) नायब तहसीलदार, जब कि उसमें द्वितीय श्रेणी के ऐसिसटैंट कलेक्टर की शक्तियां निहित की गई हों, उस उपधारा के तृतीय वर्ग में वर्णित किसी भी प्रार्थना पत्र का निर्णय (dispose of)कर सकेगा।

111. माल न्यायालय तथा उनके द्वारा संज्ञेय वाद (Revenue courts and suits cognizable by them).—(1) जब कोई माल अधिकारी, उपधारा (3) में वर्णित किसी वाद के बारे में या वाद पर की गई अपील या उस से उद्भूत अन्य कार्यवाही के बारे में अधिकार प्रयोग कर रहा हो, तो उसे माल न्यायालय कहा जाएगा।

(2) माल न्यायालयों की वैसी ही श्रेणियां होंगी, जैसी कि इस अधिनियम के अधीन माल अधिकारियों की, और राज्यशासन के किसी विपरीत आदेश की अनुपस्थिति में, इस अधिनियम के अधीन उन स्थानीय सीमाओं के भीतर अधिकारक्षेत्र रखने वाला किसी भी श्रेणी का कोई भी माल अधिकारी उन्हीं स्थानीय सीमाओं के भीतर उसी श्रेणी का अधिकारक्षेत्र रखने वाला माल न्यायालय होगा।

(3) निम्नलिखित वाद माल न्यायालय में दायर किए जाएंगे और माल न्यायालय द्वारा उन की सुनवाई और निश्चय किया जाएगा, और अन्य कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे विवाद या विषय का, जिस के बारे में वाद दायर किया जा सके, संज्ञान नहीं करेगा :—

पहला वर्ग

(क) धारा 37 के अधीन, भूमिपति और काश्तकार के बीच लगान को बढ़ाने या घटाने के लिए वाद;

(ख) धारा 41 के अधीन भूमिपति और काश्तकार के बीच लगान में बढ़ौती या कटौती या लगान की परिणीति (commutation) के लिये वाद;

(ग) धारा 47 के अधीन, भूराजस्व के किसी निर्धारण की अवधि के समाप्त होने पर, लगान या अन्य राशि का निश्चय करने के लिये वाद;

द्वितीय वर्ग

(घ) किसी काश्तकार द्वारा आभोग अधिकार का दावा प्रमाणित करने के लिए वाद या किसी भूमिपति द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए वाद कि काश्तकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है;

(ङ) भूमिपति द्वारा काश्तकार को निष्कासित करने के लिए वाद ;

(च) भूमिपति द्वारा, काश्तकारी के अधिकार हस्तान्तरण को रद्द करने अथवा ऐसे व्यक्ति से कब्जा छुड़वाने, जिस को ऐसा हस्तांतरण किया गया है, अथवा दोनों प्रयोजनों के लिये वाद;

(छ) जिन शर्तों पर काश्तकारी है उन से उद्भूत, भूमिपति और काश्तकार के बीच कोई भी अन्य वाद;

(ज) ग्राम्य व्ययों के कारण देय राशियों के लिए वाद;

(झ) किसी सहभागी द्वारा, किसी सम्पदा या खाते के हिसाब किताब को तय करने या उसके लाभों में हिस्से के लिए वाद;

(ञ) लगान या भूराजस्व या किसी अन्य ऐसी मांग के अति-भुगतान (over payment) की वसूली के वाद, जिस के लिए इस उपधारा के अधीन माल-न्यायालय में वाद चलाया जा सकता हो;

(ट) ग्राम्य अधिकारी के परिलाभ से सम्बन्धित वाद;

तृतीय वर्ग

(ठ) भूमिपति द्वारा बकाया लगान के लिये या लगान के बराबर धन के लिए या धारा 30 के अधीन वसूल की जा सकने वाली राशियों के लिए वाद;

(ड) सिंचन-अधिकार (right of irrigation), मत्स्याधिकार (rights over fisheries), चराई के अधिकार (rights of pasturage) और जंगल के अधिकार (forest right), इन सब अधिकारों सहित भूमि में या भूमि के या जल के अधिकारों के उपभोग के कारण देय रूप अध्यर्थित धन (money claimed as due for the enjoyment of) की वसूली के लिए भूस्वामी द्वारा वाद;

(ढ) भूराजस्व के कारण देय राशियों या तत्काल प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन भूराजस्व क बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली किसी अन्य मांग के लिए वाद।

प्रक्रिया जब राजस्व सम्बन्धी विषय दीवानी न्यायालय में उठें

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी —

(अ) जब किसी दीवानी न्यायालय द्वारा संज्ञेय तथा उस में दायर किए वाद में किसी ऐसे विषय का फ़ैसला करना अवश्यक हो जाता है, जिस की सुनवाई और निश्चय इस उपधार के अधीन केवल माल न्यायालयों द्वारा की जा सके, तो दीवानी न्यायालय, वादपत्र पर निर्णीय विषय की प्रकृति और Order VII, Rule 10, Civil Procedure Code 1908 (सिविल प्रोसीजर कोड 1908, आर्डर न० 7, रूल 10) द्वारा अपेक्षित विशिष्टियाँ अंकित (endorsed) करेगा, और वादपत्र कलेक्टर के सन्मुख प्रस्तुत करने के लिए वापस करेगा;

(आ) कलेक्टर के सन्मुख वादपत्र प्रस्तुत होने पर, कलेक्टर वाद की सुनवाई और निश्चय के लिए अग्रसर होगा यदि वाद का मूल्य 1,000 रुपये से अधिक है या सन्निहित (involved) विषय इस अधिनियम की धारा 111 की उपधारा (3) के प्रथम वर्ग

में वर्णित प्रकृति का है, और अन्य दशाओं में वाद पहली श्रेणी के ऐसिस्टैन्ट कलेक्टर को निर्णय के हेतु भेज सकेगा।

(5) फाइनैन्शियल कमिश्नर द्वारा इस बारे में बनाए गए किसी नियम में यदि अन्यथा व्यवस्था न की गई हो तो—

(क) कलेक्टर उपधारा (3) में वर्णित किसी भी वाद की सुनवाई और निश्चय कर सकेगा;

(ख) पहली श्रेणी का कोई भी ऐसिस्टैन्ट कलेक्टर, उस उपधारा के द्वितीय तथा तृतीय वर्ग में वर्णित किसी भी वाद की सुनवाई और निश्चय कर सकेगा, और यदि वह राज्यशासन द्वारा नाम से इस बारे में विशेष रूप से अधिकृत किया गया है तो वह पहले वर्ग में वर्णित किन्हीं भी वादों की सुनवाई तथा निश्चय कर सकेगा; और

(ग) द्वितीय श्रेणी का कोई भी ऐसिस्टैन्ट कलेक्टर तृतीय वर्ग में वर्णित किन्हीं भी वादों की सुनवाई तथा निश्चय कर सकेगा।

112. माल-अधिकारियों और माल-न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण (Superintendence and control of Revenue Officers and Revenue Courts).—(1) फाइनैन्शियल कमिश्नर में अन्य समस्त माल अधिकारियों और माल न्यायालयों का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण निहित होगा और समस्त ऐसे अधिकारी और न्यायालय उसके अधीन होंगे।

(2) फाइनैन्शियल कमिश्नर के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए कमिश्नर, यदि कोई हो, अपनी डिविजन (Division) में समस्त अन्य माल अधिकारियों तथा माल न्यायालयों का नियंत्रण करेगा।

(3) यथास्थिति कमिश्नर या फाइनैन्शियल कमिश्नर के नियंत्रणाधीन तथा पूर्वोक्ताधीन रहते हुए, कलेक्टर अपने जिले के अन्य समस्त माल अधिकारियों तथा माल न्यायालयों का नियंत्रण करेगा।

113 कार्य बांटने तथा वापस लेने और मुकद्दमें हस्तांतरण करने की शक्ति (Power to distribute business and withdraw and transfer cases).—(1) फाइनैन्शियल कमिश्नर या कमिश्नर या कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे, अपने नियंत्रण के अधीन किसी माल-अधिकारी या माल न्यायालय द्वारा संज्ञेय किसी कार्य को बांट सकेगा।

(2) फाइनैन्शियल कमिश्नर या कमिश्नर या कलेक्टर अपने नियंत्रण के अधीन किसी माल अधिकारी या माल न्यायालय के सन्मुख विचाराधीन किसी वाद को वापस ले सकेगा, और या तो वह स्वयं उसका निर्णय कर सकेगा या लिखित आदेश द्वारा अपने नियंत्रण के अधीन किसी अन्य माल अधिकारी या माल न्यायालय को निर्णय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के अधीन दिया गया आदेश किसी माल अधिकारी या माल न्यायालय को किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी ऐसे कार्य में संव्यवहार करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जिसे वह अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, प्रयोग करने या संव्यवहार करने के लिए सक्षम न हो।

अपील, पुनरावृत्ति तथा पुनरीक्षण (Appeal, Review and Revision)

114. अपीलें (Appeals).—इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुये, माल अधिकारी या माल न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए मूल आदेश या अपील आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील निम्न प्रकार की जा सकेगी, अर्थात् –

(क) यदि आदेश या डिक्री किसी भी श्रेणी के ऐसिसटैंट कलेक्टर द्वारा दी गई हो तो कलेक्टर के पास ;

(ख) जब आदेश या डिक्री कलेक्टर द्वारा दी गई हो तो कमिश्नर के पास और यदि कमिश्नर न हो तो फाइनैंन्शियल कमिश्नर के पास ;

(ग) जब आदेश या डिक्री कमिश्नर द्वारा, यदि कोई हो, दी गई हो तो फाईनैंन्शियल कमिश्नर के पास :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(अ) धारा 111 की उपधारा (3) के पहले वर्ग में वर्णित वाद में राज्यशासन द्वारा उस सम्बन्ध में नाम से विशेषतः अधिकृत पहली श्रेणी के एसिसटैंट कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश या डिक्री पर अपील कमिश्नर के पास होगी या यदि कमिश्नर नहीं है तो फ़ाइनैंशियल कमिश्नर के पास और कलेक्टर के पास नहीं की जाएगी ;

(आ) जब पहली अपील पर मूल आदेश या डिक्री की पुष्टि कर दी जाती है, तो आगे अपील नहीं होगी ;

(इ) जब ऐसी कोई डिक्री या आदेश, अपील किए जाने पर कलेक्टर द्वारा संपरिवर्तित या उलट दिया जाता है, तो कमिश्नर के पास , यदि कोई हो, फिर से की गई अपील पर उसके द्वारा दिया गया आदेश या डिक्री अन्तिम होगी।

115. अपीलों के लिए परिसीमा (Limitation for appeals). - अन्तिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी अपील के लिए परिसीमा अवधि, ऐसे आदेश या डिक्री, जिस के विरुद्ध अपील की गई है, के दिनांक से गिनी जाएगी, और निम्न प्रकार होगी, अर्थात् —

(क) जब अपील कलेक्टर के पास की जाती है तो—तीस दिन ;

(ख) जब अपील कमश्निर के पास की जाती है तो – साठ दिन ;

(ग) जब अपील फाइनैन्शियल कमिश्नर के पास की जाती है तो—नब्बे दिन।

116. माल अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षण (Review by Revenue Officers). – (1) माल अधिकारी, माल अधिकारी के रूप में स्वयं अथवा स्वत्व रखने वाले पक्ष के प्रार्थनापत्र पर अपने दिये हुए अथवा पूर्व पदाधिकारियों के दिये हुए आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा तथा इस प्रकार पुनरीक्षण करने के पश्चात् ऐसे आदेश को संपरिवर्तित (modify) कर सकेगा, उलट सकेगा या पुष्ट कर सकेगा :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) जब कोई कमिश्नर या कलेक्टर किसी ऐसे आदेश का, जो उस ने स्वयं न दिया हो, पुनरीक्षण आवश्यक समझता है, और जब कलेक्टर से कम श्रेणी का माल अधिकारी अपने अथवा पूर्व पदाधिकारी के किसी आदेश का पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित करता है तो वह पहले ऐसे माल अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा जिस के नियन्त्रण में वह निकटतमाधीन हो ;

(ख) किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थना पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा यदि प्रार्थना पत्र ऐसे आदेश देने के दिनांक के बाद नब्बे दिन के भीतर नहीं दिया गया है अथवा यदि प्रार्थी माल अधिकारी का यह समाधान नहीं करा देता है कि उस अवधि के भीतर प्रार्थनापत्र न दे सकने के लिये उस के पास पर्याप्त कारण उपस्थित थे ;

(ग) कोई आदेश संपरिवर्तित न किया जायेगा अथवा उलटा न जायेगा जब तक कि इस से प्रभावित पक्षों को आदेश के हक्क में उपस्थित होने तथा सुनवाई करने की उचित सूचना न दी गई हो ;

(घ) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उस आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

(2) जिस माल अधिकारी ने जिला छोड़ दिया हो या जो माल अधिकारी के पद की शक्तियां प्रयोग करने से वंचित हो गया हो तथा जिस के पद का कोई उत्तराधिकारी न हो ऐसे निम्न श्रेणी के माल अधिकारी के पद पर इस धारा के प्रयोजनार्थ कलेक्टर उत्तराधिकारी समझा जायेगा।

(3) ऐसे आदेश पर अपील नहीं होगी जिस के द्वारा पुनरीक्षण किया जाना अस्वीकृत कर दिया गया हो अथवा पुनरीक्षण करने पर पिछला आदेश पुष्ट कर दिया गया हो।

117. अपीलों तथा पुनरीक्षण के हेतु प्रार्थनापत्रों के लिये सीमित अवधि की संगणना (Computation of period limited for appeals and applications for review).—इस अधिनियम के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण के हेतु प्रार्थनापत्र के लिए अवधि की संगणना में, उसकी परीसीमाएं इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Limitation Act, 1908) द्वारा शासित होंगी।

118. माल अधिकारियों और माल न्यायालयों की कार्यवाहियों को मंगवाने और उनकी पुनरावृत्ति तथा परीक्षा करने की शक्ति (Power to call for examine and revise proceedings of Revenue Officers and Revenue Courts).—(1) फाइनैन्शियल कमिश्नर अपने अधीन माल अधिकारी या माल न्यायालय के विचाराधीन अथवा उसके द्वारा निर्णीत मुकद्दमों के अभिलेख किसी भी समय मंगवा सकेगा।

(2) कमिश्नर अथवा कलेक्टर अपने नियन्त्रण-अधीन माल अधिकारी या माल न्यायालय के विचाराधीन या उस के द्वारा निर्णीत मुकद्दमें के अभिलेख मंगवा सकेगा।

(3) यदि ऐसे मुकद्दमें के सम्बन्ध में जिस के अभिलेख कमिश्नर अथवा कलेक्टर ने मगाए हैं, उस की यह सम्मति (opinion) है कि उस में की गई कार्यवाही अथवा दिये गये आदेश या डिक्री को

सपरिवर्तित कर दिया जाना चाहिए या इस को उलट दिया जाना चाहिये तो वह मुकद्दमें पर अपने विचारों सहित ऐसे अभिलेखों को फाइनैंन्शियल कमिश्नर के पास उस के आदेश के लिए भेज देगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन स्वयं मंगवाए हुए या उपधारा (3) के अधीन उस को भेजे गए अभिलेख की जांच करने के उपरान्त, यदि फाइनैंन्शियल कमिश्नर का यह विचार हो कि कार्यवाहियों या आदेश या डिक्री में हस्तक्षेप करना अनुचित है तो वह तदनुसार आदेश देगा।

(5) अभिलेख की जांच करने के उपरान्त यदि फाइनैंन्शियल कमिश्नर का यह विचार हो कि कार्यवाहियों या आदेश या डिक्री में किसी ऐसे आधार पर हस्तक्षेप करना उचित है, जिस में तत्कालार्थ प्रचलित विधि के अधीन जुडिशियल कमिश्नर का न्यायालय पुनरावृति सम्बन्धी अधिकारक्षेत्र (revisional jurisdiction) प्रयोग करने में दीवानी न्यायालय की कार्यवाहियों या आदेश डिक्री में हस्तक्षेप कर सकता हो तो वह वाद की सुनवाई के लिए दिन निश्चित करेगा और उस दिन या किसी ऐसे आगामी दिन, जिस तक कि उसके द्वारा सुनवाई स्थगित की जाए या जो वह इस बारे में नियुक्त करे, वाद पर ऐसा आदेश देगा जैसा कि वह उचित समझे।

(6) जब फाइनैंन्शियल कमिश्नर उपधारा (5) के अधीन वाद की सुनवाई के लिए दिन निश्चित करता है तो उस समय के अतिरिक्त और किसी समय किसी पक्ष को फाइनैंन्शियल कमिश्नर के सन्मुख जब कि वह इस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।

प्रक्रिया (Procedure)

119. माल अधिकारियों की प्रक्रिया (Procedure of Revenue Officers).- (1) इस अधिनियम द्वारा जिन विषयों की प्रक्रिया विनिहित न हुई हो उन के विषय में इस अधिनियम के अधीन माल अधिकारियों की प्रक्रिया का आनियमन करने के हेतु राज्यशासन इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा।

(2) अन्य विषयों के साथ ही साथ अचल सम्पत्ति का कब्जा प्रदान करने तथा उस से निष्कासित करने के आदेशों को पालन करवाने की रीति की व्यवस्था भी उक्त नियमों में हो सकेगी, तथा उन विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने वाले नियमों द्वारा किसी भी माल अधिकारी को न्यायालय अवमान, रोध, (resistence) तथा किसी ऐसी डिक्री, जिस में दीवानी न्यायालय ने उक्त सम्पति से निष्कासन अथवा उस पर कब्जा देने का निर्णय किया हो, के निष्पादन के विषय में जो शक्तियां दीवानी न्यायालय प्रयोग कर सकता है, वैसी समस्त या कोई भी शक्तियां दी जा सकेंगी।

(3) नियमों में व्यय के सम्बन्ध में दिए गए आदेशों के निष्पादन की रीति की व्यवस्था भी हो सकेगी, और हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले प्रयुक्त पंजाब लैंड रेवेन्यु एक्ट, 1887, में विवाचन से सम्बन्धित समस्त या किसी उपबन्ध को इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लिए अन्तर्ग्रहित किया जा सकेगा।

(4) इस धारा के अन्तर्गत नियमों के अधीन रहते हुए एक माल अधिकारी जिसको इस अधिनियम के अधीन किसी मुकद्दमे का फ़ैसला करने की शक्ति है ऐसे किसी मुकद्दमे को दूसरे माल अधिकारी को अनुसंधान करने तथा प्रतिवेदन देने के हेतु निर्दिष्ट कर सकेगा और प्रतिवेदन पर मुकद्दमे का निर्णय कर सकेगा।

120 वे व्यक्ति जो माल अधिकारियों के सामने उपस्थित होंगे जब वे माल अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हों और न कि माल न्यायालयों के रूप में (Persons by whom appearance may be made before Revenue Officers as such and not as Revenue Courts).—(1) माल अधिकारी के सन्मुख जब वह माल अधिकारी के रूप में काम कर रहा हो इस अधिनियम के अधीन उसके सन्मुख उपस्थिति, प्रार्थना-पत्र तथा कार्य—

(क) पक्षों द्वारा स्वयं, या

(ख) उनके प्रत्याभिज्ञात अभिकर्ताओं या विधिव्यवसायी द्वारा हो सकेगी,

दिए जा सकेंगे अथवा किए जा सकेंगे :

परन्तु किसी प्रत्याभिज्ञात अभिकर्ता अथवा विधिव्यवसायी को सेवायुक्त करने से किसी ऐसी कार्यवाही में, जिस में व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए किसी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से आदेश दिया गया हो, पक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति क्षमा नहीं हो सकेगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ प्रत्याभिज्ञात अभिकर्ता ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा कि राज्य-शासन इस विषय में अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

(3) इस अधिनियम के अधीन, किसी माल अधिकारी के सन्मुख किसी कार्यवाही में किसी विधिव्यवसायी की फ़ीसें खर्चे के रूप में तब तक अनुमत नहीं होंगी जब तक वह अधिकारी अपनी लिखत में कारण बतलाते हुए यह अभिलिखत नहीं करता कि फ़ीसें अनुमत होनी चाहिएं।

121. व्यय (Costs).—(1) माल अधिकारी, जैसी रीति उचित समझे उस के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के व्यय दे सकेगा और उन का अभिभाजन कर सकेगा।

(2) किन्तु यदि वह आदेश देता है कि ऐसी किसी कार्यवाही की लागत उसके फल-स्वरूप न लगाई जावे (shall not follow the event) तो वह ऐसे आदेश के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगा।

122. माल न्यायालयों की प्रक्रिया (Procedure of Revenue Courts).—(1) इस अधिनियम के अधीन, जिन विषयों के लिए इस अधिनियम में प्रक्रिया विनिहित नहीं है, उनके लिए राज्यशासन, माल न्यायालयों की प्रक्रिया का आनियमन करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा, और ऐसे किसी नियम द्वारा निदेश दे सकेगा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) के उपबन्ध रूपभेद करके या बिना रूपभेद किए, उन न्यायालयों के सन्मुख वादों की समस्त या किन्हीं श्रेणियों में प्रवृत्त होंगे।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते और जब नियम बना लिए जाएं तो उन नियमों तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए –

(क) जहां तक प्रवृत्त हो सके, माल न्यायालयों की समस्त कार्यवाहियों में चाहे वे डिक्री से पूर्व हों या उपरांत, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure 1908) प्रवृत होगा; और

(ख) फाईनैंन्शियल कमिश्नर उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उस कोड में अभिप्रेत हाई कोर्ट समझा जाएगा, और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने नियंत्रण के अधीन न्यायालयों के बारे में कोड के अधीन हाईकोर्ट की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

123. माल अधिकारी या माल न्यायालय की व्यक्तियों को समन देने की शक्ति (Power of Revenue Officer or Revenue Court to summon persons).—(1) माल अधिकारी या माल न्यायालय के रूप में प्रार्थनापत्र, वाद अथवा अन्य कार्य सम्पादन के हेतु यदि माल अधिकारी या माल न्यायालय किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक समझता है, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को वह समन दे सकेगा।

(2) इस रीति से जिस व्यक्ति को समन दिया गया है वह व्यक्ति स्वयं अथवा यदि समन में स्वीकृति दी गई हो तो अपने प्रत्याभिज्ञात अभिकर्ता अथवा विधिव्यवसायी द्वारा समन में बतलाये गये समय तथा स्थान पर उपस्थित होने के लिये बाध्य होगा।

(3) समन के पालनार्थ उपस्थित व्यक्ति जिस विषय में विवरण देता है अथवा जिस विषय में उस का अन्वीक्षण होता है उस के सम्बन्ध में वह सत्य विवरण देने तथा माल अधिकारी अथवा माल न्यायालय द्वारा अपेक्षित किसी विषय के सम्बन्ध में प्रलेख (document) तथा अन्य वस्तुएं प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

124. समन तामील कराने की रीति (Mode of service of summons) (1) माल अधिकारी या माल न्यायालय द्वारा जारी किये गये समन की तामील यदि सम्भव हो (क) उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से करायी जायेगी जिस के नाम पर समन जारी हुआ हो, अथवा उस के न मिलने पर, (ख) उस के प्रत्याभिज्ञात अभिकर्ता द्वारा अथवा (ग) उस के साथ साधारणतया रहने वाले उस के कुटुम्ब के वयस्क पुरुष द्वारा करायी जायगी।

(2) यदि समन की तामील इस प्रकार न की जा सके या यदि समन की ऐसी तामील से इन्कार कर दिया जाय तो जिस व्यक्ति के नाम पर समन दिया गया हो उस के साधारणतया रहने के स्थान पर अथवा जिस ज्ञात स्थान पर वह अन्त में रहा हो उस स्थान पर समन की प्रतिलिपि चिपका कर समन की तामील कर दी जायगी, अथवा यदि वह व्यक्ति माल अधिकारी या माल न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ज़िले में (in which the Revenue officer is employed or the Revenue Court is held) नहीं रहता है और जिस मुक़द्दमे के विषय में समन की तामील की गई है उस से

सम्बन्धित भूमि उस के क्षेत्राधिकार के जिले में है, तो जिस सम्पदा में भूमि स्थित है उस में या उसके समीप किसी ध्यानाकर्षी conspicuous) स्थान पर समन की प्रतिलिपि चिपका कर तामील कर दी जाएगी।

(3) यदि किसी ऐसे मुकद्दमे के विषय में समन की तामील करनी है जिस में स्वत्व रखने वाले व्यक्ति इतने अधिक हैं कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को समन तामील करना उचित प्रकार से सम्भव न हो तो ऐसी दशा में, यदि माल अधिकारी या माल न्यायालय निदेश द तो समन की तामील उस की प्रतिलिपि माल अधिकारी या माल न्यायालय द्वारा उन में से इस हेतु मनोनीत व्यक्तियों को भेज कर तथा स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों की सूचना के लिये उस के विषय की उद्घोषणा द्वारा कीजायेगी।

(4) यदि माल अधिकारी या माल न्यायालय ऐसा निदेश दे तो समन में लिखे व्यक्ति के नाम पर ऐसा समन डाक द्वारा पत्र के रूप में उस का पता लिख कर और इण्डियन पोस्ट आफिस ऐक्ट, 1898, भाग III (Indian Post Office Act, 1898, Part III) के अनुसार रजिस्टर करवा कर समन की तामील हो सकेगी और यह अन्य प्रकार की तामील के बजाय या अतिरिक्त होगी।

(5) जब समन इस प्रकार पत्र द्वारा भेज दिया गया है और यह प्रमाणित हो जाता है कि पत्र पर ठीक पता लिखा था और वह उचित प्रकार से डाक में भेज दिया गया था तथा रजिस्टर करवाया गया था तो अधिकारी या न्यायालय यह मान लेगा कि डाक से साधारणतया पत्र जिस समय प्रदान होता है उस समय समन की तामील हो गई थी।

125. सूचना (notice), आदेश (order) या उद्घोषणा (Proclamation) या उनकी प्रतिलिपि की तामील की रीति (Mode of service of notice, order or proclamation or copy thereof). माल अधिकारी या माल न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के लिए जारी की गई सूचना, उद्घोषणा या दिए गए आदेश या ऐसे प्रलेख की प्रतिलिपि की तामील अन्तिम पूर्ववर्ती धारा में समन की तामील के लिए दी गई रीति के अनुसार की जायेगी।

126. उद्घोषणा प्रकाशित करने की अन्य रीति(Additional mode of Publishing Proclamation).—जब किसी माल अधिकारी या माल न्यायालय द्वारा किसी भूमि से सम्बन्धित उद्घोषणा जारी की जाये तो तत्काल प्रचलित किसी भी अधिनियम द्वारा निर्विहित की जा सकने वाली प्रकाशन की अन्य रीति के साथ ही साथ, ऐसी उद्घोषणा ढोल बजा कर अथवा अन्य प्रथा के अनुसार तथा उसकी प्रतिलिपि तत्सम्बन्धित भूमि में या समीप के ध्यानाकर्षी स्थान पर चिपका कर की जाएगी।

127. काश्तकारों का लगान से सम्बन्धित कार्यवाहियों में पक्षों के रूप में अनुसंगम (Joinder of tenants as parties to proceedings relating to rent).—(1) माल-अधिकारी या माल न्यायालय की स्वेच्छा (discretion) से और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्यशासन इस बारे में बनाये, अध्याय 4 के अधीन किसी कार्यवाही में एक ही संपदा में काश्त करने वाले काश्तकारों की कोई भी संख्या पक्ष बनाई जा सकेगी।

(2) किन्तु ऐसी किसी भी कार्यवाही में डिक्री या आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक

माल अधिकारी या माल न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता कि समस्त सम्बन्धित पक्षों को उपस्थित होने और सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है।

(3) ऐसी कार्यवाहियों में दी गई डिक्री या आदेश में वह मात्रा निर्दिष्ट होगी जहां तक कि प्रत्येक काश्तकार उससे प्रभावित होता है।

128. कुछ अधिनियमों के प्रवर्तन से इस अधिनियम के अधीन वादों का अपवाद (Exception of suits under this Act from operation of certain enactments).—स्थानीय सभाओं के, जिस में पंचायतें भी शामिल हैं, प्रशासन हेतु कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर 1908 का अधिनियम नं० 5 (Code of Civil Procedure, 1908 Act V of 1908) की धारा 80 में कुछ भी अथवा किसी अन्य प्रचलित विधि में तत्सदृश कोई भी उपबन्ध, इस अधिनियम की धारा 111 में वर्णित श्रेणी के वाद में प्रवृत्त नहीं होगा।

129. उस रुपये को न्यायालय में जमा करना जो किसी तीसरे व्यक्ति को देय स्वीकृत हो (Payment into court of money admitted to be due to a third person).- (1) जब प्रतिवादी यह स्वीकार कर लेता है कि लगान के कारण उस ने धनराशि देनी है, किन्तु वह यह तर्क करता है कि यह वादी को नहीं बल्कि तीसरे व्यक्ति को देय है तो न्यायालय, ऐसे विशेष कारणों को छोड़ कर जो कि वह अभिलिखित करेगा (except for special reasons to be recorded by it) ऐसा उक्ति का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि प्रतिवादी स्वीकृत देय धन राशि न्यायालय में जमा नहीं करता।

(2) जब ऐसी धन राशि न्यायालय में जमा कर दी जाती है तो न्यायालय तत्काल तीसरे व्यक्ति पर उस जमा की हुई राशि की सूचना तामील करवाएगा।

(3) यदि तीसरा व्यक्ति सूचना मिलने से तीन महीने के भीतर वादी के विरुद्ध वाद दायर नहीं करता और धन राशि की चुकती को रोकने का आदेश प्राप्त नहीं करता तो वह धनराशि वादी द्वारा न्यायालय को प्रार्थनापत्र दिया जाने पर उसे दे दी जायगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन वादी को दी गई राशि वादी से वसूल करने में किसी व्यक्ति के अधिकार पर, इस धारा में लिखित कोई भी बात प्रभावी नहीं होगी।

(5) जब प्रतिवादी इस धारा के अधीन न्यायालय में धन राशि जमा करा देता है तो न्यायालय प्रतिवादी को एक रसीद देगा और इस प्रकार दी गई रसीद वैसी ही रीति में वैसी ही मात्रा तक विमुक्ति के रूप में प्रवृत्त होगी मानो वह रसीद यथास्थिति, वादी या तीसरे व्यक्ति द्वारा, दी गई थी।

130. लगान के बकाया के लिये डिक्रियों का निष्पादन (Execution of decrees for arrears of rent). - डिक्रीदार की मौखिक प्रार्थना पर, काश्तकार की चल सम्पत्ति के विरुद्ध तथा काश्तकारी की उन खड़ी या असंग्रहीत फ़सलों के विरुद्ध जिन के विषय में बकाया लगान की डिक्री दी गई है, बकाया लगान के लिये डिक्री देने पर, न्यायालय, डिक्री के निष्पादन का आदेश दे सकेगा।

131. लगान के बकाया के लिए डिक्रियों के निष्पादन में काश्तकारों को कैद करने पर प्रतिषेध **(Prohibition of imprisonment of tenants in execution of decrees for arrears of rent).** - अपनी काश्तकारी के भोग के दौरान लगान के बकाया के लिए किसी डिक्री के निष्पादन में भूमिपति के प्रार्थनापत्र पर कोई काश्तकार कारावास का भागी न होगा।

132. किसी पक्ष को दीवानी न्यायालय में भेजने की शक्ति **(Power to refer party to civil court).**— (1) मूल अपील या पुनरावृत्ति सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले माल न्यायालय के सन्मुख विचाराधीन किसी कार्यवाही में उस न्यायालय को यदि यह जान पड़ता है कि कोई विचाराधीन प्रश्न दीवानी न्यायालय द्वारा फैसला करने के लिए अधिक उचित है तो माल न्यायालय, उस न्यायालय की पूर्व अनुमति से, यदि कोई हो, जिस के नियंत्रण के वह निकटतम अधीन हो, प्रश्न पर फ़ैसला प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अपने द्वारा इस बारे में निश्चित किए गए समय के भीतर, कार्यवाही में किसी पक्ष से लिखित आदेश द्वारा, दीवानी न्यायालय में वाद दायर करने की अपेक्षा कर सकेगा, और यदि पक्ष उस मांग का अनुपालन करने में असफल रहता है तो माल न्यायालय प्रश्न का फ़ैसला, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा।

(2) यदि पक्ष मांग के अनुपालन में वाद दायर करता है तो माल न्यायालय अपने सन्मुख विचाराधीन कार्यवाही का निर्णय यथास्थिति, प्रथम दीवानी न्यायालय या अपील के अन्तिम निर्णय के अनुसार करेगा।

133. अधिकार क्षेत्र के प्रश्न जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय को निर्दिष्ट करने की शक्ति **(Power to refer to Judicial Commissioner's Courts questions as to jurisdiction).**— (1) यदि दीवानी न्यायालय या माल न्यायालय, जिस में वाद दायर किया गया है, के अधिष्ठाता को यह संदेह हो जाए कि उस के लिए वाद का संज्ञान करना प्रतिषिद्ध है तो वह उस विषय को डिस्ट्रिक्ट जज या फाईनैंन्शियल कमिश्नर द्वारा, या यदि वह स्वयं डिस्ट्रिक्ट जज या कमिश्नर या फाइनैंन्शियल कमिश्नर हो तो सीधा जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय को, निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) किसी ऐसे निर्देश पर जुडिशियल कमिश्नर का न्यायालय अधिष्ठाता को वाद कार्यवाही करने का आदेश दे सकेगा या वाद को ऐसे अन्य न्यायालय में भेजने के हेतु वापस करने का आदेश दे सकेगा जिसे कि वह अपने आदेश में वाद संज्ञान हेतु सक्षम घोषित करे।

(3) किसी ऐसे निर्देश पर जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय का आदेश, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो वाद के पक्षों में नहीं थे तथा जो वाद के पक्षों में थे, निर्णायक होगा।

134. जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय की, अधिकार क्षेत्र के विषय में भूल से की गई कार्यवाहियों की पारिसिद्धि करने की शक्ति **(Power of Judicial Commissioner's Court to validate proceedings held under mistake as to Jurisdiction).**—(1) निम्नलिखित किसी भी दशा में अर्थात्—

(क) यदि किसी दीवानी न्यायालय को यह जान पड़ता है कि उसके नियंत्रण के अधीन न्यायालय ने धारा 111 में वर्णित श्रेणी के वाद का निर्णय किया है जिस की सुनवाई तथा निर्णय उस धारा के उपबन्धों के अधीन माल न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था; या

(ख) यदि माल न्यायालय को यह जान पड़ता है कि उस के नियंत्रण के अधीन न्यायालय ने ऐसे वाद का निर्णय किया है जिसकी सुनवाई दीवानी न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए थी ;

तो दीवानी न्यायालय या माल न्यायालय, यथास्थिति, वाद का अभिलेख जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय के सन्मुख प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि अभिलेख के देखने पर जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय को यह जान पड़े कि वाद का निर्णय सद्भावनापूर्वक किया गया था और अधिकारक्षेत्र की त्रुटि द्वारा पक्षों की हानि नहीं हुई तो जुडिशियल कमिश्नर का न्यायालय आदेश दे सकेगा कि डिक्री ऐसे न्यायालय में रजिस्टर कराई जाए जिस को अधिकारक्षेत्र हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलेख को भेजने के अन्यथा, यदि जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय को यह जान पड़े कि उसके नियंत्रण के अधीन दीवानी न्यायालय ने धारा 111 में वर्णित श्रेणी के वाद का निर्णय किया है जिसकी सुनवाई तथा निर्णय उस धारा के उपबन्धों के अधीन माल न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए था, तो जुडिशियल कमिश्नर का न्यायालय कोई ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उस उपधारा के अधीन उस को अभिलेख भेजने की दशा में दे सकता।

(4) डिक्री की किसी अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में जुडिशियल कमिश्नर का न्यायालय, माल न्यायालय या दीवानी न्यायालय में इसकी रजिस्ट्री के लिए ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि स्थिति-अनुसार न्यायानुकूल और उचित जान पड़े।

(5) उन व्यक्तियों के लिए जो वाद या कार्यवाही के पक्षों में नहीं थे और उन के लिए जो उनके पक्षों में थे, इस धारा के अधीन जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय का आदेश निर्णायक होगा और आदेश से सम्बन्धित डिक्री या कार्यवाही इस प्रकार प्रभावित होगी मानो यह उस न्यायालय द्वारा दी गई अथवा की गई है जिस में आदेश को रजिस्टर करना अपेक्षित था।

प्रकीर्ण

135. इजलास के स्थान (Place of sitting).— (1) ऐसिस्टैंट कलेक्टर जिस जिले में पदाधिकारी हो उस जिले की सीमा के भीतर वह किसी भी स्थान में इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) कोई भी अन्य माल अधिकारी या माल न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के अधीनस्त अपनी शक्तियों का ही प्रयोग कर सकेगा।

136. छुट्टियां (Holidays).— (1) फाइनैन्शियल कमिश्नर राज्यशासन का अनुमोदन प्राप्त करके प्रत्येक कैलेंडर वर्ष (calendar year) के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त अथवा किसी माल अधिकारी तथा माल न्यायालयों द्वारा उस वर्ष में मनायी जाने वाली छुट्टियों की सूची राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।

(2) कोई भी कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य नहीं की जा सकेगी कि जिस दिन माल अधिकारी या माल न्यायालय के सन्मुख कार्यवाही पूरी की गई थी वह दिन सूची में ऐसी छुट्टी का दिन था जो कि माल अधिकारी या माल न्यायालय द्वारा मनाई जानी चाहिए थी।

137. किसी कलेक्टर की मृत्यु होने पर, अथवा असमर्थ हो जाने पर उस के कार्यों का सम्पादन (Discharge of duties of Collector dying or being disabled).—जब किसी कलेक्टर की मृत्यु हो जाती है अथवा वह अपने कर्तव्य पालन से अशक्त हो जाता है तो जिले के मुख्य प्रशासन के निष्पादन हेतु राज्यशासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किये गए सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अस्थाई रूप से उत्तरगामी हुआ अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर माना जाएगा।

138. बदली होने पर माल अधिकारियों की शक्तियों का प्रतिधारण (Retention of powers by Revenue Officer on transfer).—जब किसी भी श्रेणी के माल अधिकारी को इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार किसी भी स्थानीय क्षेत्र में माल अधिकारी के रूप में या माल न्यायालय के रूप में शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार दिया गया हो और उस की बदली उस स्थानीय क्षेत्र से अन्य स्थान को उसी या ऊंची श्रेणी के पद पर हो जाती है और यदि राज्यशासन अन्यथा निदेश नहीं देता है या राज्यशासन ने अन्यथा निदेश न दिया हुआ हो तो वह माल अधिकारी या माल न्यायालय के अधिष्ठाता के रूप में अन्य स्थानीय क्षेत्र में भी वैसी शक्तियों का प्रयोग करता रहेगा।

139. माल अधिकारी या माल न्यायालयों को शक्तियां प्रदान करना (Conferment of powers of Revenue Officer or Revenue Court.—(1) राज्यशासन अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान कर सकेगा और इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को अधिसूचना द्वारा वापस ले सकेगा—

(क) इस अधिनियम के अधीन फाइनैन्शियल कमिश्नर, कमिश्नर या कलेक्टर की समस्त अथवा कोई भी शक्तियां; या

(ख) ऐसी समस्त या कोई भी शक्तियां जो इस के अधीन किसी भी श्रेणी के एसिस्टैंट कलेक्टर की दी जाती हैं या दी जा सकती हों।

(2) जिस व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन शक्तियां प्रदान की गई हों वह उन शक्तियों का प्रयोग ऐसी स्थानीय सीमाओं में और ऐसे मुकदमों की श्रेणियों के विषय में करेगा जैसे कि इस सम्बन्ध में राज्यशासन द्वारा निर्दिष्ट की जाय तथा यदि राज्यशासन ने अन्यथा निर्दिष्ट न किया हो, तो वह व्यक्ति तत्सम्बन्धी प्रयोगों के समस्त प्रयोजनों के हेतु, यथास्थिति, फाइनैन्शियल कमिश्नर, कमिश्नर, कलेक्टर अथवा ऐसिस्टैंट कलेक्टर माना जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दीवानी न्यायालय के जज को शक्तियां प्रदान करने से पहले राज्यशासन जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय से परामर्श लेगा।

(4) यदि धारा 112, धारा 113, धारा 114 या धारा 116 के अधीन कलेक्टर की कोई शक्तियां ऐसिस्टैंट कलेक्टर को प्रदान की जाती हैं तो वे उस के द्वारा कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रयोग में लाई जायेंगी यदि राज्यशासन विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे।

140. राज्यशासन की नियमों को बनाने की शक्ति (Power of State Government to make rules).—निम्नलिखित विषयों को विनिहित करते हुए राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा—

(क) वह प्रपत्र और रीति जिसमें विनिहित मात्रा तक भूमि के संरक्षण के लिए भूमिपति या काश्तकार द्वारा प्रार्थनापत्र दिया जाए ;

(ख) सूचना का प्रपत्र और वह रीति जिस में सूचनाओं की तामील की जाए ;

(ग) वह रीति जिस में परिपृच्छा की जाए ; तथा

(घ) वह रीति जिस में प्रतिधन चुकाया जाए।

141. फाइनैन्शियल कमिश्नर की नियमों को बनाने की शक्ति (Power of Financial Commissioner to make rules). फाइनेंशियल कमिश्नर, उन अन्य नियमों के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा बनाए जाऐं, इस अधिनियम से तथा किसी अन्य तत्कालीन प्रचलित अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा —

(क) किसी अधिकार अभिलेख में किसी बात के होते हुए भी, किश्तों की संख्या तथा राशि और उस समय का निश्चय करना जिसमें और जब तक लगान चुकाया जाना चाहिये ;

(ख) काश्तकार द्वारा भूमिपति को वस्तु रूप में चुकाए जाने वाले लगान की खलिहान पर चुकती के लिए सूचना देने का प्रपत्र और रीति विनिहित करना ;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, किसी भूमि के भूराजस्व की राशि निश्चय करने में माल अधिकारियों के प्रदर्शन हेतु ;

(घ) समस्त या किन्हीं ऐसे क्षेत्रों के लिए, जिन पर इस अधिनियम का प्रसार है, उस अवधि को निर्दिष्ट करना जिस के दौरान, सिवाए अत्यावश्यकता के उन कारणों के जो कि अभिलिखित किए जाएं इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियों में, माल अधिकारी या माल न्यायालय, किसी काश्तकार के विरुद्ध या उस भूस्वामी के विरुद्ध जो अपनी भूमि की स्वयं काश्त करता है, गिरफ्तारी की कोई आज्ञिका जारी न करे ;

(ङ) ऐसे मुकद्दमों, जहां कि व्यक्तियों को माल अधिकारी या माल न्यायालयों के अभिलेखों को देखने या उसकी प्रतिलिपियों को प्राप्त करने का अधिकार है, की रीति विनियमित करना और खोजों तथा प्रतिलिपियों के लिए देय फ़ीसें निर्दिष्ट करना ;

(च) ऐसी पुस्तों (books), प्रविष्टियों, सांख्यकी तथा लेखों के लिए प्रपत्र निर्दिष्ट करना, जिन्हें कि फाइनैंशियल कमिश्नर माल कार्यालयों या माल न्यायालयों में रखने, बनाने या संकलित करने या किसी प्राधिकारी के सन्मुख प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है ;

(छ) यह घोषित करना कि उन में से किसी कार्यालय तथा न्यायालय की भाषा क्या होगी ; और

(ज) इस अधिनियम के प्रवर्तन से सम्बन्धित विषयों में माल अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के सामान्यतः पथ प्रदर्शन के लिए।

(2) जब तक उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक लगान किश्तों द्वारा और उन समयों पर, चुकाया जाएगा जिन में और जिन पर वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर चुकाया जाता है।

(3) इस धारा या इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन फाइनैन्शियल कमिश्नर द्वारा बनाए गए नियम, राज्यशासन के नियंत्रण के अधीन रहते हुए बनाए जाएंगे।

142. नियम पूर्व प्रकाशन होने के पश्चात् बनाए जाएंगे (Rules to be made after previous publication).— इस अधिनियम के अधीन नियमों को बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि वे पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएं।

143. वे शक्तियां जिनका प्रयोग फाइनैन्शियल कमिश्नर समय समय पर कर सकता है (Powers exercisable by Financial Commissioner from time to time).—इस अधिनियम में जो शक्तियां फाइनैन्शियल कमिश्नर को दी गई हैं, उन का प्रयोग वह समय समय पर मौके के अनुसार कर सकेगा।

144. वैधिक कार्यवाहियों पर रोक (Bar to legal proceedings).—कोई अभियोग, वाद या अन्य वैधिक कार्यवाही राज्यशासन या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे विषय के लिए नहीं की जाएगी जो कि सद्भावना पूर्वक किया गया हो या इस अधिनियम के उपबन्धों या उस के अधीन बनाए गऐ किन्हीं नियमों के अनुसार किया जाना अभिप्रेत हो।

अध्याय 10

इस अधिनियम का अधिकार अभिलेखों तथा निबन्धों (agreements) पर प्रभाव

145. अधिकार अभिलेख में कुछ प्रविष्टियों की निरर्थकता (Nullity of certain entries in record of right).—किसी अधिकार अभिलेख में कोई भी प्रविष्टि, जो निम्नलिखित समायुक्त करती है, उसी सीमा तक शून्य होगी:—

(क) कि भूमिपति किसी काश्तकार को अपनी काश्तकारी में ऐसी उन्नतियां, जो वह इस अधिनियम के अधीन करने का अधिकारी हो, करने से रोक सकता है या ऐसी उन्नतियां करने पर उसे निष्कासित कर सकता है; या

(ख) कि अपनी काश्तकारी से निष्कासित काश्तकार, किसी ऐसी दशा में उन्नतियों या विघ्न के लिए प्रतिधन का अधिकारी नहीं होगा, जिस में वह इस अधिनियम के अधीन उसके लिये प्रतिधन का अधिकारी है; या

(ग) कि कोई भूमिपति किसी काश्तकार का इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्यथा निष्कासन कर सकता है।

146. इस अधिनियम के विपरीत कुछ निबन्धों की निरर्थकता (Nullity of certain agreements contrary to the Act).—(1) इस अधिनियम के पारित होने के उपरान्त, भूमिपति और काश्तकार के किसी निबन्ध में कोई भी उपबन्ध —

(क) आभोग अधिकार प्राप्त करने या लगान में कमी, परिहार या निलम्बन, या धारा 3 या 4 के अधीन, आभोग अधिकार सम्पन्न किसी काश्तकार के लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं करेगा; या

(ख) उन्नतियां करने और उनके लिए प्रतिधन का दावा करने, या जब इस अधिनियम के अधीन भिन्न के लिए प्रतिधन का दावा किया जा सकता है तो उक्त प्रतिधन का दावा करने में, इस अधिनियम द्वारा निश्चित किसी काश्तकार के अधिकार को नहीं हटाएगा या सीमित नहीं करेगा ;

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्यथा किसी काश्तकार को निष्कासित करने में भूमिपति को अधिकृत नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में कुछ भी ऐसे निर्बन्ध पर प्रवृत्त नहीं होगा जिससे काश्तकार अपनी काश्तकारी पर उसके भूमिपति द्वारा या भूमिपति के व्यय पर की गई या की जाने वाली उन्नति के उपलक्ष में बढ़ाए हुए लगान, जोकि उपज के एक तिहाई से अधिक न हो, को देने के लिए और ऐसे लाभ के लिए जिस के लिए वह अन्यथा अधिकारी नहीं है, अपने आप को बाध्य कर लेता है।

147. निरसन (Repeals).—धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से—

(क) पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 (Punjab Tenancy Act, 1887) जैसा कि हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त है इस के द्वारा निरस्त किया जाता है ;

(ख) कोई अन्य विधि जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, निरस्त समझी जायेगी और इस के द्वारा निरस्त की जाती है ;

(ग) हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 में जहां कहीं भी शब्द "पंजाब टैनेन्सी एक्ट, 1887, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त है" आते हैं उन के स्थान पर शब्द "हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953" पढ़ा जायगा।

148. अपवाद (Savings).—(1) पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट, 1887 (Punjab Tenancy Act, 1887) जैसा कि हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त है का निरसन, धारा 147 के अधीन उसके पिछले प्रवर्तन पर प्रभावी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोइ किया गया कार्य अथवा कार्यवाही जिस में सम्मिलित है- कोई नियुक्ति या प्रत्याधिकृत या किया गया हस्तांतरण (Appointment or delegation or transfer made), अधिसूचना (notification), उदघोषणा (proclamation), आदेश (order), जारी किया अनुदेश या निदेश (instruction or direction issued), प्राधिकार और प्रदत शक्तियां authority and powers conferred). अर्जित अधिकार तथा उठाए गए दायित्व (rights acquired and liabilities incurred), नियम (rule), आनियम (regulation), प्रपत्र (from), बनाई गई उपविधि या योजना (Bye law or scheme framed), नियुक्त समय तथा स्थान (time and place appointed) और निरस्त अधिनियम या विधि के अधीन किये गए अन्य कार्य—

(क) इस अधिनियम से संगत उपबन्धों के अधीन किए गए या लिए गए समझे जाएँगे;

(ख) तब तक प्रबलित रहेंगे जब तक अन्यथा निदेश न दिया गया हो ;

अथवा राज्यशासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए या लिए गए कार्यों द्वारा अधिष्ठित (superseded) न हो गए हों।

अनुसूची

(देखिए 12)

भूस्वामी को देय प्रतिधन निम्नलिखित होगा—

(क) ऐसे भोक्ता काश्तकार की दशा में जो खाते में स्थित काश्तकारी के लिए भूराजस्व, स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ से अनधिक राशि लगान के रूप में चुकाने के लिए उत्तरदायी हो,	खाते के लिए देय भूराजस्व, स्थानीयकरों और उपकरों की राशियों के जोड़ के बराब धन राशि।
(ख) ऐसे भोक्ता काश्तकार की दशा में जो खाते में स्थित काश्तकारी के लिए भूराजस्व से अधिक लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी हो—	
(अ) जब लगान, खाते के लिए स्थानीय करों और उपकरों समेत भूराजस्व के 1-1/8 गुने से अधिक नहीं बढ़ता,	खाते के लिए देय वार्षिक भूराजस्व के 1-1/2 गुने और स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ के बराबर धन राशि।
(आ) जब लगान, खाते के लिए स्थानीय करों और उपकरों समेत भूराजस्व 1-1/8 गुने से अधिक हो किन्तु 1-1/4 गुने से अधिक न हो,	खाते के लिए देय वार्षिक भूराजस्व के 3 गुने और स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ बराबर धन राशि।
(इ) जब लगान, खाते के लिए स्थानीय करों और उपकरों समेत भूराजस्व के 1–1/4 गुने से अधिक हो किन्तु 1-3/8 गुने से अधिक न हो,	खाते के लिए देय वार्षिक भूराजस्व से 4-1/2 गुने और स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ के बराबर धन राशि।
(ई) जब लगान, खाते के लिए स्थानीय करों और उपकरों समेत भूराजस्व के 1-3/8 गुने से अधिक हो किन्तु 1-1/2 गुने से अधिक न हो,	खाते के लिए देय स्थानीय वार्षिक भूराजस्व के 6 गुने और स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ के बराबर धन राशि।
(उ) जब लगान, खाते के लिए स्थानीय करों और उपकरों समेत भूराजस्व के 1-1/2 गुने से अधिक हो किन्तु 1-3/4 गुने से अधिक न हो,	खाते के लिए देय वार्षिक भूराजस्व के 9 गुने और स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ के बराबर धन राशि।
(ऊ) जब लगान, खाते के लिए स्थानीय करों और उपकरों समेत भूराजस्व के 1–3/4 गुने से अधिक हो,	खाते के लिए देय वार्षिक भूराजस्व के 12 गुने और स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ के बराबर धन राशि।

(ग) धारा 28 में वर्णित लगान चुकाने के लिए उत्तरदायी भोक्ता काश्तकार की दशा में, — खाते के लिए वार्षिक भूराजस्व के 24 गुने और स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ के बराबर धन राशि।

(घ) अनाभुक्त काश्तकार की दशा में, — खाते में स्थित काश्तकारी के लिए देय वार्षिक भूराजस्व के और 48 गुने और स्थानीय करों और उपकरों के जोड़ के बराबर धन राशि।

अनुसूची 2

(देखिए धारा 27)

भूस्वामी को राज्यशासन द्वारा देय प्रतिधन निम्नलिखित होगा :—

		भोक्ता काश्तकार की दशा में	अनाभुक्त काश्तकार की दशा में
1.	पहले 125 रु० तक भूराजस्व के लिए ...	24 गुना	48 गुना
2.	तत्पश्चात् 125 रु० से अधिक और 250 रु० से कम भूराजस्व के लिए	12 ,,	24 ,,
3.	250 से अधिक और 500 से कम भूराजस्व के लिए	8 ,,	16 ,,
4.	500 से अधिक और 1000 से कम भूराजस्व के लिए	4 ,,	8 ,,
5.	1000 रु० से अधिक भूराजस्व के लिए ...	2 ,,	4 ,,

चेत राम,
सचिव।

Printed and Published in India by the Manager
Himachal Pradesh Government Press Simla-3.